



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 912]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2017/कार्तिक 16, 1939

No. 912]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2017/KARTIKA 16, 1939

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 7 नवम्बर, 2017

सं. फेमा. 20 (आर)/2017-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017

सा.का.नि. 1374(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 03 मई 2000 को जारी दोनों अधिसूचनाएं सं. फेमा. 20/2000-आरबी एवं अधिसूचना सं. फेमा. 24/2000-आरबी, का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निवेशों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियमावली निर्मित करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 कहलाएगी।
- (2) इस विनियमावली के विनियम 10 के उप-विनियम 1 के परंतुक (ii) तथा विनियम 10 के उप-विनियम 2 के परंतुक (ii), जिन्हें अधिसूचित करने की तिथि अभी घोषित की जानी है, को छोड़कर शेष विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (i) **"अधिनियम"** का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है;
- (ii) **"आस्ति पुनर्गठन कंपनी" (ARC)** का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्रचना और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत है;
- (iii) **"प्राधिकृत बैंक"** का अर्थ वही होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 में दिया गया है;
- (iv) **"प्राधिकृत व्यापारी"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत किये गए व्यक्ति से है;
- (v) **"पूँजीगत लिखत"** का तात्पर्य भारतीय कंपनी द्वारा जारी इक्विटी शेयर, डिबेंचर, अधिमानी शेयर तथा शेयर वारंटों से है।

स्पष्टीकरण :

(ए) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में जारी इक्विटी शेयरों में ऐसे शेयर भी शामिल हैं, जिनका आंशिक भुगतान किया गया है। 'डिबेंचर' शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से, अनिवार्यतः एवं अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर है। 'अधिमानी शेयर' शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से, अनिवार्यतः एवं अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर है। "शेयर वारंट" वे हैं, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के विनियमों के अनुसरण में भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए हों। पूँजीगत लिखतों में न्यूनतम एक वर्ष की लॉक-इन अवधि अथवा क्षेत्र-विशेष के लिए निर्धारित लॉक-इन अवधि, जो भी अधिक हो, के अधीन रहते हुए वैकल्पिकता खंड (ऑप्शनलिटी क्लॉज़) शामिल किया जा सकता है, किन्तु उसमें किसी निश्चित कीमत पर एक्जिट करने का अधिकार अथवा विकल्प नहीं होगा।

(बी) भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को जारी आंशिक रूप से भुगतान योग्य शेयर्स उन्हें जारी करने की तिथि से बारह महीनों की अवधि तक पूर्णतः कॉल-अप होंगे। प्रतिफल की कुल राशि (शेयर प्रेमियम, यदि कोई हो, सहित) में से पच्चीस प्रतिशत राशि प्रारंभ में प्राप्त की जाएगी।

(सी) शेयर वारंटों के मामले में प्रतिफल राशि का कम-से-कम पच्चीस प्रतिशत हिस्सा उन शेयर वारंटों के जारी करने के साथ ही प्राप्त होगा तथा शेष राशि उनके जारी करने की तिथि से अठारह महीनों की अवधि के दौरान प्राप्य होगा।

(डी) पूँजीगत लिखतों में दिनांक 30 अप्रैल 2007 तक जारी अपरिवर्तनीय/ वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय / आंशिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर तथा दिनांक 07 जून 2007 तक जारी एवं उनकी मूल परिपक्वता अवधि तक वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय / आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल हैं। दिनांक 30 अप्रैल 2007 के पश्चात जारी अ-परिवर्तनीय/ वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय / आंशिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को कर्ज़ (उधार) माना जाएगा और उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना एवं उधार देना) विनियमावली, 2000 के तहत विनियमित बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

(vi) **'परिवर्तनीय नोट' (convertible note)** - अर्थात् किसी स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी एक ऐसी लिखत, जो प्रारम्भिक तौर पर कर्ज़ के रूप में प्राप्त धनराशि को इंगित करती है और वह उसके धारक को उसके विकल्प पर पुनर्भुगतान योग्य होगी अथवा इस नोट को जारी करने की तारीख से पाँच वर्षों से अधिक अवधि के भीतर उस संख्या में स्टार्टअप कंपनी के इक्विटी शेयरों में, उक्त लिखत में उल्लिखित और स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों के अनुरूप विशिष्ट स्थितियों में परिवर्तनीय होगी।

(vii) **"घरेलू अभिरक्षक"** का अर्थ प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, भारतीय निक्षेपागार, कोई निक्षेपागार भागीदार अथवा कोई ऐसा बैंक, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रतिभूतियों की अभिरक्षा संबंधी सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति दी गई हो।

(viii) **"घरेलू निक्षेपागार"** का अर्थ प्रतिभूतियों की कोई ऐसी अभिरक्षक संस्था, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत है और जिसे भारतीय निक्षेपागार रसीदें (IDR) जारी करने के लिए प्रतिभूति जारीकर्ता एंटीटी द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ix) **"निक्षेपागार रसीद"** का अर्थ विदेशी मुद्रा में मूल्य-वर्गीकृत ऐसी कोई लिखत, भले ही वह किसी अंतरराष्ट्रीय विनियमगृह में सूचीबद्ध हो अथवा न हो, जिसे किसी विदेशी निक्षेपागार द्वारा उसके लिए अनुमत अधिकार क्षेत्र में जारी अथवा उस विदेशी निक्षेपागार को जारी अथवा अंतरित की गई पात्र प्रतिभूतियों के आधार पर जारी किया गया है, तथा उन्हें किसी घरेलू अभिरक्षक के पास जमा किया गया है। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित "वैश्विक निक्षेपागार रसीदें" भी शामिल हैं।

(x) **"कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP)"** की परिभाषा वही होगी जो कंपनी अधिनियम, 2013 में उसके लिए दी गई है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी विनियमावली के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

(xi) **"एस्करो खाता (Escrow)"** अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के तहत खोला गया और धारित किया गया एस्करो खाता।

(xii) **"एफडीआई सम्बद्ध निष्पादन शर्तें"** अर्थात् इस विनियमावली के विनियम-16 के तहत विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी हेतु क्षेत्र-विशेष के लिए निर्दिष्ट निवेश की शर्तें।

(xiii) **"विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (FVCI)"** अर्थात् ऐसा निवेशक जो भारत से बाहर स्थापित और निगमित है और वह सेबी (विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक) विनियमावली, 2000 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत है।

(xiv) **"विदेशी केंद्रीय बैंक"** अर्थात् भारत से बाहर स्थापित ऐसी कोई संस्था/ संगठन / कॉर्पोरेट बॉडी जिसे किसी देश के वर्तमान प्रचलित कानून के तहत उस देश के केंद्रीय बैंक के कार्यकलापों संबंधी दायित्व सौंपा गया है।

(xv) **"एफ.सी.एन.आर.(बी) [FCNR(B)]"** अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के तहत खोला गया और धारित किया गया विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता।

(xvi) **"विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCB)"** अर्थात् विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड तथा साधारण शेयरों का निर्गम (निक्षेपागार रसीद प्रणाली के माध्यम से) योजना, 1993 के अनुसरण में जारी विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड।

(xvii) **"प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)"** अर्थात् भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों के माध्यम से किया गया निवेश; अथवा सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की निर्गम के बाद की प्रदत्त इक्विटी के 10 प्रतिशत तक अथवा उससे अधिक पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर किया गया निवेश;

नोट – यदि भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों में पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर निर्गम के बाद की प्रदत्त इक्विटी के जरिए किया गया वर्तमान निवेश 10 प्रतिशत से कम होता है तब भी इन निवेशों को एफडीआई माना जाएगा।

स्पष्टीकरण : 'पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर' का अर्थ परिवर्तन के सभी संभाव्य स्रोतों को निष्पादित करने के पश्चात् शेष रहने वाले कुल शेयरों की संख्या।

(xviii) **"विदेशी निवेश"** अर्थात् भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों में तथा किसी एलएलपी की पूंजी में प्रत्यावर्तनीय आधार पर किया गया निवेश।

स्पष्टीकरण : यदि व्यक्तियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत यह घोषणा की जाती है कि किसी कंपनी का लाभकारी हित किसी अनिवासी भारतीय ने धारित किया है, तो ऐसे मामलों में भारतीय नागरिकों द्वारा किया गया निवेश भी विदेशी निवेश माना जाएगा।

नोट : भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश केवल एफडीआई अथवा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में धारण कर सकते हैं।

(xix) **"विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)"** अर्थात् भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर निर्गम के बाद की प्रदत्त इक्विटी के जरिए पूंजीगत लिखतों में 10 प्रतिशत से अनधिक किया गया निवेश अथवा किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी द्वारा जारी पूंजीगत लिखतों की प्रत्येक शृंखला में 10 प्रतिशत से अनधिक मात्रा तक किया गया निवेश।

स्पष्टीकरण : प्रत्येक पोर्टफोलियो निवेशक तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली, 2014 में संदर्भित प्रत्येक निवेशक समूह के लिए 10 प्रतिशत की सीमा लागू होगी।

(xx) **"विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI)"** अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली, 2014 के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति।

स्पष्टीकरण : कोई विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) अथवा कोई उप-खाता, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियमावली, 1995 के तहत पंजीकृत है, तथा उसके पास सेबी के पंजीकरण का वैध प्रमाणपत्र है, तो

सेबी (एफपीआई) विनियमावली, 2014 की प्रभावी तिथि से तीन वर्ष की ब्लॉक अवधि की समाप्ति तक उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) माना जाएगा।

(xxi) **“सरकारी अनुमोदन”** अर्थात् भूतपूर्व औद्योगिक सहायता सचिवालय (SIA), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार और / अथवा भूतपूर्व विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) और / अथवा भारत सरकार का कोई मंत्रालय अथवा विभाग, जैसा भी मामला हो; का अनुमोदन।

(xxii) **“समूह कंपनी”** अर्थात् दो अथवा उससे अधिक उद्यम, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थिति में हो कि (ए) वे दूसरे उद्यम में 26% या उससे अधिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें; अथवा (बी) दूसरे उद्यम में 50% से अधिक निदेशक बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कर सकें।

(xxiii) **“भारतीय कंपनी”** अर्थात् वह कंपनी जो भारत में निगमित है और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत की गई है;

(xxiv) **“भारतीय निक्षेपागार रसीदें (IDRs)”** अर्थात् एक ऐसी लिखत जो निक्षेपागार रसीद के रूप में भारत में किसी घरेलू निक्षेपागार द्वारा निर्मित की गई हो, और जिसे ऐसी रसीदों का निर्गम करनेवाली भारत से बाहर निगमित किसी कंपनी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(xxv) **“भारतीय एंटीटी”** अर्थात् कोई भारतीय कंपनी अथवा एल.एल.पी.

(xxvi) **“निवेशक कंपनी”** अर्थात् कोई ऐसी भारतीय कंपनी जो अन्य भारतीय कंपनी/यों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में केवल निवेश धारण करती है, किन्तु वह धारिता / प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग के लिए नहीं है। है।

(xxvii) **“निवेश”** अर्थात् भारत में निवासी किसी व्यक्ति किसी प्रतिभूति अथवा यूनिट में अभिदान, अर्जन, उसे धारण करना अथवा उसका अंतरण करना;

स्पष्टीकरण :

(ए) इसमें भारत के बाहर से जारी निक्षेपागार रसीदों का अर्जन, धारिता अथवा अंतरण भी शामिल होगा जिसके लिए भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा जारी की गई प्रतिभूति अंतर्निहित (underlying) हो।;

(बी) एलएलपी के मामले में निवेश का अर्थ उस एलएलपी की पूंजी में अंशदान अथवा लाभ शेयरों का अधिग्रहण/ अंतरण होगा।

(xxviii) **“प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश”** का अर्थ है ऐसा निवेश जिसकी करें को घटाकर प्राप्त विक्रीगत आय/ परिपक्वता आय भारत के बाहर प्रत्यावर्तित करने के लिए पात्र है तथा “अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश” इस अभिव्यक्ति को तदनुसार समझा जाएगा।

(xxix) **“निवेश माध्यम”** का अर्थ है ऐसी एंटीटी है जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अथवा इस प्रयोजन के लिए नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित संबन्धित विनियमों के तहत पंजीकृत और विनियमित है और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (REITs) विनियमावली, 2014 द्वारा प्रशासित रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (InvIts) विनियमावली, 2014 द्वारा प्रशासित इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (AIFS) विनियमावली, 2012 द्वारा प्रशासित अल्टरनेटिव निवेश निधियाँ इसमें शामिल हैं।

(xxx) **“सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)”** का अर्थ है सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत बनाई गयी तथा पंजीकृत भागीदारी।

(xxxi) **“सूचीबद्ध भारतीय कंपनी”** का अर्थ है ऐसी भारतीय कंपनी जिसके पूंजीगत लिखत में से कोई भी लिखत मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है और “सूचीबद्ध नहीं की गई भारतीय कंपनी” इस अभिव्यक्ति को तदनुसार समझा जाएगा।

(xxxii) **“विनिर्माण”** का उसके व्याकरणिक भिन्नताओं के साथ अर्थ होगा किसी निर्जीव भौतिक चीज, वस्तु अथवा पदार्थ में परिवर्तन, (ए) जिसके परिणामस्वरूप उस चीज, वस्तु अथवा पदार्थ का अलग नाम, स्वरूप तथा उपयोग वाली किसी नई तथा भिन्न चीज, वस्तु अथवा पदार्थ में रूपान्तरण होता है; अथवा (बी) किसी भिन्न रसायनिक बनावट अथवा अंगभूत रचना वाली नई तथा अलग चीज, वस्तु अथवा पदार्थ को अस्तित्व में लाना।

(xxxiii) **"एनआरई खाता"** का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार बनाए रखा गया अनिवासी बाह्य खाता;

(xxxiv) **"एनआरओ खाता"** का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार बनाए रखा गया अनिवासी साधारण खाता;

(xxxv) **"अनिवासी भारतीय(एनआरआई)"** का अर्थ है भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जो भारत का नागरिक है।

(xxxvi) **'भारत का समुद्रपारीय नागरिक (ओसीआई)'** का अर्थ है भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जो कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7(ए) के अंतर्गत भारत का समुद्रपारीय नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है।

(xxxvii) **'निवासी भारतीय नागरिक'** का अर्थ है एस व्यक्ति जो भारत में निवास करता है और भारत के संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार भारत का नागरिक है।

(xxxviii) **'औद्योगिक सहायता सचिवालय'** का अर्थ है औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में औद्योगिक सहायता सचिवालय;

(xxxix) **'किसी क्षेत्र-विशेष के लिए निर्धारित सीमा'** का अर्थ है अधिकतम निवेश जिसमें जब तक अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, किसी कंपनी के पूंजीगत लिखतों अथवा एलएलपी की पूंजी, जैसी स्थिति हो, में भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर किया विदेशी निवेश तथा अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों शामिल हैं; यह भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता एंटीटी के लिए सम्मिश्र सीमा होगी।

स्पष्टीकरण:

(ए) एफसीसीबी तथा डीआर जिनके कर्ज के स्वरूप के अंतर्निहित लिखित हैं, को किसी क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा।

(बी) भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत किसी कर्ज लिखत के परिवर्तन के परिणामस्वरूप इक्विटी धारिता को किसी क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा के अंतर्गत गिना जाएगा;

(x1) **'एसएनएनआर खाता'** का अर्थ है का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार बनाए रखा गया विशेष अनिवासी रुपया खाता;

(x1i) **'स्टार्टअप'** का अर्थ ऐसी एंटीटी से है जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिनांक 17 फरवरी 2016 की अधिसूचना जी.एस.आर. सं. 180(ई), में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती हों। "

(x1ii) **'स्टार्टअप कंपनी'** का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित निजी कंपनी तथा जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिनांक 17 फरवरी 2016 की अधिसूचना जी.एस.आर. सं. 180(ई) के अनुसार इस रूप में मान्यताप्राप्त है और उसमें निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती हों। "

(x1iii) **'स्वेट इक्विटी शेयर'** का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित किए गए स्वेट इक्विटी शेयर।

(x1iv) **'हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर)'** का अर्थ वही होगा जो उसे अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बनाए गए विनियमों में दिया गया है;

(x1v) **'यूनिट'** का अर्थ होगा निवेश माध्यम में किसी निवेशक का लाभकारी हित

(x1vi) **'जोखिम पूंजी निधि'** का अर्थ है किसी ट्रस्ट, कंपनी जिसमें कॉर्पोरेट निकाय शामिल है के रूप में स्थापित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियमावली, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत निधि;

(x1vii) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संबन्धित अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं।

3. भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश पर प्रतिबंध

अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम अथवा विनियमों में अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर भारत के बाहर का निवासी कोई भी व्यक्ति भारत में निवेश नहीं करेगा।

बशर्ते यह कि अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम अथवा विनियमों के अनुसार किए गए तथा इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख को धारित निवेश के संबंध में यह मान लिया जाएगा कि निवेश इन विनियमों के अंतर्गत किया गया है और तदनुसार इन विनियमों द्वारा प्रशासित होगा।

बशर्ते यह भी कि रिज़र्व बैंक उसे किए गए आवेदन पर और पर्याप्त कारणों के लिए आवश्यक समझी गई शर्तों के अधीन भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को भारत में कोई निवेश करने की अनुमति प्रदान करेगा।

4. निवेश प्राप्त करने पर प्रतिबंध

अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम अथवा विनियमों में अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर, कोई भारतीय एंटीटी अथवा निवेश माध्यम, अथवा जोखिम पूंजी निधि अथवा कोई फ़र्म, अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा कोई स्वामित्व संस्था, भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति से कोई निवेश प्राप्त नहीं कर नहीं कर सकती है अथवा ऐसे निवेश को अपनी बहियों में रिकार्ड भी नहीं कर सकती है।

बशर्ते यह कि रिज़र्व बैंक उसे किए गए आवेदन पर और पर्याप्त कारणों के लिए आवश्यक समझी गई शर्तों के अधीन कोई भारतीय एंटीटी अथवा निवेश माध्यम, अथवा जोखिम पूंजी निधि अथवा कोई फ़र्म, अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा कोई स्वामित्व संस्था को भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति से कोई निवेश प्राप्त करने के लिए अथवा ऐसे निवेश को अपनी बहियों में रिकार्ड करने की अनुमति प्रदान करता है।

5. भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश करने के लिए अनुमति

जब तक कि इन विनियमों अथवा संबंधित अनुसूचियों में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी निवेश इन विनियमों में ऐसे निवेश के लिए निर्धारित किए गए प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा अथवा निवेश सीमाएं जैसी स्थिति हो, तथा अन्य अनुवर्ती शर्तों के अधीन होगा। भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति निम्नानुसार निवेश कर सकता है:

(1) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति अनुसूची 1 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत में अभिदान, खरीद अथवा बेच सकता है।

बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो कि बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान का नागरिक है अथवा बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान में निगमित एंटीटी है, सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना पूंजीगत लिखत खरीद नहीं सकता है।

बशर्ते यह भी कि कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान का नागरिक है अथवा कोई ऐसी एंटीटी, जो पाकिस्तान में निगमित है, वह रक्षा, अन्तरिक्ष, परमाणु-ऊर्जा तथा विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों/गतिविधियों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों / गतिविधियों में केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत निवेश कर सकता है।

नोट: तेल क्षेत्र की भारतीय कंपनियों द्वारा भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को 'पार्टीसिपेटिंग इंटरेस्ट/राइट' जारी करने / अंतरित करने को विदेशी निवेश माना जाएगा तथा इसमें अनुसूची-1 में दी गई शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(2) विदेशी संविभाग निवेशक(एफ़पीआई) अनुसूची 2 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत खरीद अथवा बेच सकता है।

(3) कोई अनिवासी भारतीय अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक अनुसूची 3 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से प्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत खरीद अथवा बेच सकता है।

(4) कोई अनिवासी भारतीय अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक अनुसूची 4 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत खरीद अथवा बेच सकता है अथवा यूनिट्स खरीद अथवा बेच सकता है अथवा एलएलपी अथवा कोई फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था की पूंजी में अंशदान दे सकता है।

(5) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति जिसे उस प्रयोजन से रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार से विचारविमर्श कर अनुमति दी गई है, अनुसूची 5 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से पूंजीगत लिखतों को छोड़कर अन्य प्रतिभूतियां खरीद या बेच सकता है।

टिप्पणी: विदेशी संविभाग निवेशक(एफपीआई) अथवा अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं तथा अनुसूची 5 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन समय समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमानित सभी एक्स्चेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाओं में ट्रेड अथवा निवेश कर सकता है।

(6) बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान का नागरिक अथवा बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान में निगमित एंटीटी को छोड़कर भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति अनुसूची 6 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से या तो पूंजी में अंशदान अथवा एलएलपी के लाभ शेयरों के अधिग्रहण/अंतरण के माध्यम से निवेश कर सकता है।

(7) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक अनुसूची 7 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से निवेश कर सकता है।

(8) बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान का नागरिक अथवा बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान में निगमित एंटीटी को छोड़कर भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति अनुसूची 8 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से निवेश माध्यम के यूनिटों में निवेश कर सकता है।

(9) भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति अनुसूची 9 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से पात्र प्रतिभूतियों की जमानत पर विदेशी निक्षेपागारों द्वारा जारी की गई निक्षेपागार रसीदों (डीआर) में निवेश कर सकता है।

(10) विदेशी संविभाग निवेशक(एफपीआई)अथवा अनिवासी भारतीय अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक अनुसूची 10 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से भारत के बाहर की निवासी कंपनियों की तथा भारतीय पूंजी बाजार में जारी की गई भारतीय निक्षेपागार रसीदों(आईडीआर) को खरीद, धारित अथवा बेच सकता है।

6. राइट्स निर्गम अथवा बोनस निर्गम के माध्यम से अधिग्रहण

भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति, जिसका भारतीय कंपनी में निवेश है, ऐसी कंपनी द्वारा राइट्स निर्गम अथवा बोनस निर्गम के रूप में जारी किए गए पूंजीगत लिखत (शेयर वॉरंट को छोड़कर) में निवेश कर सकता है, बशर्ते:

- (1) भारतीय कंपनी द्वारा किया गया प्रस्ताव कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार है।
- (2) ऐसे निर्गम के परिणामस्वरूप कंपनी पर लागू होनेवाली क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा का उल्लंघन नहीं होगा।
- (3) जिस शेयर धारिता के आधार पर राइट्स निर्गम अथवा बोनस निर्गम किया गया है उसे इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अर्जित तथा धरण किया गया होना चाहिए।
- (4) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों को राइट्स निर्गम कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर किया जाएगा।
- (5) सूचीबद्ध न की गई भारतीय कंपनी के मामले में भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों को राइट्स निर्गम भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित मूल्य से कम नहीं होगा।
- (6) राइट्स निर्गम अथवा बोनस निर्गम के माध्यम से किया गया ऐसा निवेश , ऐसे निर्गम के समय यथालागू शर्तों के अधीन होगा।
- (7) पूंजीगत लिखतों की विक्रीगत आय (कर को घटकर) को भारत के बाहर विप्रेषित किया जाए अथवा संबंधित व्यक्ति के एनआरआई/ एफसीएनआर(बी) खाते में जमा किया जाए।

नोट : जहां मूल निवेश अ-प्रत्यावर्तनीय आधार पर किया गया है, वहाँ प्रतिफल राशि का भुगतान भी विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में रखे गए एनआरओ (NRO) खाते में डेबिट कर के किया जा सकता है।

बशर्ते कोई व्यक्ति जो कि भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति है जिसने भारत में निवास करने वाला व्यक्ति होने के समय जारी किया गया राइट्स निर्गम निष्पादित किया था, इस प्रकार से विकल्प को निष्पादित करके अर्जित किए गए पूंजीगत लिखतों (शेयर वॉरंट को छोड़कर) को अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारित करेगा।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त शर्तें उस मामले में भी लागू होंगी जहां भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति ऐसे पूंजीगत लिखतों (शेयर वॉरंट को छोड़कर) में निवेश करता है जिन्हें भारतीय कंपनी द्वारा राइट्स निर्गम के रूप में जारी किया था और जिस व्यक्ति को प्रस्तावित किया गया था उसने छोड़ दिए थे।

7. एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन योजना के अंतर्गत भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों को शेयर का निर्गम

भारतीय कंपनी भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को, जो उसके कर्मचारी / निदेशक है अथवा उसकी होल्डिंग कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली समुद्रपारीय सहायक कंपनी/ सहायक कंपनियों के कर्मचारियों/ निदेशकों को एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन तथा /अथवा 'स्वेट इक्विटी शेयर्स' जारी कर सकती है, बशर्ते;

(1) उक्त योजना या तो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 अथवा केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित कंपनी(शेयर पूंजी तथा डिवेंचर्स) नियमावली, 2014, जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत जारी किए गए विनियमों के अनुसार बनाई गई है;

(2) यथा लागू नियमों/ विनियमों के अंतर्गत इस तरह जारी किए गए एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन/ 'स्वेट इक्विटी शेयर्स', उक्त कंपनी पर लागू क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा का अनुपालन करते हैं।

(3) ऐसी कंपनी में एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन/ 'स्वेट इक्विटी शेयर्स' के निर्गम जहां भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किया गया निवेश अनुमोदन मार्ग से है, के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। बांग्लादेश/ पाकिस्तान के नागरिक को एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन/ 'स्वेट इक्विटी शेयर्स' के निर्गम के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

बशर्ते कोई व्यक्ति जो कि भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति है जिसने भारत में निवास करने वाला व्यक्ति होने के समय जारी किया गया ऑप्शन निष्पादित किया था, इस प्रकार से ऑप्शन को निष्पादित करके अर्जित किए गए शेयरों को अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारित करेगा।

8. भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा परिवर्तनीय नोटों का निर्गम

(1) भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति (ऐसे व्यक्ति को छोड़कर जो बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान का नागरिक अथवा बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान में निगमित एंटीटी है) एक हिस्से में पच्चीस लाख अथवा उससे अधिक राशि के लिए भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा जारी किए गए परिवर्तनीय नोट खरीद सकता है।

(2) ऐसे क्षेत्र में लिप्त स्टार्टअप कंपनी जिसमें निवेश करने के लिए भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति को सरकार का अनुमोदन आवश्यक है, केवल ऐसा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति को इस प्रकार के परिवर्तनीय नोट जारी कर सकती है। इसके अलावा ऐसे परिवर्तनीय नोटों की जमानत पर इक्विटी शेयरों का निर्गम भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए निर्धारित किए गए प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश तथा अन्य अनुवर्ती शर्तों के अनुसार होगा।

(3) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को परिवर्तनीय नोट जारी करने वाली स्टार्टअप कंपनी को प्रतिफल की राशि बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक विप्रेषण द्वारा अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार खोले गए संबंधित व्यक्ति के एनआरई/ एफसीएनआर(बी)/ एस्क्रो खाते में नामे डालकर प्राप्त होगी। धन वापसी अथवा बिक्रीगत आय को भारत के बाहर विप्रेषित किया जाएगा अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार खोले गए संबंधित व्यक्ति के एनआरई/ एफसीएनआर(बी)/ एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा।

(4) कोई एनआरआई अथवा ओसीआई इन विनियमों की अनुसूची 4 के अनुसार अप्रत्यावर्तनीय आधार पर परिवर्तनीय नोट अर्जित कर सकत है।

(5) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति बिक्री के माध्यम से भारत के निवासी व्यक्ति अथवा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति से या को परिवर्तनीय नोट अर्जित अथवा अंतरित कर सकता है बशर्ते उक्त अंतरण पूंजीगत लिखतों के लिए निर्धारित प्रवेश मार्ग अथवा मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

9. भारतीय कंपनियों का विलयन अथवा विलगाव अथवा समामेलन

1) जहां दो या उससे अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन अथवा समामेलन की योजना अथवा किसी भारतीय कंपनी के विलगाव अथवा अन्यथा के माध्यम से पुनर्रचना के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) द्वारा अनुमोदन दिया गया है, वहाँ अंतरिती कंपनी अथवा नई कंपनी जैसी स्थिति हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरणकर्ता कंपनी के भारत के बाहर के निवासी वर्तमान धारकों को पूंजीगत लिखत जारी कर सकते हैं:

(ए) अंतरण अथवा निर्गम, प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित निवेश सीमा (सैक्टरल कैप्स) अथवा निवेश सीमाओं, जैसी स्थिति हो तथा नई कंपनी की अनुवर्ती शर्तों के अनुसार है,

बशर्ते यह कि जहां यह संभव है कि प्रतिशतता से क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित निवेश सीमा अथवा अनुवर्ती शर्तों का उल्लंघन होगा वहां अंतरण कर्ता कंपनी अथवा अंतरिती कंपनी अथवा नई कंपनी केन्द्र सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(बी) अंतरण कर्ता कंपनी अथवा अंतरिती कंपनी अथवा नई कंपनी ऐसे किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं करेगी जिसमें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति का निवेश करना प्रतिबंधित है; तथा

(2) जहां भारतीय कंपनी के लिए व्यवस्था की योजना के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया गया है वहाँ भारतीय कंपनी भारत के बाहर निवासी शेयरधारकों को बोनस के वितरण के रूप में अपने सामान्य प्रारक्षित निधियों में से अपरिवर्तनीय प्रतिदेय अधिमान शेयर अथवा अपरिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर्स जारी कर सकती है जो कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा अर्थात:

(ए) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी में किया गया मूल निवेश इन विनियमों तथा संबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार है;

(बी) उक्त निर्गम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना में निर्धारित शर्तों, यदि हों, के अनुसार है;

(सी) भारतीय कंपनी ऐसे किसी कार्य/ क्षेत्र में काम नहीं करेगी जिसमें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश प्रतिबंधित है।

10. भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा अथवा को किसी भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखतों का अंतरण

इन विनियमों के अनुसार भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट धारण करने वाला भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति अथवा भारत का निवासी व्यक्ति इन विनियमों की संबंधित अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, के अनुपालन में तथा यहाँ नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उसके द्वारा धारित ऐसे पूंजीगत लिखतों अथवा यूनिटों को अंतरित कर सकता है।

(1) भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति जो कि अनिवासी भारतीय अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक अथवा पूर्ववर्ती समुद्रपारीय कॉर्पोरेट निकाय नहीं है, भारतीय कंपनी के उसके द्वारा धारित पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट्स भारत के बाहर के निवासी किसी भी व्यक्ति को बिक्री अथवा उपहार के रूप में अंतरित कर सकता है।

स्पष्टीकरण : उसमें भारत के बाहर निगमित अथवा रजिस्टर्ड एंटीटीज़/ कंपनियों के परिसमापन, विलयन, विलगाव तथा सम्मेलन के परिणामस्वरूप भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखतों का अंतरण भी शामिल होगा।

बशर्ते:

(i) यदि कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रही है जिसके लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक है तो किसी भी प्रकार के अंतरण के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(ii) जहां भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति एफ़पीआई है तथा इन विनियमों की अनुसूची 2 के अंतर्गत किए गए पूंजीगत लिखतों के अधिग्रहण से यथा लागू समग्र एफ़पीआई सीमाओं अथवा क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन हुआ है, वहाँ एफ़पीआई ऐसे पूंजी लिखत रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के साथ विचार-विमर्श कर निर्धारित किए गए समय के भीतर भारत के निवासी व्यक्ति को बेचेगा जो कि ऐसे लिखत धरण करने के लिए पात्र है। इस प्रकार के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अधिग्रहण तथा बिक्री के बीच की अवधि के लिए उक्त समग्र तथा क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा के उल्लंघन को इन विनियमों के अंतर्गत उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते निर्धारित समय-सीमा के भीतर बिक्री की गई है। इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देश लागू होंगे।

(2) प्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट धारण करने वाले अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) उन्हें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को बिक्री अथवा उपहार के माध्यम से अंतरित कर सकते हैं।

बशर्ते यह कि

(i) यदि कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रही है जिसके लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक है तो किसी भी प्रकार के अंतरण के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(ii) जहां इन विनियमों की अनुसूची 3 के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) द्वारा किए गए पूंजीगत लिखतों के अधिग्रहण से यथा लागू समग्र एनआरआई/ ओसीआई सीमाओं अथवा क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन हुआ है, वहाँ एनआरआई/ ओसीआई ऐसे पूंजी लिखत रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के साथ विचार-विमर्श कर निर्धारित किए गए समय के भीतर भारत के निवासी व्यक्ति को बेचेगा जो कि ऐसे लिखत धरण करने के लिए पात्र है। इस प्रकार के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अधिग्रहण तथा बिक्री के बीच की अवधि के लिए उक्त समग्र तथा क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा के उल्लंघन को इन विनियमों के अंतर्गत उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते निर्धारित समय-सीमा के भीतर बिक्री की गई है।

(3) इन विनियमों के अनुसार भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट धारण करने वाला भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति उन्हें भारत के निवासी व्यक्ति को बिक्री अथवा उपहार के माध्यम से अंतरित कर सकता है अथवा उन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर बेच सकता है।

बशर्ते यह कि

(i) बिक्री के माध्यम से किया गया अंतरण ऐसे अंतरणों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों, प्रलेखीकरण तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुसार तथा उनके अधीन किया गया है।

(ii) जहां भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धरण किए गए हैं वहाँ उपर्युक्त परंतुक (i) की शर्तें लागू नहीं होंगी।

(4) भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट्स धारण करनेवाला भारत का निवासी व्यक्ति अथवा इन विनियमों की अनुसूची 4 के अंतर्गत कोई एनआरआई, अथवा कोई ओसीआई अथवा पात्र निवेशक जिसने अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट्स धारण किए हैं, वह उन्हें ऐसे अंतरणों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए यथालागू प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा/ निवेश सीमाएं, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों तथा अन्य अनुवर्ती शर्तों तथा प्रलेखीकरण तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को बिक्री के माध्यम से अंतरित कर सकते हैं।

बशर्ते ऐसा अंतरण इन विनियमों की अनुसूची 4 के अंतर्गत अप्रत्यावर्तनीय आधार पर ऐसा निवेश अर्जित करने वाले कोई एनआरआई, अथवा कोई ओसीआई अथवा पात्र निवेशक को किया गया हो तो प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा/ निवेश सीमाएं, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों तथा अन्य अनुवर्ती शर्तें लागू नहीं होंगी।

(5) भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट्स धारण करनेवाला भारत का निवासी व्यक्ति अथवा इन विनियमों की अनुसूची 4 के अंतर्गत कोई एनआरआई, अथवा कोई ओसीआई अथवा पात्र निवेशक जिसने अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट्स धारण किए हैं, निर्धारित तरीके में रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन से तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन उन्हें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को उपहार के रूप में अंतरित कर सकता है।

(ए) दानग्राही (donee) इन विनियमों के संबंधित अनुसूचियों के अंतर्गत ऐसी प्रतिभूति धारण करने के लिए पात्र हैं।

(बी) उपहार भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी/ डिबेंचरों की प्रत्येक शृंखला/ प्रत्येक म्यूचुअल फंड योजना के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है;

स्पष्टीकरण: यह 5 प्रतिशत एकल व्यक्ति द्वारा दूसरे एकल व्यक्ति को संचयी आधार पर होगा।

(सी) भारतीय कंपनी पर लागू होने वाली क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है;

(डी) दानी तथा दानग्राही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) में दिए गए अर्थ के भीतर "रिश्तेदार" होंगे;

(ई) वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के बाहर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को उपहार के रूप में अंतरित की गए कोई भी प्रतिभूति सहित दानी द्वारा अंतरित की जानेवाली प्रतिभूति का मूल्य भारतीय रुपए में 50000 अमरीकी डालर से अधिक नहीं होना चाहिए;

(एफ) रिज़र्व बैंक द्वारा जनहित में आवश्यक समझी गई कोई अन्य शर्त;

(6) इन विनियमों की अनुसूची 4 के अंतर्गत कोई एनआरआई, अथवा कोई ओसीआई अथवा पात्र निवेशक जिसने अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट्स धारण किए हैं, उन्हें इन विनियमों की अनुसूची 4 के अंतर्गत कोई एनआरआई, अथवा कोई ओसीआई अथवा पात्र निवेशक को उपहार के रूप में अंतरित कर सकता है और वे उन्हें अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारित करेंगे।

(7) इन विनियमों के अनुसार भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत जिनमें वैकल्पिकता खंड निहित है को धारण तथा उक्त विकल्प/अधिकार को निष्पादित करनेवाला भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति किसी आश्रयित प्रतिलाभ के बिना निकास कर सकता है और ऐसा करना इन विनियमों में निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों तथा एक वर्ष की न्यूनतम लॉक-इन अवधि अथवा इन विनियमों में निर्धारित की गई न्यूनतम लॉक-इन अवधि, इनमें से जो भी उच्चतर हो के अधीन होगा;

(8) कोई पूर्ववर्ती समुद्रपारीय कॉर्पोरेट निकाय इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अधीन पूंजीगत लिखत अंतरित कर सकता है।

स्पष्टीकरण: "समुद्रपारीय कॉर्पोरेट निकाय (ओसीबी)" का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय कॉर्पोरेट निकाय(ओसीबी) को दी गई सामान्य अनुमति को रद्द करना) विनियमावली, 2003 के माध्यम से अमान्यकृत की गई एंटीटी;

(9) भारत में निवास करने वाले व्यक्ति तथा भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति के बीच पूंजीगत लिखतों के अंतरण के मामले में ऐसी राशि जो कुल प्रतिफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है का

(ए) अंतरण करार की तारीख से अठारह महीने से अनधिक अवधि के भीतर खरीदार द्वारा आस्थगित आधार पर भुगतान किया जाएगा;

(बी) खरीदार तथा बिक्रेता के बीच एस्क्रो व्यवस्था के माध्यम से अंतरण करार की तारीख से अठारह महीने से अनधिक अवधि के भीतर निपटान किया जाएगा;

(सी) यदि खरीदार द्वारा बिक्रेता को पूर्ण प्रतिफल का भुगतान किया गया है, तो बिक्रेता द्वारा प्रतिफल के पूर्ण भुगतान की तारीख से अठारह महीने से अनधिक अवधि के लिए क्षतिपूर्ति रखा जा सकता है।

बशर्ते शेयरों के लिए अंतिम रूप से दिया गया कुल प्रतिफल मूल्य निर्धारण से संबंधित यथालागू दिशानिर्देशों के अनुसार है।

(10) भारत में निवास करने वाले व्यक्ति तथा भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति के बीच पूंजीगत लिखतों के अंतरण के मामले में भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार एस्क्रो खाता खोल सकता है। ऐसे एस्क्रो खाते का निधियन विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक विप्रेषण से तथा/ अथवा प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी की गई गारंटी के माध्यम से किया जा सकता है।

(11) इन विनियमों में निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की विनियमावली के अनुसार की गई बिक्री के माध्यम से किए गए अंतरण जहां मूल्यन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है, पर लागू नहीं होंगे।

(12) प्लेज के माध्यम से भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखतों अथवा निवेश माध्यम के यूनिटों का अंतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(ए) कोई व्यक्ति जो कि भारत में पंजीकृत कंपनी (उधारकर्ता कंपनी), जिसने विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2000 के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाया है, का प्रवर्तक है उधारकर्ता कंपनी द्वारा जुटाये गए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की जमानत के प्रयोजन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन उधारकर्ता कंपनी अथवा उसकी सहायक निवासी कंपनियों के शेयर प्लेज कर सकते हैं।

(i) ऐसे प्लेज की अवधि अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की परिपक्वता के साथ समाप्त (को-टेर्मिनस) होगी।

(ii) प्लेज को लागू किए जाने के मामले में अंतरण इन विनियमों के तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार होगा;

(iii) सांविधिक लेखाकार ने यह प्रमाणित किया है कि उधारकर्ता कंपनी बाह्य वाणिज्यिक उधार से प्राप्त राशि का उपयोग अनुमत अंतिम उपयोग के लिए करेगी/किया है।

(iv) जब तक की किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक से इस आशय का अनापत्ति पत्र प्राप्त न किया गया हो कि उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किया गया है तब तक कोई व्यक्ति ऐसा कोई शेयर प्लेज नहीं करेगा।

(बी) भारत के बाहर निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत अथवा निवेश माध्यम की यूनिटों को धारण किया है, पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट जैसी स्थिति हो, प्लेज कर सकता है:

(i) वास्तविक प्रयोजनों के लिए ऐसी भारतीय कंपनी को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं की जमानत के लिए भारत में स्थित किसी बैंक के पक्ष में ;

(ii) ऐसे व्यक्ति अथवा भारत के बाहर निवास करनेवाला कोई व्यक्ति जो कि ऐसी भारतीय कंपनी का प्रवर्तक है अथवा ऐसी भारतीय कंपनी की समुद्रपारीय समूह कंपनी को प्रदान की जानेवाली ऋण सुविधाओं की जमानत के रूप में किसी समुद्रपारीय बैंक के पक्ष में;

(iii) वास्तविक प्रयोजनों के लिए ऐसी भारतीय कंपनी को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं की जमानत के लिए रिज़र्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पक्ष में;

(iv) प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बात से संतुष्ट होने के अधीन की इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन किया गया है;

(सी) प्लेज लागू किए जाने के मामले में, प्लेज के सृजन के समय प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा/ निवेश सीमाएं, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों तथा अन्य अनुवर्ती शर्तों के अनुसार भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखतों अथवा यूनिटों का अंतरण किया जाएगा।

11. मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश

जब तक कि इन विनियमों अथवा संबंधित अनुसूची में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया है, भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखतों की कीमत :

(1) ऐसी कंपनी द्वारा भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति को जारी किए गए पूंजी लिखत की कीमत निम्नलिखित से कम नहीं होगी :

(ए) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटि शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमावली, 2009 के अनुसार असूचीबद्धता की प्रक्रियाधीन कंपनी के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकलित कीमत;

(बी) किसी सूचीबद्ध न की गई भारतीय कंपनी के मामले में आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए मूल्यांकन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार पूंजीगत लिखतों का मूल्यांकन जिसे सनदी लेखाकर, अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर अथवा व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है।

स्पष्टीकरण: परिवर्तनीय पूंजीगत लिखतों के मामले में लिखत का कीमत निर्धारण/ परिवर्तन का फॉर्मूला लिखत के निर्गम के समय पहले ही निर्धारित किया जाना चाहिए। परिवर्तन के समय की कीमत किसी भी मामले में इन विनियमों के अनुसार ऐसे लिखत जारी करते समय अभिकलित उचित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) भारत में निवास करने वाले व्यक्ति से भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को अंतरित किए गए पूंजी लिखत की कीमत निम्नलिखित से कम नहीं होगी

(ए) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकलित कीमत;

(बी) ऐसी कीमत जिसपर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटि शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमावली, 2009 के अनुसार असूचीबद्धता की प्रक्रियाधीन कंपनी के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के यथालागू दिशानिर्देशों के अंतर्गत शेयरों का अधिमानी आवंटन किया जा सकता है।

(सी) किसी सूचीबद्ध न की गई भारतीय कंपनी के मामले में आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए मूल्यांकन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार पूंजीगत लिखतों का मूल्यांकन जिसे सनदी लेखाकर, अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर अथवा व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है।

(3) भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा भारत में निवास करने वाले व्यक्ति को अंतरित किए गए पूंजी लिखत की कीमत निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी

(ए) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकलित कीमत;

(बी) ऐसी कीमत जिसपर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमावली, 2009 के अनुसार असूचीबद्धता की प्रक्रियाधीन कंपनी के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के यथालागू दिशानिर्देशों के अंतर्गत शेयरों का अधिमानी आवंटन किया जा सकता है।

बशर्ते कीमत का निर्धारण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के संबंधित तारीख जो कि शेयरों की खरीद अथवा बिक्री की तारीख होगी, के पहले के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया गया है।

(सी) किसी सूचीबद्ध न की गई भारतीय कंपनी के मामले में आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए मूल्यांकन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार पूंजीगत लिखतों का मूल्यांकन जिसे सनदी लेखाकर, अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर अथवा व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है।

स्पष्टीकरण: मार्गदर्शी सिद्धान्त यह होगा कि भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को ऐसा निवेश/ करार करते समय कोई आश्वसित निकास मूल्य की गारंटी नहीं है और वह निकास के समय प्रचलित मूल्य पर निकास करेगा।

(4) पूंजीगत लिखतों के स्वैप के मामले में इस शर्त के अधीन कि राशि पर ध्यान दिए बिना, स्वैप व्यवस्था में सम्मिलित मूल्यांकन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर अथवा मेजबान देश के किसी उचित विनियामक प्राधिकरण के पास रजिस्टर किए गए कोई भारत के बाहर के निवेश बैंकर द्वारा किया गया हो;

(5) जहां कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संस्था के बहिर्नियम में अंशदान के माध्यम से किसी भारतीय कंपनी के शेयर भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को जारी किए जाते हैं, वहाँ प्रवेश मार्ग तथा क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा के अधीन ऐसे निवेश अंकित मूल्य पर किए जाएंगे।

(6) शेयर वॉरंट के मामले में उनका मूल्य निर्धारण तथा कीमत / परिवर्तन फॉर्मूला पहले ही निश्चित किया जाएगा।

बशर्ते मूल्य निर्धारण दिशा निर्देश भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजी लिखतों में किए जाने वाले निवेश पर लागू नहीं होंगे।

12. कर तथा बिक्रीगत आय का विप्रेषण

12.1 कर

इन विनियमों के अंतर्गत किए गए सभी लेन-देन भारत में बैंकिंग चैनल के माध्यम से किए जाएंगे तथा भारत में यथालागू कर तथा अन्य शुल्क/ लेवी के भुगतान के अधीन होंगे।

12.2 बिक्रीगत आय का विप्रेषण

(1) इन विनियमों तथा संबंधित अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किए बिना भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा धारित प्रतिभूति की बिक्रीगत आय का विप्रेषण नहीं किया जा सकता है;

(2) कोई प्राधिकृत व्यापारी भारत के बाहर निवास करने वाले विक्रेता को किसी प्रतिभूति की बिक्रीगत आय (यथालागू करों को घटाकर) का विप्रेषण करने की अनुमति दे सकता है;

बशर्ते-

(i) प्रतिभूति विक्रेता द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर धारित की गई थी तथा

(ii) या तो प्रतिभूति मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों के अनुपालन में बेची गई है अथवा अन्य मामलों में प्रतिभूति की बिक्री तथा उसकी बिक्रीगत आय के विप्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त किया गया है;

13. रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

13.1 भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में किए जाने वाले किसी भी निवेश के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ निम्नानुसार हैं:

(1) अग्रिम विप्रेषण फॉर्म(एआरएफ़): कोई भारतीय कंपनी जिसने पूंजीगत लिखतों के निर्गम के लिए प्रतिफल की राशि प्राप्त की है तथा जहाँ इन विनियमों के प्रयोजन से ऐसे निर्गम को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मान लिया गया है, ऐसी प्राप्ति (प्रत्येक प्रारम्भिक / कॉल भुगतान सहित) का प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को एआरएफ़ में रिपोर्ट करेगी।

(2) फॉर्म फ़ॉरेन करेंसी- ग़्रोस(gross) प्रोविशनल रिटर्न(एफ़सी-जीपीआर): कोई भारतीय कंपनी जिसने भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को पूंजीगत लिखत जारी किए हैं और जहाँ इन विनियमों के प्रयोजन से ऐसे निर्गम को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मान लिया गया है, पूंजी लिखत जारी करने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर कंपनी का रजिस्टर किया गया कार्यालय रिज़र्व बैंक के जिस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है, उसे ऐसे निर्गम का फॉर्म एफ़सी-जीपीआर में रिपोर्ट करेगी। तेल क्षेत्र संबंधी 'पार्टीसिपेटिंग इंटरेस्ट/राइट' जारी करने को फॉर्म एफ़सीजीपीआर (FC-GPR) के तहत रिपोर्ट किया जाएगा।

(3) विदेशी देयताओं तथा आस्तियों पर वार्षिक विवरणी (एफ़एलए): कोई भारतीय कंपनी जिसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किए हैं अथवा एलएलपी जिसने वर्तमान वर्ष सहित पिछले वर्ष(वर्षों) में पूंजीगत अंशदान के रूप में निवेश प्राप्त किया है, को प्रत्येक वर्ष जुलाई की 15 तारीख को अथवा उससे पूर्व रिज़र्व बैंक को फॉर्म एफ़एलए प्रस्तुत करना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन से अप्रैल से मार्च की अवधि को आधार वर्ष मन लिया जाएगा।

(4) फॉर्म फ़ॉरेन करेंसी – शेयरों का अंतरण (एफ़सी-टीआरएस):

(ए) फॉर्म एफ़सीटीआरएस इन विनियमों के अनुसार निम्नलिखित के बीच पूंजीगत लिखतों के अंतरण के लिए फ़ाइल किया जाएगा:

(1) भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं तथा भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण किए हैं; तथा

(2) भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं तथा भारत में निवास करने वाला व्यक्ति,

रिपोर्टिंग का दायित्व निवासी अंतरणकर्ता/ अंतरिती अथवा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण करने वाले भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, जैसी स्थिति हो, का होगा।

टिप्पणी: इन विनियमों के अनुसार अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण करने वाले भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति तथा भारत के निवासी व्यक्ति के बीच बिक्री के रूप में पूंजीगत लिखतों के अंतरण की एफ़सी-टीआरएस फॉर्म में रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।

(बी) भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किए गए पूंजीगत लिखतों के अंतरण की ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यापारी बैंक को फॉर्म एफ़सी-टीआरएस में रिपोर्ट की जाएगी।

(सी) विनियम 10(9) में निर्धारित पूंजीगत लिखतों के अंतरण की, भुगतान के प्रत्येक भाग की प्राप्ति पर प्राधिकृत व्यापारी को फॉर्म एफ़सी-टीआरएस में रिपोर्ट की जाएगी। रिपोर्टिंग का दायित्व निवासी अंतरणकर्ता/ अंतरिती पर होगा।

पूंजीगत लिखतों के अंतरण अथवा निधियों की प्राप्ति/ विप्रेषण से साठ दिन, जो भी पहले हो, के भीतर प्राधिकृत व्यापारी बैंक में फॉर्म एफ़सी-टीआरएस फाइल किया जाएगा।

(डी) तेल क्षेत्र संबंधी 'पार्टीसिपेटिंग इंटरेस्ट/राइट' अंतरित (ट्रान्सफर) करने को फॉर्म एफ़सी-टीआरएस (FC-TRS) के तहत रिपोर्ट किया जाएगा।

(5) फॉर्म एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन (ईएसओपी): भारतीय कंपनी जिसने भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों जो उसके कर्मचारी / निदेशक है अथवा उसकी होल्डिंग कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली समुद्रपारीय सहायक कंपनी/ सहायक कंपनियों के कर्मचारियों/ निदेशकों को एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन जारी किए हैं, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन जारी करने की तारीख से 30 दिन की

अवधि के भीतर कंपनी का रजिस्टर किया गया कार्यालय रिज़र्व बैंक के जिस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है, उसे फॉर्म ईएसपीओ प्रस्तुत करेगी।

(6) फॉर्म निक्षेपागार रसीद विवरणी (डीआरआर): निक्षेपागार प्राप्ति योजना, 2014 के अनुसार जारी की गई निक्षेपागार रसीदों के निर्गम/ अंतरण की रिपोर्ट घरेलू अभिरक्षक निर्गम की समाप्ति की 30 दिन की अवधि के भीतर रिज़र्व बैंक को फॉर्म डीआरआर में करेगा।

(7) फॉर्म सीमित देयता भागीदारी(I) : कोई सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) जिसे पूंजीगत अंशदान तथा लाभ शेयरों के अधिग्रहण के प्रतिफल की राशि प्राप्त हुई है, वह प्रतिफल की राशि प्राप्त करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) का रजिस्टर किया गया कार्यालय रिज़र्व बैंक के जिस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है, उसे फॉर्म एलएलपी(II) प्रस्तुत करेगी।

(8) फॉर्म सीमित देयता भागीदारी(II): किसी निवासी तथा अनिवासी (अथवा इसके विपरीत) के बीच पूंजीगत अंशदान अथवा लाभ शेयर के विनिवेश/ अंतरण का प्राधिकृत व्यापारी बैंक को निधियों की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर फॉर्म एलएलपी(II) में रिपोर्ट किया जाएगा।

(9) एलईसी(एफआईआई): प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंक, भारत में स्टॉक एक्स्चेंज पर एफपीआई द्वारा की गई पूंजीगत लिखितों की खरीद/ अंतरण का भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म एलईसी(एफआईआई) में रिपोर्ट करेगा।

(10) एलईसी(एनआरआई): प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंक, भारत में स्टॉक एक्स्चेंज पर अनिवासी भारतियों अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिकों द्वारा की गई पूंजीगत लिखितों की खरीद/ अंतरण का भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म एलईसी(एनआरआई) में रिपोर्ट करेगा।

(11) डाउन स्ट्रीम निवेश : कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी अन्य भारतीय कंपनी में डाउन स्ट्रीम निवेश किया है और जिसे इन विनियमों के अनुसार निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना गया है, ऐसे निवेश से 30 दिन के भीतर तथा नए/ विद्यमान उद्यमों (विस्तार कार्यक्रमों सहित) में निवेश के तौर-तरीकों के साथ पूंजीगत लिखितों का आबंटन न किए जाने पर भी औद्योगिक सहायता सचिवालय, डीआईपीपी को अधिसूचित करेगी तथा फॉर्म डीआई फ़ाइल करेगी।

(12) फॉर्म परिवर्तनीय नोट(सीएन):

(ए) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को परिवर्तनीय नोट जारी करने वाली भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी ऐसी आवक राशि की रिपोर्ट ऐसे निर्गम से 30 दिन की अवधि के भीतर फॉर्म सीएन में प्राधिकृत व्यापारी बैंक को करेगी।

(बी) भारत में निवासी व्यक्ति, जो कि भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय नोट का अंतरणकर्ता अथवा अंतरित है, भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को अथवा से ऐसे अंतरणों, जैसी स्थिति हो, की रिपोर्ट 30 दिन की अवधि के भीतर फॉर्म सीएन में प्राधिकृत व्यापारी बैंक को करेगी।

(सी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक रिज़र्व बैंक को समेकित विवरण प्रस्तुत करेगा।

वर्तते ऐसे रिपोर्टिंग का फ़ारमेट, आवधिकता तथा प्रस्तुति का तरीका इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार की होगा।

वर्तते यह भी कि जब तक इन नियमों में विशिष्ट रूप से अन्यथा ऐसा कहा नहीं गया हो सभी प्रकार की रिपोर्टिंग किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से अथवा द्वारा, जैसी स्थिति हो, की जाएगी।

13.2 रिपोर्टिंग में विलंब

रिपोर्टिंग करने में विलंब होने पर उपर्युक्त विनियम 13.1 में दिए गए रिपोर्टों को फ़ाइल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/ एंटीटी पर रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार के साथ विचारविमर्श करके तय किए गए विलंब से प्रस्तुति के लिए लगाए गए शुल्क का भुगतान करने का दायित्व होगा।

14. डाउनस्ट्रीम निवेश

(1) इस विनियम के प्रयोजन से:

(ए) “भारतीय कंपनी का स्वामित्व” का अर्थ होगा ऐसी कंपनी के पूंजीगत लिखतों के 50 प्रतिशत से अधिक की लाभकारी धारिता। “एलएलपी का स्वामित्व” का अर्थ होगा उसकी पूंजी में 50 प्रतिशत से अधिक का अंशदान तथा लाभ में बहुलांश हिस्सा।

(बी) “निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनी” का अर्थ होगा ऐसी भारतीय कंपनी जिसका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों तथा/ अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास है, जिनका अंतिम स्वामित्व तथा नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकों के पास है। “निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली एलएलपी” का अर्थ होगा ऐसी एलएलपी जिसका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों तथा/ अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास है, जिनका अंतिम स्वामित्व तथा नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकों के पास है।

(सी)) “ भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के स्वामित्व वाली कंपनी” का अर्थ होगा ऐसी भारतीय कंपनी जिसका स्वामित्व भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है। “ भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के स्वामित्व वाली एलएलपी” का अर्थ होगा ऐसी एलएलपी जिसका स्वामित्व भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है।

(डी) “नियंत्रण ” का अर्थ होगा उनकी शेयरधारिता अथवा प्रबंधन अधिकार अथवा शेयरधारक करार अथवा वोटिंग करार के कारण निदेशकों की बहुसंख्या को नियुक्त करने तथा प्रबंधन अथवा नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने के अधिकार। एलएलपी के प्रयोजन से “नियंत्रण ” का अर्थ होगा नामित साझेदारों की बहुसंख्या को नियुक्त करने के अधिकार , जहां ऐसे नामित साझेदारों के पास, अन्यो को विशेष रूप से अपवर्जित करते हुए, एलएलपी की सभी नीतियों का नियंत्रण है।

(ई) “निवासी भारतीय नागरिकों के नियंत्रण वाली कंपनी” का अर्थ होगा ऐसी भारतीय कंपनी जिसका नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों तथा/ अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास है, जिनका अंतिम स्वामित्व तथा नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकों के पास है। “निवासी भारतीय नागरिकों के नियंत्रण वाली एलएलपी” का अर्थ होगा ऐसी एलएलपी जिसका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों तथा/ अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास है, जिनका अंतिम स्वामित्व तथा नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकों के पास है।

(एफ) “ भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के नियंत्रण वाली कंपनी” का अर्थ होगा ऐसी भारतीय कंपनी जिसका स्वामित्व भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है। “ भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के नियंत्रण वाली एलएलपी” का अर्थ होगा ऐसी एलएलपी जिसका नियंत्रण भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है।

(जी) “डाउन स्ट्रीम निवेश ” का अर्थ होगा किसी भारतीय एंटीटी अथवा निवेश माध्यम द्वारा किसी अन्य भारतीय एंटीटी के पूंजी लिखतों अथवा पूंजी, जैसी स्थिति हो, में किया गया निवेश।

(एच) “धारक/ नियंत्रक कंपनी” का अर्थ वही होगा जो कि उसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिया गया है।

(आई) “अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश” का अर्थ है किसी भारतीय एंटीटी द्वारा निम्नलिखित से प्राप्त डाउन स्ट्रीम निवेश

(i) अन्य भारतीय एंटीटी (आईई) जिसने विदेशी निवेश प्राप्त किया है और (i) निवासी भारतीय नागरिकों के पास उक्त आईई का स्वामित्व तथा नियंत्रण नहीं है अथवा (ii) उसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है;

अथवा

(ii) अथवा किसी निवेश माध्यम जिसका प्रयोजक अथवा प्रबंधक अथवा निवेश प्रबंधक का (i) निवासी भारतीय नागरिकों के पास स्वामित्व तथा नियंत्रण नहीं है अथवा (ii) उसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है;

बशर्ते किसी भारतीय एंटीटी को छोड़कर भारत में निवास करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त नहीं कर सकता है।

(जे) “कुल विदेशी निवेश ” का अर्थ विदेशी निवेश तथा अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जोड़ है तथा उसे पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर गिना जाएगा।

(के) “कार्यनीतिक डाउन स्ट्रीम निवेश” का अर्थ है भारत में निगमित बैंकिंग कंपनियों द्वारा अपनी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्थाओं में किया गया निवेश।

(2) अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करनेवाली भारतीय एंटीटी, विदेशी निवेश के लिए यथालागू प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा/ निवेश सीमाएं, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों तथा अन्य अनुवर्ती शर्तों का अनुपालन करेगी।

स्पष्टीकरण : ऐसी एलएलपी जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के पास है, द्वारा ऐसी भारतीय कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश की अनुमति है जो कि उन क्षेत्रों में कार्य कर रही है जहां स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक का विदेशी निवेश अनुमत है और कोई एफडीआई सम्बद्ध निष्पादन की शर्तें नहीं हैं।

(3) दिनांक 31 जुलाई 2012 से बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित किए गए अनुसार भारत में निगमित बैंकिंग कंपनी जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के पास है द्वारा कंपनी कर्ज पुनर्चना(सीडीआर) अथवा अन्य ऋण पुनर्चना तंत्र के अंतर्गत अथवा खरीद-विक्री बही में अथवा ऋण में चूक के कारण शेयरों के अधिग्रहण के लिए किया गया/ किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश को अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में गिना नहीं जाएगा। तथापि उनके कार्यानीतिक डाउनस्ट्रीम निवेश को जिस कंपनी में ऐसा निवेश किया जा रहा है उस कंपनी के अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रति गिना जाएगा।

(4) भारतीय कंपनियों में कुल विदेशी निवेश की गणना के लिए दिशानिर्देश:

(ए) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी व्यवस्था के अंतर्गत किसी कर्ज लिखत के परिवर्तन की परिणामी इक्विटी धारिता को कुल विदेशी निवेश के लिए गिना जाएगा।

(बी) एफसीसीबी तथा डीआर जिनके पास कर्ज के रूप में अंतर्निहित लिखत हैं, को कुल विदेशी निवेश के लिए गिना नहीं जाएगा।

(सी) कुल विदेशी निवेश की गणना की पद्धति भारतीय कंपनियों में निवेश के प्रत्येक स्तर पर लागू होगी, तथा इसलिए हर एक भारतीय कंपनी में लागू होगी।

(डी) डाउनस्ट्रीम निवेश के प्रयोजन से, डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली भारतीय कंपनी में पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार धारित संविभाग निवेश को उसकी कुल विदेशी निवेश की गणना के लिए विचार में लिया जाएगा।

(ई) भारतीय कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था द्वारा प्राप्त अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश को डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली कंपनी द्वारा प्राप्त कुल विदेशी निवेश तक सीमित रखा जाएगा।

(5) भारतीय कंपनियों में किया गया डाउनस्ट्रीम निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(ए) डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए निदेशक बोर्ड का अनुमोदन तथा शेयरधारकों का करार, यदि कोई हो, होना चाहिए ;

(बी) डाउनस्ट्रीम निवेश के प्रयोजन से डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली भारतीय एंटीटी आवश्यक निधियाँ विदेश से लाएगी तथा घरेलू बाजार में उधार ली गई निधियों का उपयोग नहीं करेगी। डाउनस्ट्रीम निवेश आंतरिक संचयनों के माध्यम से किए जा सकते हैं। इस प्रयोजन से आंतरिक संचयनों का अर्थ होगा करों के भुगतान के पश्चात प्रारक्षित निधि खाते में अंतरित लाभ।

साथ ही कर्ज जुटाना तथा उसका उपयोग अधिनियम, उसके अंतर्गत बने नियमों अथवा विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

(सी) किसी अन्य भारतीय कंपनी जिसने विदेशी निवेश प्राप्त किया है और जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के पास है, द्वारा धारित भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत निम्नलिखित को अंतरित किए जा सकते हैं:

(i) फॉर्म एफसीटीआरएस में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अधीन भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति ;

(ii) मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के पालन के अधीन भारत में निवास करने वाला व्यक्ति।

(iii) भारतीय कंपनी जिसने विदेशी निवेश प्राप्त किया है और जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के पास है।

(डी) डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली प्रथम स्तरीय भारतीय कंपनी उसके द्वारा द्वितीय स्तर पर किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाई होगी और इसी तरह आगले क्रम में जारी रहेगा। ऐसी प्रथम स्तरीय कंपनी अपने सांविधिक लेखाकार से वार्षिक आधार पर इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी। इन विनियमों के इस प्रकार के अनुपालन का भारतीय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा। यदि सांविधिक लेखाकार ने सापेक्ष रिपोर्ट दी है तो उसे तत्काल कंपनी का रैजिस्टर्ड कार्यालय रिजर्व बैंक के जिस क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है उसके ध्यान में लाया जाएगा और उक्त क्षेत्रीय कार्यालय से पावती भी प्राप्त की जाएगी।

(ई) एलएलपी के लिए उपर्युक्त (सी) तथा (डी) पर दिए गए प्रावधानों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

टिप्पणी: दिनांक 13 फरवरी 2009 के पूर्व मौजूद दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए इन विनियमों का पालन करने के लिए कोई आशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त तारीख के बाद किए गए सभी अन्य निवेश इन विनियमों की परिधि में आएंगे। 13 फरवरी 2009 तथा 21 जून 2013 के बीच किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश जो इन विनियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, को ऐसे मामलों को इन विनियमों के अनुसार समझने के लिए रिज़र्व बैंक को 3 अक्टूबर 2013 तक रिपोर्ट किए जाने चाहिए थे।

15. भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए प्रतिबंधित गतिविधियां:

जब तक कि अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों में विशिष्ट रूप से अन्यथा कहा नहीं गया हो भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में निवेश प्रतिबंधित है:

(1) लॉटरी व्यवसाय जिसमें सरकारी/ निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी शामिल हैं।

(2) कसीनो सहित जुआ तथा बेटिंग

(3) चिट फंडस

स्पष्टीकरण: चिट फंड के रजिस्ट्रार अथवा राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, किसी चिट फंड को किसी अनिवासी भारतीय और भारत का समुद्रपारीय नागरिक से अभिधान स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है जो बैंकिंग चैनल से और अप्रत्यावर्तनीय आधार पर, समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, बिना किसी सीमा के ऐसे चिट फंड में अभिधान करने के लिए पात्र होगा।

(4) निधि कंपनी

(5) हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) में खरीद बिक्री

(6) रियल इस्टेट कारोबार अथवा फार्म हाउस के निर्माण

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए “रियल इस्टेट बिज़नेस” (real estate business) में टाउनशिप का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों अथवा पुलों का निर्माण एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) (REITs) विनियमावली, 2014 के तहत पंजीकृत और विनियमित रियल इस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) शामिल नहीं होंगे।

(7) तंबाकू से बने अथवा तंबाकू सादृश्य अन्य पदार्थों से बने सिगार, शरूट, सिगरेल्लोज़ तथा सिगरेट्टस

(8) ऐसी गतिविधियां/ क्षेत्र जो निजी क्षेत्र निवेश के लिए खुले नहीं हैं, अर्थात् (I) अणु ऊर्जा तथा (II) रेल्वे परिचालन

(9) किसी भी रूप में विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग जिसमें फ्रेंचाइज़ के लिए लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ब्रैंड नेम, प्रबंध संविदा शामिल है, भी लॉटरी व्यवसाय तथा जुआ तथा बेटिंग गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित है।

16. कुल विदेशी निवेश के लिए अनुमत क्षेत्र, प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा

जब तक कि इन विनियमों अथवा संबंधित अनुसूचियों में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, भारतीय एंटीटी में कुल विदेशी निवेश के लिए प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा निम्नानुसार होगी:

ए. प्रवेश मार्ग

(1) स्वचालित मार्ग का अर्थ है ऐसा प्रवेश मार्ग जिसके माध्यम से भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश के लिए रिज़र्व बैंक अथवा सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है।

(2) सरकारी मार्ग का अर्थ है ऐसा प्रवेश मार्ग जिसके माध्यम से भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है। इस मार्ग के अंतर्गत प्राप्त विदेशी निवेश सरकार द्वारा दिये गए अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा।

(3) डाइल्यूटेड आधार पर प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक अथवा क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित/ सांविधिक सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन अथवा क्षेत्र विशेष संबंधी शर्तों का अनुपालन, जैसी स्थिति हो, आवश्यक नहीं होगा। इस प्रकार का अनुमोदन/ अनुपालन उस स्थिति में आवश्यक नहीं होगा यदि इस प्रकार के निवेश के

परिणामस्वरूप निवासी भारतीय कंपनी का स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों से अंतरित नहीं होता है अथवा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को स्वामित्व तथा नियंत्रण अंतरित नहीं होता है। भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा अन्य निवेश सरकारी अनुमोदन तथा इन विनियमों में निर्धारित क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगे।

बी. क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा

कुल विदेशी निवेश के लिए निर्धारित क्षेत्र विशेष नीति

(1) निम्नलिखित क्षेत्रों/ गतिविधियों के लिए क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा का अर्थ है प्रत्येक क्षेत्र के समक्ष निर्दिष्ट की गई सीमा।

(2) निम्नलिखित क्षेत्रों/ गतिविधियों में विदेशी निवेश यथालागू कानून/ विनियमों, सुरक्षा तथा अन्य शर्तों के अधीन होगी

(3) नीचे सूचीबद्ध न किए गए अथवा इन विनियमों के विनियम 15 के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं किए गए क्षेत्रों/ गतिविधियों में यथालागू कानून/ विनियमों, सुरक्षा तथा अन्य शर्तों के अधीन स्वचालित मार्ग पर विदेशी निवेश 100 प्रतिशत तक अनुमत है।

वर्षों नीचे क्रम संख्या "एफ़ " के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई वित्तीय सेवाओं को छोड़कर अन्यो में किए गए विदेशी निवेश के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

(4) जहां न्यूनतम पुंजीकरण की आवश्यकता है वहाँ उसमें पूंजीगत लिखत के अंकित मूल्य के साथ प्राप्त प्रीमियम भी शामिल होगा, लेकिन केवल तब जब भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को ऐसे लिखतों को जारी करने पर वह कंपनी को प्राप्त होगा। पूंजीगत लिखत के निर्गम मूल्य से अधिक निर्गम के पश्चात के अंतरण दौरान अंतरित द्वारा किए गए भुगतान की राशि को न्यूनतम पुंजीकरण की आवश्यकता की गणना करते हुए विचार में नहीं लिया जा सकता है।

(5) ऐसी भारतीय कंपनी जो कि केवल अन्य भारतीय कंपनी/ कंपनियों की पूंजी में निवेश करने की गतिविधि में लिप्त है में विदेशी निवेश करने के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) को अतिरिक्त रूप से सीआईसी के लिए रिज़र्व बैंक के विनियामक ढांचे का भी पालन करना होगा।

(6) कोई भारतीय कंपनी जिसका कोई परिचालन नहीं है तथा जिसने कोई डाउनस्ट्रीम निवेश भी नहीं किया है, ऐसे कार्यकलाप करने के लिए जो स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हैं और जिन पर कोई एफ़डीआई सम्बद्ध निष्पादन की शर्तें नहीं हैं, भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों से स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अपने पूंजीगत लिखतों में निवेश प्राप्त कर सकती है। तथापि ऐसी कंपनियों को सरकारी मार्ग के अंतर्गत आनेवाले कार्यकलाप करने के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। जब कभी ऐसी कंपनी कारोबार प्रारंभ अथवा डाउनस्ट्रीम निवेश करती है, तब उसे प्रवेश मार्ग, शर्तों तथा सीमाओं पर संबंधित क्षेत्रवार शर्तों का अनुपालन करने होगा।

(7) ऐसे विदेशी निवेश पर क्षेत्रवार /सांविधिक सीमाओं तथा अनुवर्ती शर्तों, यदि कोई हो के अनुपालन का दायित्व विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी का होगा।

क्र.	क्षेत्र / गतिविधि	क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा (सेक्टरल कैप)	प्रवेश मार्ग
1	कृषि और पशुपालन		
1.1	(ए) नियंत्रित परिस्थितियों में पुष्पोत्पादन, बागवानी, तथा सब्जियों और मशरूम की खेती; (बी) बीजों और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन; (सी) पशुपालन (श्वान प्रजनन सहित), मछली-पालन, जलीय कृषि (अक्वाकल्चर), मधुमक्खी-पालन और (डी) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं। टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा, अन्य किसी कृषि क्षेत्र/गतिविधि में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।	100%	स्वचालित
1.2	अन्य शर्तें:		

	<p>‘नियंत्रित परिस्थितियों में’ शब्दावली में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :</p> <p>पुष्प उत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूम की खेती वाली श्रेणियों के लिए ‘नियंत्रित परिस्थितियों के तहत कृषि’ अर्थात् खेती करने का एक ऐसा तरीका, जिसमें वर्षा, तापमान, सूर्य विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती की विधियों (culture) को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन-हाउस, नेट-हाउस, पॉली-हाउस या किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जाता है।</p>		
2.	वृक्षारोपण		
2.1	<p>(ए) चाय बागानों सहित चाय क्षेत्र</p> <p>(बी) कॉफी बागान</p> <p>(सी) रबड़ की खेती</p> <p>(डी) इलाइची की खेती</p> <p>(ई) पाम-तेल के पौधों की खेती</p> <p>(एफ़) ऑलिव-ऑइल के पौधों की खेती</p> <p>टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा, किसी अन्य बागानों के क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।</p>	100%	स्वचालित
2.2	अन्य शर्तें:		
	यदि भविष्य में भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो संबंधित राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।		
3.	खनन		
3.1	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत धातुओं और गैर-धात्विक अयस्कों का, जिनमें हीरा, स्वर्ण, चांदी, और मूल्यवान अयस्क शामिल हैं का खनन और अन्वेषण परंतु टाइटेनियम पाए जाने वाले खनिज और इसके अयस्कों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।	100%	स्वचालित
3.2	कोयला और लिग्नाइट		
	<p>(ए) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत अनुमत और उसमें निहित शर्तों के अधीन ऊर्जा परियोजनाओं, लोहा, इस्पात और सीमेंट इकाइयों और अन्य पात्र गतिविधियों द्वारा आबद्ध उपयोग के लिए कोयले और लिग्नाइट का खनन</p> <p>(बी) वाशरीज़, जैसे कोयला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना, बशर्ते कंपनी कोयले का खनन नहीं करेगी और धुले हुए कोयले या अपने कोयला प्रसंस्करण संयंत्र से प्राप्त साइज्ड कोयले की खुले बाजार में बिक्री नहीं करेगी तथा धुले हुए या साइज्ड कोयले की आपूर्ति उन पक्षों करेगी जो वाशिंग या साइजिंग के लिए कोयला प्रसंस्करण संयंत्र को कच्चे कोयले की आपूर्ति कर रहे हैं।</p>	100%	स्वचालित
3.3	टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां :		
	(ए) क्षेत्रगत विनियमनों तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की शर्तों के अधीन टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां	100%	सरकारी
3.4	अन्य शर्तें:		
	(ए) टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों को पृथक् करने के लिए एफडीआई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, नामतः:		

	<p>(i) प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ मूल्यवर्धन सुविधाएं भारत के भीतर स्थापित की जाएंगी;</p> <p>(ii) खनिज पृथक्करण के दौरान अवशिष्टों का निपटान परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमावली, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियमावली, 1987 जैसे परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसरण में किया जाएगा।</p> <p>(बी) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18.1.2006 को जारी की गई अधिसूचना सं. एस.ओ. 61(ई) में सूचीबद्ध 'निर्धारित पदार्थों' के खनन में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>स्पष्टीकरण: (i) इलमेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन जैसे टाइटेनियम वाले अयस्कों के लिए टाइटेनियम डाईऑक्साइड पिगमेंट और टाइटेनियम स्पॉन्ज के निर्माण से मूल्यवर्धन होता है। इलमेनाइट को प्रसंस्कृत करके 'कृत्रिम रूटाइल या टाइटेनियम स्लैग' जैसा मध्यवर्ती मूल्यवर्धित उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है।</p> <p>(ii) इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग निचले स्तर तक उद्योगों की स्थापना में किया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी भी देश में इस प्रकार के उद्योगों को लगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रकार, यदि प्रौद्योगिकी अंतरण से एफडीआई नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तो उपर्युक्त (ए) (i) में निर्धारित शर्तों को पूरा हुआ माना जाएगा।</p>		
4.	तेल और प्राकृतिक गैस		
4.1	तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की अन्वेषण गतिविधियां, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के विपणन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, एलएनजी पुनःगैसीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार अध्ययन और फार्मुलेशन और निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो तेल विपणन क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्रगत नीति और विनियामक ढांचा और तेल की खोज में तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा खोजे गए क्षेत्रों में निजी सहभागिता के संबंध में सरकार की नीति के अधीन होगी।)	100%	स्वचालित
4.2	मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में किसी प्रकार के विनिवेश या उनकी देशी इक्विटी को कम किए बिना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेट्रोलियम परिशोधन।	49%	स्वचालित
5.	विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग)		
5.1	कोई भी विनिर्माता (मैन्यूफैक्चरर) भारत में विनिर्मित अपने उत्पादों को सरकारी अनुमोदन के बिना ई-कॉमर्स सहित थोक / रिटेल के माध्यम से बेच सकता है।	100%	स्वचालित
	ट्रेडिंग क्षेत्र से संबंधित इन विनियमों के प्रावधानों में किसी भी बात के होते हुए भी, भारत में विनिर्मित और/ अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों की ई-कॉमर्स सहित ट्रेडिंग, में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। खाद्य उत्पादों की रिटेल ट्रेडिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी आवेदनों को सरकारी अनुमोदन देने से पूर्व औद्योगिक नीति एवं संवर्धन बोर्ड द्वारा उन्हें प्रोसेस किया जाएगा।		
6.	रक्षा		
6.1	रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस तथा छोटे आयुध एवं गोला-बारूद का विनिर्माण आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन है;	100%	49% तक स्वचालित मार्ग से। 49% से अधिक के मामले में सरकारी मार्ग से, जहां इससे देश में आधुनिक तकनीक तक पहुँच संभव हो अथवा अन्य कोई कारण जिसे रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक हो।
6.2	अन्य शर्तें:		
	(ए) किसी ऐसी कंपनी में, जो औद्योगिक लाइसेंस नहीं चाहती है, में अनुमत स्वचालित मार्ग के भीतर नए विदेशी		

	<p>निवेश से कंपनी के स्वामित्व का स्वरूप बदलने अथवा वर्तमान निवेशक द्वारा नए विदेशी निवेशक को हिस्सेदारी आंतरिक करने के परिणामस्वरूप नवीन (फ्रेश) निवेश किया जाना है, ऐसे नवीन (फ्रेश) निवेश हेतु सरकारी अनुमोदन आवश्यक है।</p> <p>(बी) लाइसेंस आवेदनों पर विचार किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय से परामर्श के बाद औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे।</p> <p>(सी) इस क्षेत्र में विदेशी निवेश रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों एवं उसके द्वारा आवश्यक सुरक्षा क्लियरेंस के अधीन होगा।</p> <p>(डी) निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी का ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए कि वह उत्पाद डिजाइन एवं विकास के मामले में आत्मनिर्भर हो। उत्पादन सुविधा सहित निवेश प्राप्तकर्ता/संयुक्त उद्यम कंपनी के पास भारत में निर्मित उत्पादों के मेंटिनेंस एवं लाइफ साइकिल सपोर्ट की भी सुविधा होनी चाहिए।</p>		
7.	प्रसारण		
7.1	प्रसारण वाहक सेवाएं		
7.1.1	<p>(ए) टेलीपोर्ट (अप-लिकिंग एचयूवी/टेलीपोर्ट की स्थापना)</p> <p>(बी) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच)</p> <p>(सी) केबल नेटवर्क (राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर परिचालन करने वाले और डिजिटलाइजेशन एवं अट्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम करनेवाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)</p> <p>(डी) मोबाइल टीवी</p> <p>(ई) हेडएंड-इन-द-स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस(एचआईटीएस)</p>	100%	स्वचालित
7.1.2	केबल नेटवर्क (अन्य एमएसओ, जो डिजिटलाइजेशन और अट्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन का कार्य नहीं करते हैं और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ))	100%	स्वचालित
7.1.3	<p>नोट: ऊपर पैरा 7.1.1 एवं 7.1.2 में उल्लिखित क्षेत्रों में 49% से अधिक सीमा में नवीन (फ्रेश) निवेश के लिए उस कंपनी में, जहां क्षेत्र-विशेष से संबन्धित मंत्रालय के लाइसेंस अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उस कंपनी के स्वामित्व का स्वरूप बदलने अथवा वर्तमान निवेशक द्वारा किसी नए विदेशी निवेशक को हिस्सेदारी अंतरित करने के परिणामस्वरूप नवीन (फ्रेश) निवेश किया जाना है, ऐसे नवीन (फ्रेश) निवेश हेतु सरकारी अनुमोदन आवश्यक होगा।</p>		
7..2	प्रसारण विषयक सेवाएं		
7.2.1	क्षेत्रीय प्रसारण एफ.एम. (एफएम रेडियो), एफ एम रेडियो स्टेशन की स्थापना की अनुमति की मंजूरी ऐसे नियम व शर्तों के अधीन होगी जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।	49%	सरकारी
7.2.2	“समाचार एवं सम-सामयिक मामले दर्शाने वाले” टी.वी. चैनलों की अपलिकिंग	49%	सरकारी
7.2.3	“गैर समाचार एवं सम-सामयिक मामले दर्शाने वाले” टीवी चैनलों की अप-लिकिंग/टीवी चैनलों की डाउन-लिकिंग	100%	स्वचालित
7.3	अन्य शर्तें		
	<p>(ए) उपर्युक्त वर्णित सभी सेवाओं से जुड़ी कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) ऐसे सुसंगत विनियमों और नियमों व शर्तों के अधीन होंगे, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हों।</p> <p>(बी) उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश (एफआई) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी नियम व शर्तों के अधीन होंगे।</p> <p>(सी) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा स्थापित किए गए प्रसारण सेवा संबंधी उपकरण सुरक्षा के लिए जोखिम न पैदा करे और यह किसी भी कानून, नियम, या विनियमन और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता हो।</p> <p>(डी) सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में, जहां निवेश की सेक्टरल सीमा 49% है, में कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण</p>		

	<p>निवासी भारतीय नागरिकों के पास होना चाहिए अथवा वह ऐसी भारतीय कंपनियों के हाथ में हो, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास हो।</p> <p>(i) इस प्रयोजन के लिए भारतीय शेयरधारक द्वारा धारित अधिकतम इक्विटी कुल इक्विटी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4(ए) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72), जैसा भी मामला हों, में उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित इक्विटी को छोड़ कर, कम से कम 51% होनी चाहिए। ऊपर के खंड में उल्लिखित शब्दावली "सर्वाधिक शेयर धारक भारतीय" में निम्नलिखित अथवा निम्नलिखित में से कोई समूह शामिल होगा:</p> <p>(1) व्यक्तिगत शेयरधारिता के मामले में, (एए) शेयरधारी कोई एकल व्यक्ति ; (बीबी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के अर्थों में शेयरधारक का कोई रिश्तेदार; (सीसी) कोई कंपनी/ कंपनी समूह, जिसमें शेयरधारी एकल व्यक्ति / एचयूएफ को प्रबंधन एवं नियंत्रण के अधिकार हैं;</p> <p>(2) किसी भारतीय कंपनी के मामले में, (एए) कोई भारतीय कंपनी; (बीबी) भारतीय कंपनियों का कोई समूह जो उसी के स्वामित्व और नियंत्रण में है;</p> <p>(3) इस प्रयोजन के लिए "भारतीय कंपनी" के अर्थों में वह कंपनी होगी, जिसमें अनिवार्यतः निवासी भारतीय / एचयूएफ अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में यथा परिभाषित 'रिश्तेदार' के पास एकल अथवा मिले-जुले रूप में 51 प्रतिशत की शेयरधारिता हो;</p> <p>(4) बशर्ते कि, ऊपर उप-खंड (डी)(i) में उल्लिखित सभी / किन्हीं एंटीटियों के संयोजन (कॉम्बिनेशन) का मामला हो, तो ऐसे मामलों में प्रत्येक पार्टी को विधितः बाध्यकारी करार करना होगा कि वे एकल इकाई के रूप में आवेदक कंपनी से संबंधित प्रबंधन कार्य करेंगे।</p>		
8.	प्रिंट मीडिया		
8.1	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26%	सरकारी
8.2	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन	26%	सरकारी
8.2.1	अन्य शर्तें		
	<p>(ए) इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्य से, 'पत्रिका' को जनता से संबंधित समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियों को गैर-दैनिक आधार पर प्रकाशित करने वाले नियतकालिक प्रकाशनों के रूप में परिभाषित किया गया है।</p> <p>(बी) विदेशी निवेश समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 4.12.2008 को जारी दिशा-निर्देशों के भी अधीन होगा।</p>		
8.3	वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिका/विशेषज्ञता वाले जर्नल/ नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन/मुद्रण लागू वैधानिक ढांचे एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा ।	100%	सरकारी
8.4	विदेशी समाचार-पत्र का प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन	100%	सरकारी
8.4.1	अन्य शर्तें		
	<p>(ए) एफडीआई मूल विदेशी समाचार-पत्र के मालिक द्वारा किया जाना चाहिए जिसका प्रतिकृति संस्करण भारत में प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>(बी) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित या पंजीकृत इकाई द्वारा ही किया जा सकता है।</p> <p>(सी) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन, समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने</p>		

	वाले समाचार-पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण को प्रकाशित करने संबंधी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 31.03.2006 को जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।		
9.	नागरिक उड्डयन		
9.1	<p>नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हवाई अड्डे, अनुसूचित और और गैर-अनुसूचित घरेलू यात्री सेवाएं, हेलीकॉप्टर सेवाएं/ समुद्री विमान सेवाएं, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, रख-रखाव और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं शामिल हैं।</p> <p>नागरिक उड्डयन क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए :</p> <p>(ए) 'हवाई अड्डा' अर्थात् विमान के उतारने और उड़ान भरने का वह क्षेत्र, जहां सामान्य तौर पर रनवे और विमान अनुरक्षण और यात्री सुविधाएं होती हैं और एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित एरोड्रोम भी शामिल है।</p> <p>(बी) "एरोड्रोम" अर्थात् विमान के उतरने और उड़ानें भरने के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रयोग में लायी जा रही तयशुदा या सीमित जमीन या पानी क्षेत्र से है, जिसमें सभी भवन, शेड, जहाज, गोदी और अन्य संरचनाएं या संबंधित संरचनाएं भी शामिल हैं।</p> <p>(सी) "हवाई अड्डा परिवहन सेवा" अर्थात् पारिश्रमिक के बदले व्यक्तियों, डाक या अन्य ऐसी चेतन या अचेतन के परिवहन की सेवा है, चाहे वह एकल उड़ान या श्रृंखला उड़ान की सेवाओं के माध्यम से दी जा रही हो।</p> <p>(डी) "हवाई परिवहन उपक्रम" का तात्पर्य उस उपक्रम से है जिसके कारोबार में किराया या प्रतिफल के एवज में यात्री या माल का हवाई मार्ग से परिवहन भी शामिल है।</p> <p>(ई) "विमान के घटक" का अर्थात् कोई हिस्सा या उपकरण का कोई भाग है जिसे जब विमान में लगाया जाता है तो उसकी सुदृढ़ता और सही कार्य करने की क्षमता विमान की सुरक्षा या उड़ान योग्यता के लिए आवश्यक है औरिस्में उपकरण की कोई मद शामिल है,</p> <p>(एफ़) "हेलिकॉप्टर" का अर्थ वस्तुतः ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक या एक से अधिक शक्तिचालित रोटार की मदद से उड़ान भरने वाला वायु से भारी विमान है।</p> <p>(जी) "अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य दो या अधिक स्थानों के बीच चलायी जाने वाली हवाई परिवहन सेवा है जो प्रकाशित समय सारणी के अनुसार या मान्यतापूर्वक व्यवस्थित श्रृंखला में नियमित रूप से या अक्सर उड़ान भरते हों और प्रत्येक उड़ान जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हो।</p> <p>(एच) "गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा न हो और इसमें कार्गो एयरलाइन शामिल है।</p> <p>(आई) "कार्गो एयरलाइन" का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नागरिक उड्डयन की अपेक्षाओं की शर्तों को पूरा करती हो;</p> <p>(जे) "समुद्री विमान" का तात्पर्य उस विमान से है जो केवल पानी से उड़ने और पानी पर उतरने के लिए सामान्य तौर पर सक्षम हो;</p> <p>(के) "ग्राउंड हैंडलिंग" का तात्पर्य है (i) रैंप हैंडलिंग, (ii) ट्राफिक हैंडलिंग, दोनों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वैमानिकी सूचना परिपत्र के माध्यम से निर्दिष्ट गतिविधियां शामिल हैं, और (iii) केंद्र सरकार द्वारा या तो रैंप हैंडलिंग या ट्राफिक हैंडलिंग के हिस्से के तौर पर निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधि।</p>		
9.2	हवाईअड्डा		
	(ए) ग्रीनफील्ड परियोजनाएं	100%	स्वचालित
	(बी) मौजूदा परियोजनाएं	100%	स्वचालित
9.3	हवाई परिवहन सेवाएं		
	(ए) (i) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/ घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री सेवा (ii) प्रादेशिक हवाई परिवहन सेवा	49% (NRI एवं OCI के लिए 100%)	स्वचालित

	(बी) गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा	100%	स्वचालित
	(सी) हेलीकॉप्टर सेवा /समुद्री विमान के लिए डीजीसीए की मंजूरी आवश्यक	100%	स्वचालित
9.4	नागरिक उड्डयन क्षेत्र से संबंधित अन्य सेवाएँ		
	(ए) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, क्षेत्र विशेष से संबंधित विनियमों और सुरक्षा अनुमोदन के अधीन	100%	स्वचालित
	(बी) अनुरक्षण और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थान; और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	100%	स्वचालित
9.5	अन्य शर्तें		
	<p>(ए) हवाई परिवहन सेवाओं में घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन; गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाएं शामिल हैं।</p> <p>(बी) विदेशी एयरलाइनों को उपर्युक्त में दी गई सीमाओं और प्रवेश मार्गों के अनुसार कार्गो एयरलाइन, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाओं में विदेशी निवेश करने की अनुमति है।</p> <p>(सी) विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनकी प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की भी अनुमति है। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :</p> <p>(i) यह सरकारी के अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा।</p> <p>(ii) विदेशी निवेश के लिए सेवा के सुसंगत विनियमों सहित अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।</p> <p>(iii) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं:</p> <p>(1) जो पंजीकृत है और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है;</p> <p>(2) अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हों, और</p> <p>(3) भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण हो।</p> <p>(iv) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के साथ जुड़ने वाले सभी विदेशी नागरिकों को तैनाती के पहले सुरक्षा की दृष्टि से क्लियरेंस लेना होगा।</p> <p>(v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित होने वाले सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारियों से क्लियरेंस लेना अपेक्षित होगा।</p> <p>नोट :</p> <p>(1) उपर्युक्त पैरा 9.3(ए) और 9.3(बी) में वर्णित क्षेत्र विशेष से संबंधित सीमा/ प्रवेश मार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया हो।</p> <p>(2) 100% तक विदेशी निवेश के संबंध में अनिवासी भारतीयों तथा भारत के समुद्रपारीय नागरिकों के लिए लागू व्यवस्था उपर्युक्त 9.5(सी) में निर्दिष्ट निवेश व्यवस्था पर भी लागू होगी।</p> <p>(3) उपर्युक्त मद 9.5 (सी) में उल्लिखित नीति मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड पर लागू नहीं है।</p> <p>(4) निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी को इसके अतिरिक्त भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।</p>		
10.	निर्माण विकास : टाउनशिप, आवास, बिल्ट-अप बुनियादी संरचना		
10.1	निर्माण विकास परियोजनाएं (जिनमें टाउनशिप का विकास, आवास/वाणिज्यिक परिसर, सड़कों अथवा पुलों, होटलों, रिसॉर्टों, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों, मनोरंजन की सुविधाओं का निर्माण, शहर और क्षेत्रीय स्तर की बुनियादी संरचनाएं शामिल हैं)	100%	स्वचालित
10.2	अन्य शर्तें		
	(ए) निर्माण विकास परियोजना के प्रत्येक खंड (फेज) को अलग परियोजना माना जाएगा।		

(बी) परियोजना पूरी होने अथवा बुनियादी (trunk) इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज एवं सीवेज के विकास के बाद निवेशक को एक्जिट की अनुमति दी जाएगी।

(सी) उपर्युक्त खंड(बी) में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को परियोजना पूर्ण होने से पूर्व एक्जिट कर के अपने किए गए निवेश को स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यावर्तित करने की अनुमति है, बशर्ते कि वह तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि के अधीन होगा, जिसकी गणना विदेशी निवेश की प्रत्येक शृंखला (tranche) की पूर्ति के संदर्भ में की जाएगी। इसके अलावा, भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर के निवासी किसी अन्य व्यक्ति को अप्रत्यावर्तनीय आधार पर विदेशी निवेश की हिस्सेदारी अंतरित करना न तो किसी लॉक-इन अवधि के और न ही किसी सरकारी अनुमोदन के अधीन होगा।

(डी) परियोजना को इमारत नियंत्रण विनियमों, उपविधियों, नियमों और राज्य सरकार/ नगरपालिका/ संबंधित स्थानीय निकाय के अन्य विनियमों के अनुसार भूमि के उपयोग संबंधी अपेक्षाओं एवं सामुदायिक सुविधाओं और आम सुविधाओं के प्रावधानों सहित मानकों और मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।

(ई) निवेश प्राप्तकर्ता भारतीय कंपनी को केवल विकसित भूखंड बेचने की अनुमति होगी। इस नीति के प्रयोजनार्थ "विकसित भूखंड" का अभिप्राय ऐसे भूखंड से है जहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे: सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज एवं सीवेज की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हों।

(एफ) निवेश प्राप्तकर्ता भारतीय कंपनी सभी आवश्यक मंजूरीयां प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगी जिनमें इमारत/ ले-आउट प्लान, आंतरिक और आस-पास के क्षेत्रों (peripheral areas) और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास, बाह्य विकास और अन्य प्रभावों का भुगतान, संबंधित राज्य सरकार/ नगरपालिका/ स्थानीय निकाय के लागू नियमों/ उप-विधियों/ विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन शामिल होगा।

(जी) इमारत/डेवलपमेंट प्लान को अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करने वाली संबंधित राज्य सरकार/ नगरपालिका/स्थानीय निकाय उस डेवलपर द्वारा उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किए जाने की निगरानी करेगी।

नोट:

(1) यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी ऐसी कंपनी (एंटिटी) में अनुमत नहीं है जो रियल इस्टेट कारोबार, फार्म हाउसों का निर्माण एवं अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकार (TDRs) में संलग्न हो अथवा उसमें संलग्न होने का प्रस्ताव करती हो।

(2) लॉक-इन अवधि संबंधी शर्तें होटल और टूरिस्ट रिजॉर्ट; अस्पतालों; विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ); शैक्षिक संस्थाओं; वृद्धाश्रमों और अनिवासी भारतीयों / भारतात के समुद्रपारीय नागरिकों (OCI) द्वारा किए गए निवेश के संबंध में लागू नहीं होंगी।

(3) परियोजना की पूर्णता को स्थानीय उप-विधियों/ नियमों और राज्य सरकार के अन्य विनियमों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि टाउनशिप, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बिज़नेस सेंटर की पूर्ण परियोजनाओं के परिचालन और प्रबंधन के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप भारत के निवासी किसी व्यक्ति से भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी का स्वामित्व और/ अथवा नियंत्रण अंतरित करने की अनुमति है। तथापि, वह तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि के अधीन होगा, जिसकी गणना विदेशी निवेश की प्रत्येक शृंखला (tranche) के संदर्भ में की जाएगी तथा इस अवधि के दौरान अचल संपत्ति अथवा उसके किसी भाग के अंतरण की अनुमति नहीं होगी।

(5) इस क्षेत्र के संबंध में "अंतरण" में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(ए) संपत्ति की बिक्री, विनिमय अथवा त्याग ; अथवा

(बी) उसमें अधिकारों (rights) का विलोपन; अथवा

(सी) किसी कानून के तहत संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण; अथवा

(डी) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53ए के संदर्भ में कांट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के भाग के रूप में किया गया ऐसा कोई लेनदेन जिसमें अचल संपत्ति ली अथवा धारण की गई हो;

(ई) ऐसा कोई लेनदेन, जो किसी कंपनी की पूंजीगत लिखतों के अर्जन अथवा किसी करार अथवा अन्य किसी व्यवस्था, जो भी हो, के परिणामस्वरूप यदि किसी अचल संपत्ति का लाभ अथवा अंतरण प्राप्त होता हो।

(6) इस क्षेत्र के संबंध में 'रियल इस्टेट कारोबार' अर्थात भूमि और अचल संपत्ति का सौदा लाभ कमाने अथवा आय के

	<p>अर्जन के दृष्टिकोण से किया जाता हो एवं इसमें टाउनशिप का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों अथवा पुलों, शैक्षिक संस्थाओं, मनोरंजन सुविधाओं, नगर और क्षेत्रीय स्तर के इनफ्रास्ट्रक्चर, टाउनशिप का निर्माण शामिल नहीं हैं।</p> <p>स्पष्टीकरण :</p> <p>(ए) सेबी (REITs) विनियमावली, 2014 के तहत पंजीकृत और विनियमित की जाने वाली रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) की यूनिटों में निवेश को भी इस प्रयोजन से 'रियल इस्टेट कारोबार' की परिभाषा से भिन्न माना जाएगा।</p> <p>(बी) किसी प्रॉपर्टि को लीज़ पर दे कर, उसके किराए से प्राप्त आय, यदि उसे अंतरित नहीं किया जाता है, तो उसे 'रियल इस्टेट कारोबार' की परिधि में नहीं गिना जाएगा।</p> <p>(सी) रियल इस्टेट के संबंध में "अंतरण" में निम्नलिखित शामिल हैं :-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) संपत्ति की बिक्री, विनिमय अथवा त्याग ; अथवा (ii) उसमें अधिकारों (rights) का विलोपन; अथवा (iii) किसी कानून के तहत संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण; अथवा (iv) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53ए के संदर्भ में कांट्रैक्ट के पेरफ़ोर्मेंस के भाग के रूप में किया गया ऐसा कोई लेनदेन जिसमें अचल संपत्ति ली अथवा धारण की गई हो; (v) ऐसा कोई लेनदेन, जो किसी कंपनी की पूंजीगत लिखतों के अर्जन अथवा किसी करार अथवा अन्य किसी व्यवस्था जो भी हो, के परिणामस्वरूप यदि किसी अचल संपत्ति का लाभ अथवा अंतरण प्राप्त होता हो। 		
11.	औद्योगिक पार्क	100%	स्वचालित
11.1	<p>इस क्षेत्र के प्रयोजन से :-</p> <p>(ए) "औद्योगिक पार्क" एक ऐसी परियोजना है जिसमें डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों या बिल्ट-अप क्षेत्र या संयुक्त रूप से इन सुविधाओं से युक्त क्षेत्रों के तौर पर उच्च कोटि की बुनियादी संरचना का विकास किया जाता है और इन्हें सभी आबंटिती इकाइयों को औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है।</p> <p>(बी) "इन्फ्रास्ट्रक्चर" का तात्पर्य ऐसी सुविधाओं से है, जो औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के कार्य-संचालन के लिए अपेक्षित हैं और इनके अंतर्गत सड़कें (पहुंचने के मार्ग सहित), बिजली से चलने वाली रेलवे लाइनों सहित रेलवे लाइनें/ साइडिंग्स, मुख्य रेल लाइनों को जोड़ने वाली लाइनें, जल-आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सार्वजनिक सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, बिजली का उत्पादन व वितरण, वातानुकूलन आदि शामिल हैं।</p> <p>(सी) "सामान्य सुविधाओं" अर्थात् औद्योगिक पार्क में स्थित सभी इकाइयों को उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सुविधाएं, जिनमें बिजली, सड़कें (पहुंचने के मार्ग सहित), बिजली से चलने वाली रेलवे लाइनों सहित रेलवे लाइनें/साइडिंग्स, मुख्य रेल लाइनों को जोड़ने वाली लाइनें, जल आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सामान्य व्यवस्था, सामान्य (common) टेस्टिंग, दूरसंचार सेवाएं, वातानुकूलन, सार्वजनिक सुविधा भवन, औद्योगिक कैंटीन, कन्वेंशन/सम्मेलन भवन, पार्किंग, यात्रा डेस्क, सुरक्षा सेवा, प्रथमोपचार केंद्र, एंबुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के सामान्य उपयोग हेतु उपलब्ध इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं शामिल हैं।</p> <p>(डी) औद्योगिक इकाइयों में "आबंटनीय क्षेत्र" का तात्पर्य है :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों के मामले में - इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट क्षेत्र, जिसमें सामान्य सुविधा वाला क्षेत्र शामिल नहीं है। (ii) इमारतदार क्षेत्र के मामले में - फर्शी क्षेत्र और सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त इमारतदार क्षेत्र। (iii) डेवलप की गई भूमि और बिल्ट-अप क्षेत्र के संयुक्त रूप के मामले में - इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट और फ्लोर एरिया, जिसमें सामान्य सुविधा के लिए प्रयुक्त साइट क्षेत्र और इमारतदार क्षेत्र शामिल नहीं हैं। <p>(ई) "औद्योगिक गतिविधि" से अभिप्रेत है विनिर्माण; बिजली; गैस और जल-आपूर्ति; डाक और दूरसंचार; सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, परामर्श और आपूर्ति; डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस संबंधी गतिविधियां और इलेक्ट्रॉनिक विषय-वस्तु का संचितरण; कंप्यूटर से संबंधित अन्य गतिविधियां; जैव-प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल साइन्स/ जीव-विज्ञान,</p>		

	नैसर्गिक विज्ञान और इंजीनियरी क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान व विकास; व्यवसाय एवं प्रबंधन संबंधी परामर्शी गतिविधियां; तथा वास्तुकला, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी गतिविधियां।		
11.2	<p>औद्योगिक पार्कों में किए जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के लिए उपर्युक्त पैरा 10 में बताई गई निर्माण विकास परियोजनाओं आदि के लिए प्रयोज्य शर्तों का अनुपालन बाध्यकर नहीं होगा, बशर्ते कि औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों :</p> <p>(ए) उनमें कम-से-कम 10 इकाइयां शामिल हों, और कोई भी एकल इकाई आबंटनीय क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अपने पास नहीं रखेगी;</p> <p>(बी) औद्योगिक गतिविधि के लिए आबंटित क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आबंटनीय क्षेत्र के 66 प्रतिशत से कम न हो।</p>		
12.	उपग्रह - स्थापना और परिचालन		
	उपग्रह - स्थापना और परिचालन, जो कि अंतरिक्ष विभाग/ इस्रो (ISRO) के क्षेत्र-विशेष संबंधी दिशा-निर्देशों के अधीन है।	100%	सरकारी
13.	निजी सुरक्षा एजेंसियां	49%	सरकारी
14.	दूरसंचार सेवाएं (दूर-संचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-1 सहित)		
14.1	दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-1 सहित सभी दूर संचार सेवाएं अर्थात् मूलभूत, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस (ऐक्सेस सेवाएं), युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दूरगामी, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आईएसपी लाइसेंस, वाइस मेल/आडियोटेक्स/ यूएमएस, आईपीएलसी की पुनः बिक्री, मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-1 (डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डकट स्पेस, टावर प्रदाता) प्रदाता, केवल अन्य सेवा प्रदाताओं को छोड़कर।	100%	49% तक स्वचालित 49% से अधिक सरकारी मार्ग
14.2	<p>अन्य शर्तें :</p> <p>केवल "अन्य सेवा प्रदाताओं", जिन्हें स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, को छोड़कर लाइसेंसी सहित निवेशक को इस संबंध में दूर-संचार विभाग द्वारा समय-समय पर, अधिसूचित लाइसेंसिंग एवं सुरक्षा संबंधी शर्तों का अनुपालन करना होगा।</p>		
15.	व्यापार (ट्रेड)		
15.1	(i) कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार (एमएसई से सोर्सिंग सहित)	100%	स्वचालित
15.1.1	<p>परिभाषा:</p> <p>(ए) थोक व्यापार/ कैश एंड कैरी थोक व्यापार का अभिप्राय है कि खुदरा व्यापारियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या अन्य व्यावसायिक कारोबारी प्रयोक्ताओं या अन्य थोक व्यापारियों तथा सम्बद्ध सहायक सेवाप्रदाताओं को वस्तुओं/व्यापारिक माल की बिक्री करना।</p> <p>(बी) तदनुसार, थोक व्यापार का अर्थ होगा - व्यापार, कारोबार तथा व्यवसाय के प्रयोजन के लिए बिक्री, न कि वैयक्तिक उपभोग के लिए बिक्री। बिक्री थोक है या नहीं उसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करेगा कि बिक्री किन प्रकार के ग्राहकों को की गई है, न कि बिक्री के आकार और परिमाण पर। थोक व्यापार में पुनः बिक्री, प्रसंस्करण तथा उसके बाद बिक्री, एक्सपोर्ट के साथ बड़ी मात्रा में आयात/एक्स-वॉन्डेड गोदाम कारोबारी बिक्री तथा बी2बी ई-कॉमर्स शामिल होंगे।</p>		
15.1.2	<p>अन्य शर्तें:</p> <p>(ए) थोक व्यापार करने के लिए, राज्य सरकार/ सरकारी निकाय / सरकारी प्राधिकरण/ स्थानीय स्वशासन निकाय के संबंधित अधिनियमों/ विनियमों/ नियमों/ आदेशों के अधीन अपेक्षित लाइसेंस/ पंजीकरण/ परमिट प्राप्त किए जाने</p>		

	<p>चाहिए।</p> <p>बी) सरकार को की गई बिक्री के मामलों को छोड़कर, थोक व्यापारी द्वारा 'कैश एंड कैरी थोक व्यापार/ थोक व्यापार' को वैध कारोबारी ग्राहकों के साथ बिक्री तभी माना जाएगा जब थोक व्यापार निम्नलिखित के साथ किया जाए:</p> <p>(i) बिक्री कर/ वैट पंजीकरण/ सेवा कर/ उत्पाद शुल्क/ वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण रखने वाली संस्थाएं; अथवा</p> <p>(ii) सरकारी प्राधिकारी/ सरकारी निकाय/ स्थानीय स्वशासन प्राधिकारी द्वारा दुकान तथा स्थापना अधिनियम के अधीन जारी व्यापार लाइसेंस अर्थात् लाइसेंस/ पंजीकरण प्रमाणपत्र/ सदस्यता प्रमाणपत्र/ पंजीकरण रखने वाली संस्थाएं जिससे यह पता चले कि लाइसेंस/ पंजीकरण प्रमाणपत्र/ सदस्यता प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, रखने वाली संस्था/ व्यक्ति स्वयं ही वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़े कारोबार में लगे हों; अथवा</p> <p>(iii) सरकारी प्राधिकारियों/ स्थानीय स्वशासन निकायों से खुदरा कारोबार करने के लिए परमिट/ लाइसेंस आदि (जैसे कि हॉर्कर्स के लिए तहवजारी तथा उसी प्रकार के लाइसेंस) रखने वाली संस्थाएं; अथवा</p> <p>(iv) निगमन प्रमाणपत्र रखने वाली संस्थाएं अथवा अपने स्वयं के उपभोग के लिए सोसाइटी या सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकरण वाली संस्थाएं।</p> <p>टिप्पणी: कोई संस्था, जिसके साथ थोक व्यापार किया गया है, को ऊपर खंड (बी) (i) से (iv) में दी गई शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी।</p> <p>(सी) बिक्री का पूरा रिकार्ड जैसे कि संस्था का नाम, संस्था का स्वरूप, पंजीकरण / लाइसेंस/ परमिट आदि संख्या, बिक्री की राशि, आदि दैनिक आधार पर रखे जाने चाहिए।</p> <p>(डी) एक ही समूह की कंपनियों के बीच वस्तुओं का थोक व्यापार करने की अनुमति है। लेकिन, समूह के रूप में ली गई कंपनियों का आपसी थोक व्यापार उनके थोक मूल्य उद्यम के कुल टर्न ओवर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>(ई) लागू विनियमों के अधीन सामान्य कारोबारी प्रथा के रूप में थोक व्यापार किया जा सकता है, जिसमें ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है।</p> <p>(एफ) उपभोक्ता को सीधे ही बिक्री करने के लिए, थोक/कैश एंड कैरी व्यापारी खुदरा दुकानें नहीं खोल सकेगा।</p>		
15.2	ई-कॉमर्स		
15.2.1	बी टू बी ई-कॉमर्स गतिविधियां	100%	स्वचालित
	<p>ऐसी कंपनियां केवल बिज़नस टू बिज़नस (बी2बी) ई-कॉमर्स करेंगी न कि खुदरा व्यापार। अन्य बातों के साथ-साथ, इसका यह अभिप्राय होगा कि देशी (घरेलू) व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी वर्तमान प्रतिबंध ई-कॉमर्स पर भी लागू होंगे।</p>		
15.2.2	ई-कॉमर्स का मार्केट प्लेस मॉडल	100%	स्वचालित
15.2.3	<p>अन्य शर्तें :</p> <p>(ए) "ई-कॉमर्स" का अर्थ है डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर माल तथा सेवाओं जिनमें डिजिटल उत्पाद शामिल हैं की बिक्री तथा खरीद;</p> <p>(बी) "ई-कॉमर्स एंटीटी" का अर्थ है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनी अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(42) के अंतर्गत आनेवाली विदेशी कंपनी, अथवा फेमा, 1999 की धारा 2(v)(iii) में प्रावधान किए गए अनुसार भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत तथा नियंत्रित किया गया भारत में कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी जो ई-कॉमर्स का कारोबार करती हो;</p> <p>(सी) "ई-कॉमर्स का माल-सूची आधारित मॉडल" का अर्थ ऐसी ई-कॉमर्स गतिविधि जहां माल तथा सेवाओं की माल सूची का स्वामित्व ई-कॉमर्स एंटीटी के पास है और उपभोक्ता को वह सीधे बेचा जाता है।</p> <p>(डी) "ई-कॉमर्स का बाजार-आधारित मॉडल" का अर्थ है किसी ई-कॉमर्स एंटीटी द्वारा खरीदार तथा विक्रेता के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सूचना प्रौद्योगिकी प्लैटफॉर्म प्रदान करना।</p> <p>(ई) डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में कम्प्यूटर, टेलिविजन चैनल तथा ऑटोमटेड तरीके से प्रयुक्त कोई अन्य इंटरनेट</p>		

	<p>एप्लिकेशन जैसे वेब पृष्ठ, एक्स्ट्रानेट्स, मोबाइल आदि का नेटवर्क शामिल होगा।</p> <p>(एफ़) मार्केट प्लेस ई-कॉमर्स एंटीटी को उसके प्लैटफ़ॉर्म पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं के साथ B2B आधार पर लेन-देन करने की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>(जी) ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, ऑर्डर पूर्ति, कॉल सेंटर, भुगतान संग्रहण तथा अन्य सेवाओं के संबंध में विक्रेताओं को सपोर्ट सर्विसेस प्रदान कर सकती है।</p> <p>(एच) मार्केट प्लेस प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स एंटीटी मालसूची अर्थात् बेचने हेतु रखी वस्तुओं पर स्वामित्व नहीं जताएगी। मालसूची पर इस प्रकार के स्वामित्व से उक्त कारोबार का मालसूची आधारित मॉडल बन जाएगा।</p> <p>(आई) ई-कॉमर्स एंटीटी उसके मार्केट प्लेस के माध्यम से की गई बिक्री के संबंध में एक वेंडर अथवा उनके कंपनी समूह से वित्तीय वर्ष आधार पर बिक्री मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं देगा।</p> <p>(जे) वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध माल/सेवाओं के संबंध में विक्रेता का नाम, पता तथा संपर्क के अन्य ब्योरे स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। बिक्री के पश्चात् ग्राहकों को वस्तुओं की सुपुर्दगी तथा ग्राहक संतुष्टि विक्रेता की ज़िम्मेदारी होगी।</p> <p>(के) बिक्री का भुगतान ई-कॉमर्स एंटीटी द्वारा इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सुगम बनाया जाए।</p> <p>(एल) बेचे गए माल तथा सेवाओं की कोई वारंटी/ गारंटी का दायित्व विक्रेता का होगा।</p> <p>(एम) मार्केट प्लेस प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स एंटीटी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माल तथा सेवाओं की बिक्री कीमत पर प्रभाव नहीं डालेगा और सभी को समान अवसर प्रदान करेगा।</p> <p>(एन) उपर्युक्त क्रम सं. 15.1.2 में दिए गए अनुसार कंश एण्ड कैरी थोक खरीद-बिक्री संबंधी दिशानिर्देश बी-2-बी ई-कॉमर्स गतिविधियों पर लागू होंगे।</p> <p>नोट: ई-कॉमर्स के माल-सूची आधारित मॉडल में विदेशी निवेश के लिए अनुमति नहीं है।</p>		
15.2.4	ई-कॉमर्स के माध्यम से सेवाओं की बिक्री स्वचालित मार्ग के तहत होगी बशर्ते की क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित निवेश सीमाओं, लागू विधियों/ विनियमों, सुरक्षा एवं अन्य शर्तों का अनुपालन किया जाए।		
15.3	<p>सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार (SBRT)</p> <p>एकल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य है - उत्पादन तथा विपणन में निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ता के लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाना, भारत से वस्तुओं की बड़ी सोर्सिंग को प्रोत्साहन देना, तथा वैश्विक डिजाइनों, प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।</p>	100%	49% तक स्वचालित मार्ग से 49% से अधिक सरकारी मार्ग से
15.3.1	अन्य शर्तें :		
	<p>(ए) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'एक ब्रैंड' (सिंगल ब्रैंड) के होंगे।</p> <p>(बी) उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने चाहिए अर्थात् भारत से इतर एक या अधिक देशों में उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन बेचे जाने चाहिए।</p> <p>(सी) 'सिंगल ब्रैंड' उत्पाद के खुदरा व्यापार में वही उत्पाद शामिल होंगे जिनको विनिर्माण के दौरान ब्रैंडेड किया जाता है।</p> <p>(डी) भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी ब्रैंड का मालिक हो अथवा और कुछ हो, को किसी ब्रैंड के संबंध में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार के लिए ब्रैंड के मालिक के साथ किए गए विधिमान्य करार के अधीन, किसी विशिष्ट ब्रैंड के लिए देश में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने की अनुमति है। इस शर्त के अनुपालन की जिम्मेदारी भारत में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने वाली भारतीय संस्था की होगी। निवेश करने वाली संस्था अनुमोदन प्राप्त करते समय इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, जिसमें उपर्युक्त शर्त के अनुपालन को विशिष्ट रूप दिखाने वाले लाइसेंस/ फ्रैन्चाइज़/ उप लाइसेंस करार की प्रति शामिल हो। स्वचालित मार्ग के लिए अपेक्षित साक्ष्य भारतीय रिज़र्व बैंक के पास और अनुमोदन मार्ग के तहत निवेश के मामले में सरकार को आवेदन किए जाएंगे।</p> <p>(ई) 51 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए, खरीदी गयी वस्तुओं के मूल्य के 30 प्रतिशत की सोर्सिंग भारत से की जाएगी, जिसके लिए सभी क्षेत्रों में एमएसएमई, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों, हस्तकला-</p>		

	<p>कारीगरों तथा शिल्पकारों को वरीयता दी जाएगी। देशी सोर्सिंग की मात्रा का कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जांच कंपनी द्वारा रखे गए विधिवत प्रमाणित खातों से सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाएगी। खरीद की यह अपेक्षा पहले 5 वर्ष में खरीदी गयी वस्तुओं के औसत मूल्य पर की जाएगी; खरीदे गए माल का कुल मूल्य उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। सोर्सिंग की अपेक्षा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, संबंधित संस्था भारत में निगमित वह कंपनी होगी, जिसने सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया हो।</p> <p>(एफ) उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित शर्तों के अधीन, ब्रिक एवं मोर्टर स्टोर्स के माध्यम सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार कर रही एंटीटियो को ई-कॉमर्स के माध्यम से भी रिटेल ट्रेडिंग की अनुमति है।</p> <p>(जी) भारत में 'सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार का प्रस्ताव करने वाली कंपनी में 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उन उत्पादों/उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाए जिनका 'सिंगल ब्रैंड' के अधीन विक्रय प्रस्तावित है। 'सिंगल ब्रैंड' के अधीन विक्रय किए जाने वाले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार से नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में, खाद्य उत्पादों को छोड़कर, उत्पादों/ उत्पाद की श्रेणियों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध करायी जाएगी।</p> <p>(एच) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।</p> <p>नोट :</p> <p>(1) भारतीय ब्रैंड के सिंगल ब्रैंड रिटेल व्यापार (SBRT) के संबंध में उपर्युक्त पैरा (बी) एवं (डी) की शर्तें लागू नहीं होंगी।</p> <p>(2) भारतीय निर्माता को अपने निर्मित उत्पादों को ई-कॉमर्स सहित थोक, खुदरा अथवा किसी भी रूप में बेचने की अनुमति है।</p> <p>(3) भारतीय निर्माता यदि निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी है, जो भारतीय ब्रैंड की मालिक है और जो भारत में निर्माण करती है, को उत्पादों के मूल्य के अनुसार अपने कम से कम 70 प्रतिशत उत्पादों का रिटेल घरेलू आधार पर और अधिकतम 30 प्रतिशत उत्पादों का रिटेल भारतीय निर्माताओं के माध्यम से कर सकती है।</p> <p>(4) भारतीय ब्रैंड का स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास होना चाहिए और/अथवा ऐसी कंपनियों के पास होना चाहिए जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास हो।</p> <p>(5) "अत्याधुनिक" एवं "उच्चतम तकनीक" वाले उत्पादों, जहां स्थानीय सोर्सिंग संभव नहीं है, से संबन्धित एंटीटीयों के लिए कारोबार की शुरुआत से, अर्थात उनके प्रथम स्टोर के प्रारम्भ से तीन वर्षों की अवधि तक सोर्सिंग की शर्तें लागू नहीं होंगी। इसके पश्चात ऊपर खंड (ई) में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी।</p>		
15.4	मल्टी ब्रैंड खुदरा व्यापार (MBRT)	51%	सरकारी
15.4.1	अन्य शर्तें :		
	<p>(ए) फलों, सब्जियों, फूलों, अनाजों, दालों, ताजे पोल्ट्री, मत्स्यपालन तथा मांस उत्पाद सहित ताज़े कृषि उत्पाद ब्रैंडरहित हो सकते हैं।</p> <p>(बी) विदेशी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की लाई जाने वाली न्यूनतम राशि 100 मिलियन अमरीकी डॉलर होगी।</p> <p>(सी) कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में से, प्रथम किस्त के रूप में लाए गए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की कम से कम 50 प्रतिशत राशि तीन वर्ष के भीतर 'बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में निवेश की जाएगी, जहां बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में सभी गतिविधियों पर पूंजी व्यय शामिल होगा, जबकि इसमें फ्रंट-एंड-यूनिटों पर हुआ व्यय शामिल नहीं होगा; उदाहरण के लिए, बैंक-एन्ड-इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन-सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, गोदाम, कृषि-बाजार उत्पाद, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि में किए गए निवेश शामिल होंगे। भूमि की लागत तथा किराए पर किए गए व्यय, यदि कोई हों, की गणना बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रयोजन में शामिल नहीं होगी। बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में बाद में किए जाने निवेश कारोबारी अपेक्षाओं के आधार पर मल्टी ब्रैंड खुदरा</p>		

	<p>व्यापारी द्वारा किए जाएंगे।</p> <p>(डी) खरीद गये विनिर्मित/ प्रसंस्कारित (प्रोसेस्ड) उत्पादों के मूल्य का कम-से-कम 30 प्रतिशत हिस्सा भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) से सोर्स किया जाएगा, जिनका संयंत्र तथा मशीनरी में कुल निवेश 2.00 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो। यह मूल्य संस्थापन के समय का मूल्य है, जिसमें मूल्यह्रास का प्रावधान (शामिल) नहीं है। 'लघु उद्योग' का दर्जा खुदरा व्यापारी के साथ पहली बार जुड़ने के समय का ही है और ऐसा उद्योग इस प्रयोजन के लिए 'लघु उद्योग' के रूप में पात्र माना जाता रहेगा, भले ही खुदरा व्यापारी के साथ जुड़ाव के दौरान उसके उक्त 2.00 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश के आकार में इजाफा हो जाए। कृषि सहकारी समितियों और कृषक सहकारी समितियों से सोर्सिंग को भी इसी श्रेणी में माना जाएगा। खरीद की यह अपेक्षा पहले 5 वर्ष में खरीदी गयी वस्तुओं के औसत मूल्य पर की जाएगी; खरीदे गए माल का कुल मूल्य उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा।</p> <p>(ई) कंपनी द्वारा ऊपर क्रम संख्या (बी), (सी) और (डी) की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जब भी आवश्यकता होगी, जांच की जाएगी। तदनुसार, निवेशक सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा (अकाउंट) विवरण रखेंगे।</p> <p>(एफ) खुदरा बिक्री केंद्र केवल उन्हीं नगरों में स्थापित किए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक है अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य नगरों में भी उन्हें स्थापित किए जा सकता है, जिनमें ऐसे नगरों के म्युनिसिपल/ शहरी स्थानों के 10 किलोमीटर में आने वाले आस-पास के क्षेत्र भी शामिल होंगे; खुदरा स्थल संबंधित शहरों के मास्टर/ ज़ोनल प्लान के अनुसार आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे तथा परिवहन की कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे।</p> <p>(जी) कृषि उत्पादों की खरीद करने का पहला अधिकार सरकार का होगा।</p> <p>(एच) उपर्युक्त नीति केवल योग्यकारक (इनेब्लिंग) नीति है तथा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारें/ केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए, खुदरा बिक्री केंद्र उन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाएं जिन्होंने इस नीति के अंतर्गत एमबीआरटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की सहमति दी है, या भविष्य में सहमति देंगे। जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सहमति दी है, उनकी सूची नीचे क्रमांक (15.4.2) में दी गयी है। भविष्य में इस नीति के अधीन खुदरा केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमति देने की सूचना औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को दी जाएगी और तदनुसार, उन्हें उक्त सूची में शामिल किया जाएगा। खुदरा बिक्री केंद्र की स्थापना दुकान तथा स्थापना अधिनियम आदि जैसे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों/विनियमों के अनुपालन में की जाएगी।</p> <p>(आई) मल्टी-ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को किसी भी रूप में ई-कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>(जे) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।</p>		
15.4.2	<p>राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची निम्न प्रकार है :</p> <p>आंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (कें. शा. प्रदेश)</p>		
15.5	शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकाने	100%	स्वचालित
15.5.1	<p>अन्य शर्तें :</p> <p>(ए) शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकानों का अर्थ वे दुकाने हैं जो सीमाशुल्क क्षेत्र के तहत हैं और अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों / अंतरराष्ट्रीय समुद्री बन्दरगाहों एवं लैंड कस्टम स्टेशनों के क्षेत्र में स्थापित दुकाने हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजही होती है।</p> <p>(बी) शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकानों में विदेशी निवेश कस्टम्स अधिनियम, 1962 तथा अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन होगा।</p> <p>(सी) शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकानों को देश के घरेलू टैरीफ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रीटेल गतिविधि में शामिल</p>		

	होने की अनुमति नहीं होगी।		
16.	फार्मास्यूटिकल		
16.1	ग्रीन फील्ड	100%	स्वचालित
16.2	ब्राउन फील्ड	100%	74% तक स्वचालित; 74% के पश्चात सरकारी
16.3	अन्य शर्तें :		
	<p>(ए) विशिष्ट परिस्थितियों में सरकार के अनुमोदन को छोड़कर अन्य मामलों में 'गैर-प्रतिस्पर्धी' खंड/ शर्त की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>(बी) भावी निवेशक एवं निवेश प्राप्तकर्ता के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह सरकार को अनुमोदन हेतु आवेदन के साथ पैरा 16.4 में दिए गए प्रारूप में उक्त आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।</p> <p>(सी) ब्राउनफील्ड मामलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन देते समय सरकार उचित शर्तें लगा सकती है।</p> <p>(डी) ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में निवेश, प्रवेश मार्ग पर ध्यान दिए बगैर, निम्नलिखित अन्य शर्तों के अधीन होंगे:</p> <p>(i) आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची (NLEM) औषधियों और/ अथवा उपभोज्य वस्तुओं का उत्पादन स्तर तथा एफ़डीआई प्रवर्तित करते समय घरेलू बाज़ार में उनकी आपूर्ति अगले पाँच वर्षों में पूर्णतया मात्रात्मक स्तर पर बनी रहे। इस स्तर के लिए बेंचमार्क, एफ़डीआई प्रवर्तन वर्ष के तुरंत पिछले वर्ष से अगले तीन वित्तीय वर्षों में NLEM औषधियों और/ अथवा उपभोज्य वस्तुओं के उत्पादन स्तर के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। इनमें से, इन तीन वर्षों में से उत्पादन के उच्चतम स्तर को स्तर के रूप में लिया जाएगा।</p> <p>(ii) एफ़डीआई प्रवर्तित करते समय अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर किए गए खर्च को पूर्णतया मात्रात्मक स्तर पर मूल्य के अर्थ में पाँच वर्षों के लिए बनाए रखना। इस स्तर के लिए बेंचमार्क का निर्धारण एफ़डीआई प्रवर्तन वर्ष के तुरंत पिछले वर्ष से अगले किसी तीन वर्षों में हुए अनुसंधान एवं विकास (R&D) खर्च के उच्चतम स्तर के संदर्भ में किया जाएगा।</p> <p>(iii) निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को अपने द्वारा प्राप्त विदेशी निवेश सहित प्रोद्योगिकी का अंतरण, यदि कोई हो, संबंधी संपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।</p> <p>(iv) प्रशासनिक मंत्रालय(यों), जैसे- स्वास्थ्य एवं प्राइवर कल्याण मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल विभाग अथवा कोई अन्य विनियामक एजेंसी / विभाग जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, वह इस संबंध में अनुपालन की शर्तों की मॉनिटरिंग करेगा/ करेगी।</p> <p>नोट :</p> <p>(1) चिकित्सा उपकरणों (डिवाइसेज़) के उत्पादन हेतु स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। अतः उल्लिखित शर्तें इस उद्योग के ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगी।</p> <p>(2) मेडिकल डिवाइस (उपकरण) अर्थात :-</p> <p>(ए) विनिर्माता द्वारा दिए गए अपेक्षित सॉफ्टवेयर सहित कोई भी साधन (instrument), यंत्र (apparatus), उपकरण (appliances), इंप्लांट, सामग्री अथवा अन्य वस्तुएँ, जो अकेले अथवा अन्य उपकरणों के साथ मिलकर विशेषतः मनुष्य अथवा पशुओं के लिए निम्नलिखित एक अथवा बहुविध विशिष्ट उद्देश्यों से उपयोग में लाये जाते हों, जैसे :</p> <p>(एए) किसी बीमारी अथवा विकार की पहचान, रोकथाम, निगरानी, इलाज अथवा राहत के लिए;</p> <p>(एबी) किसी जख्म अथवा विकलांगता की पहचान, निगरानी, इलाज, राहत अथवा सहायता के लिए;</p> <p>(एसी) शारीरिक संरचना अथवा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत जांच, बदलाव अथवा सुधार अथवा सहायता के लिए</p> <p>(एडी) जीवन-रक्षा और जान बचाने में सहायक;</p>		

	<p>(एई) मेडिकल उपकरणों का विसंक्रमण; (एएफ) गर्भाधान नियंत्रण</p> <p>एवं ऐसे उपकरण, जो मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर पर /में किसी औषधीय अथवा प्रतिरक्षात्मक और चयापचय के माध्यम से अपनी मूल कार्यवाई के उद्देश्य को सीधे प्राप्त नहीं करते हैं, किन्तु इन माध्यमों के कार्य में सहायक होते हैं;</p> <p>(बी) इस प्रकार के यंत्र, उपकरणों, औज़ारों, सामग्री अथवा वस्तुओं के सहायक उप-साधन;</p> <p>(सी) उपकरण जो अभिकर्मक (reagent), अभिकर्मक-उत्पाद, कैलिब्रेटर (Calibrator), नियंत्रण सामग्री, किट, इन्स्ट्रुमेंट, उपकरण (apparatus), औज़ार (appliances) अथवा सिस्टम, जो अकेले अथवा किसी अन्य उपकरण के साथ परीक्षण एवं चिकित्सा अथवा निदान के उद्देश्य से सूचना देने के लिए मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर के नमूने (specimens) के विट्रो-परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाते हों;</p> <p>(3) उपर्युक्त नोट (2) में दी गई 'चिकित्सा उपकरण' की परिभाषा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में संशोधन के अधीन होगी।</p>		
16.4	<p>भावी निवेशक के साथ-साथ निवेश प्राप्तकर्ता एंटीटी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप :</p> <p>यह प्रमाणित किया जाता है कि निवेश प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल एंटीटी और विदेशी निवेशक(कों) के बीच, शेयरधारकों के करार सहित किए गए अन्य सभी परस्पर करारों के व्योरे निम्नलिखित सूची में संलग्न किए गए हैं :</p> <p>1 ----- 2 ----- 3 -----</p> <p>(सभी करारों की प्रतिलिपियाँ संलग्न की जाएं)</p> <p>यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निवेश प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल एंटीटी और विदेशी निवेशक(कों) के बीच, शेयरधारकों के करार सहित किए गए अन्य सभी परस्पर करारों में किसी भी प्रकार का कोई "गैर-प्रतिस्पर्धी" खंड उपलब्ध नहीं है।</p> <p>आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निवेश प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल एंटीटी और विदेशी निवेशक(कों) के बीच किए गए सभी परस्पर करारों, जिन्हें ऊपर सूचीबद्ध किया गया है, के अलावा अन्य कोई करार / संविदा उपलब्ध नहीं है।</p> <p>निवेश प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल एंटीटी और विदेशी निवेशक यह घोषणा करते हैं कि उनके बीच इस आवेदन को प्रस्तुत करने / इस पर प्रक्रिया करने के पश्चात यदि कोई अनुवर्ती परस्पर करार किया/ किए जाते हैं, तो उन सभी अनुवर्ती करारों की सूचना एफआईपीबी को भेजने का दायित्व निवेश प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल एंटीटी और विदेशी निवेशक(कों) पर होगा।</p>		
17	रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर		
17.1	<p>निम्नलिखित का विनिर्माण, रख-रखाव एवं परिचालन:</p> <p>(i) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से उपनगरीय रेल कोरीडोर, (ii) हाई-स्पीड रेलवे परियोजनाएं, (iii) माल दुलाई के लिए विशिष्ट लाइनें, (iv) ट्रेन सेटों सहित रोलिंग स्टॉक, और लोकोमोटिव/कोच निर्माण एवं रखरखाव सुविधाएं, (v) रेलवे विद्युतीकरण, (vi) सिग्नलिंग सिस्टम, (vii) फ्रेट टर्मिनल, (viii) यात्री टर्मिनल, (ix) औद्योगिक पार्क में इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबन्धित रेलवे लाइनें /साईडिंग सहित विद्युतीकृत रेलवे लाइनें और मुख्य लाइनों से जोड़ने वाली लाइनें, एवं (x) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम।</p>	100%	स्वचालित
17.2	<p>अन्य शर्तें :</p> <p>(ए) उल्लिखित गतिविधियों में निवेश रेल मंत्रालय के सेक्टरल दिशा-निर्देशों के अधीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी भागीदारी के लिए खुला होगा।</p> <p>(बी) संवेदनशील क्षेत्रों में, 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCS) द्वारा, मामले-दर- मामले के आधार पर, विचार किया जाएगा।</p>		

एफ.	वित्तीय सेवाएं नीचे उल्लिखित वित्तीय सेवाओं के अलावा अन्य सभी वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है		
एफ.1	आस्ति पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी)	100%	स्वचालित
एफ.1.1	अन्य शर्तें :		
	<p>(ए) किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी (ARC) में निवेश की सीमा में प्रयोजक की शेयरधारिता को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) के प्रावधानों के तहत संचालित किया जाएगा। इसी प्रकार संस्थागत/ गैर-संस्थागत निवेशों को भी इसी अधिनियम के तहत संचालित किया जाएगा।</p> <p>(बी) किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी (ARC) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में विदेशी संस्थागत निवेशक (FPI) निवेश कर सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक (FPI) किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी (ARC) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (SRs) की प्रत्येक शृंखला में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी निदेशों/दिशा-निर्देशों के तहत 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार के निवेश संबंधित विनियामक सीमा के भीतर होंगे।</p> <p>(सी) सभी निवेश वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) के प्रावधानों के अधीन होंगे।</p>		
एफ.2	बैंकिंग-निजी क्षेत्र	74%	49% तक स्वचालित 49% से ज्यादा और 74% तक सरकारी
एफ.2.1	अन्य शर्तें :		
	<p>(ए) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था को छोड़कर अन्य निजी बैंकों में उनकी प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 26% हिस्सा सदैव निवासियों के पास रहेगा।</p> <p>(बी) अनिवासी भारतीयों (NRI) के मामले में, व्यक्तिगत धारिता प्रत्यावर्तनीय तथा अप्रत्यावर्तनीय, दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित होगी तथा समग्र सीमा प्रत्यावर्तनीय तथा अप्रत्यावर्तनीय, दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तथापि, अनिवासी भारतीयों (NRI) की धारिता की समग्र सीमा को प्रत्यावर्तनीय तथा अप्रत्यावर्तनीय, दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूंजी के 24% तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते उस बैंकिंग कंपनी की आम सभा द्वारा इस आशय का विशेष संकल्प पारित किया जाए।</p> <p>(सी) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम / सहायक संस्था रखने वाले निजी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक को संबोधित किए जाएंगे ताकि वह बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के परामर्श से यह सुनिश्चित कर सके कि बीमा क्षेत्र में विदेशी शेयरधारिता ने 49% की सीमा को भंग नहीं किया है।</p> <p>(डी) एफडीआई के अंतर्गत किसी निवासी से अनिवासी को शेयर अंतरित करने के लिए रिज़र्व बैंक और/ अथवा सरकार का अनुमोदन लेने की अपेक्षा बनी रहेगी।</p> <p>(ई) इन मामलों में रिज़र्व बैंक तथा सेबी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) जैसी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियां एवं कार्यविधियां लागू होंगी।</p> <p>(एफ) यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी निजी बैंक की पूंजीगत लिखतों की खरीद अथवा अन्य किसी माध्यम से अर्जन अर्जन के परिणाम स्वरूप किसी बैंक की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्से पर उसका स्वामित्व अथवा नियंत्रण स्थापित होता हो, तो ऐसे मामले में निजी बैंक की पूंजीगत लिखतों की खरीद अथवा अन्य माध्यम से अर्जन के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश विदेशी निवेशों पर भी लागू होंगे।</p> <p>(जी) विदेशी बैंकों द्वारा सहायक संस्था/ कंपनी की स्थापना</p> <p>(i) विदेशी बैंकों को शाखा अथवा सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु एक साथ दोनों रखने की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>(ii) ऐसे विदेशी बैंक, जो अपने देश में बैंकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा विनियमित हैं और रिज़र्व बैंक की लाइसेंस</p>		

	<p>प्रदान करने संबंधी शर्तों को पूरा करते हैं, को 100 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी को धारित करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे भारत में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित कर सकें।</p> <p>(iii) कोई विदेशी बैंक भारत में तीन चैनलों, अर्थात् (i) शाखाएं (ii) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था और (iii) किसी निजी बैंक में अधिकतम 74 प्रतिशत समग्र विदेशी निवेश सहित एक सहायक संस्था के रूप में से किसी एक चैनल के द्वारा ही परिचालन कर सकता है।</p> <p>(iv) किसी विदेशी बैंक को अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित कर अथवा नए बैंकिंग लाइसेंस के द्वारा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। किसी विदेशी बैंक को निजी क्षेत्र के किसी मौजूदा बैंक के शेयरों का अर्जन कर एक सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी; बशर्ते ऊपर पैरा (सी) में दी गई शर्त के अनुरूप निजी क्षेत्र के संबंधित बैंक की कम से कम 26 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी हमेशा निवासियों की धारिता में रहे।</p> <p>(v) किसी विदेशी बैंक की सहायक संस्था लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी सभी अपेक्षाओं और निजी क्षेत्र के नए बैंक के लिए मोटे तौर पर लागू शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।</p> <p>(vi) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की स्थापना से संबंधित दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।</p> <p>(vii) किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में अपनी सहायक संस्था की स्थापना करने अथवा अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित सभी आवेदन रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे।</p> <p>(एच) इस समय बैंकिंग कंपनियों के मामले में मताधिकार 10 प्रतिशत तक सीमित है और इसे संभावित निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए।</p> <p>(आई) सभी निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत बैंकिंग क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।</p>		
एफ़.3	बैंकिंग – सार्वजनिक क्षेत्र		
एफ़.3.1	बैंकिंग - सार्वजनिक क्षेत्र बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 के अधीन है। यह सीमा (20%) भारतीय स्टेट बैंक पर भी लागू है।	20%	सरकारी
एफ़. 4.	प्रतिभूति बाज़ार में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी		
एफ़.4.1	सेबी के विनियमों के अनुपालन में प्रतिभूति बाज़ारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, यथा: स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, निक्षेपागार और समाशोधन निगम	49%	स्वचालित
एफ़.4.2	अन्य शर्तें:		
	<p>(ए) एफ़.पी.आई. द्वारा किए जाने वाले निवेशों सहित, विदेशी निवेश केंद्र सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / विनियमावलियों के अधीन होंगे।</p> <p>(बी) इस विनियमावली में प्रयुक्त किए गए किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमशः वही होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अथवा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा इस संबंध में जारी विनियमावलियों और संबन्धित अधिनियमों/विनियमों में दिये गए हैं।</p>		
एफ़.5	कमोडिटी स्पॉट एक्सचेंज	49%	स्वचालित
एफ़.5.1	इनमें किए जाने वाले निवेश केंद्र/राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे।		
एफ़.6.	पावर एक्सचेंज		
	केंद्रीय विद्युत विनियमन आयोग (पावर मार्केट) विनियमावली, 2010 के अनुसार पावर एक्सचेंज	49%	स्वचालित
एफ़.6.1	अन्य शर्तें		

	<p>(ए) एफ़डीआई द्वारा किए जाने वाले निवेश द्वितीयक बाजार तक ही सीमित होंगे।</p> <p>(बी) मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों (acting in concert) सहित कोई भी अनिवासी निवेशक 5% से अधिक धारिता नहीं रखेगा।</p> <p>(सी) किया जाने वाला निवेश सेबी की विनियमावली, अन्य लागू विधि/ विनियम, सुरक्षा तथा शर्तों संबंधी अनुपालन के अधीन होंगे।</p>		
एफ़.7	ऋण आसूचना कंपनियां (सीआईसी)	100%	स्वचालित
एफ़.7.1	<p>अन्य शर्तें :</p> <p>(ए) ऋण आसूचना कंपनियों में विदेशी निवेश प्रत्यक्ष विषयक जानकारी (ऋण आसूचना) कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामी क्लियरेंस के अधीन होगा।</p> <p>(बी) एफ़आईआई द्वारा निवेश की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :</p> <p>(i) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धारिता 10% से कम हो;</p> <p>(ii) किसी भी अधिग्रहण के, 1% से अधिक होने पर इसकी सूचना अनिवार्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी; और</p> <p>(iii) सीआईसी में निवेश करने वाले एफ़आईआई, अपनी शेयरधारिता के आधार पर उसके निदेशक बोर्ड में प्रधिनित्व की मांग नहीं कर सकेंगे।</p>		
एफ़.8	बीमा		
एफ़.8.1	<p>(ए) बीमा कंपनी</p> <p>(बी) बीमा ब्रोकर</p> <p>(सी) थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर</p> <p>(डी) सर्वेक्षक और हानि आकलक (loss assessors)</p> <p>(ई) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों अंतर्गत नियुक्त अन्य मध्यवर्ती बीमा संस्थाएं</p>	49%	स्वचालित
एफ़.8.2	अन्य शर्तें:		
	<p>(ए) इस क्षेत्र में होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होगा और इस शर्त के अधीन होगा कि एफ़डीआई लाने वाली कंपनियां बीमा गतिविधियों के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से आवश्यक लाइसेंस/ अनुमोदन प्राप्त करेंगी।</p> <p>(बी) भारतीय बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करें कि हर समय उसका स्वामित्व और नियंत्रण केंद्र सरकार / भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा निर्धारित किए अनुसार और उनके द्वारा जारी नियमों / विनियमों के अनुसरण में निवासी भारतीय एंटीटीयों के पास हो।</p> <p>(सी) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यवर्ती बीमा संस्था/ कंपनी के रूप में अनुमत कोई एंटीटी यदि बैंक है, जिसका प्राथमिक कारोबार बीमा क्षेत्र से भिन्न (अर्थात गैर-बीमा) है, तो उसमें विदेशी ईक्विटी निवेश की उच्चतम सीमा उस क्षेत्र के लिए लागू सीमा होगी और यह भी कि किसी भी वित्त वर्ष में उस एंटीटी का अपने प्राथमिक कारोबार (गैर-बीमा क्षेत्र से) से प्राप्त राजस्व उसके समग्र राजस्व के 50% से अधिक होना चाहिए।</p> <p>(डी) बैंक प्रवर्तित (promoted) बीमा कंपनियों के लिए "बैंकिंग-निजी क्षेत्र" संबंधी पैराग्राफ सं. एफ़ 2. 1 के प्रावधान लागू होंगे।</p> <p>(ई) शब्दावली - 'नियंत्रण', 'ईक्विटी शेयर पूंजी', 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई)', 'विदेशी निवेशक', 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश', 'भारतीय बीमा कंपनी', 'भारतीय कंपनी', 'भारतीय बीमा कंपनी पर भारतीय नियंत्रण', 'भारतीय स्वामित्व', 'अनिवासी एंटीटी', 'सार्वजनिक वित्तीय संस्था', 'निवासी भारतीय नागरिक', 'कुल विदेशी निवेश' का अर्थ क्रमशः वही होगा जो वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.115 (ई) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा समय समय पर जारी विनियमों में उन्हें दिया गया है।</p>		
एफ़.9	पेंशन क्षेत्र	49%	स्वचालित

एफ.9.1	<p>(ए) इस क्षेत्र में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम, 2013 के अनुसार विदेशी निवेश अनुमत है।</p> <p>(बी) पेंशन निधियों में विदेशी निवेश इस शर्त के अधीन होगा कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम, 2013 की धारा 24 के अनुसार भारतीय पेंशन फंड की पूंजीगत लिखतों में निवेश करने वाली एंटीटीयां PFRDA से आवश्यक पूंजीयन प्राप्त करेंगी और भारत में पेंशन निधि प्रबंधन गतिविधियों में भाग लेने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमावली के अनुसार अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी।</p> <p>(सी) भारतीय पेंशन फंड (संस्था) यह सुनिश्चित करें कि हर समय उसका स्वामित्व और नियंत्रण, केंद्र सरकार / पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा निर्धारित किए अनुसार और उनके द्वारा जारी नियमों / विनियमों के अनुसरण में, निवासी भारतीय एंटीटीयों के पास हो।</p>		
एफ. 10.	अन्य वित्तीय सेवाएँ	100%	स्वचालित
एफ. 10.1	अन्य शर्तें		
	<p>(ए) वित्तीय सेवा विनियमकों जैसे:- भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) अथवा भारत साकार द्वारा अधिसूचित किए गए किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित वित्तीय सेवाओं से संबंधित गतिविधियां।</p> <p>(बी) "अन्य वित्तीय सेवाओं" संबंधी गतिविधियों में किए जाने वाले विदेशी निवेश संबंधित विनियामक संस्था/ सरकारी एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों सहित विभिन्न शर्तों के अधीन होंगे।</p> <p>(सी) "अन्य वित्तीय सेवाओं" संबंधी गतिविधियाँ वित्तीय क्षेत्र के किसी एक विनियामक संस्था द्वारा विनियमित की जानी चाहिए। जहां वित्तीय क्षेत्र संबंधी सेवाएँ किसी विनियामक संस्था द्वारा विनियमित न की जाती हो, अथवा वित्तीय सेवाओं का कोई अंश मात्र ही विनियमित किया जाता हो, अथवा विनियामक ढांचे के बारे में संभ्रम की स्थिति हो, ऐसे मामलों में इस प्रकार की वित्तीय गतिविधियों में 100% विदेशी निवेश सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमत होगा और उस पर न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों सहित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें भी लागू होंगी।</p> <p>(डी) यदि कोई गतिविधि विशेष रूप से किसी अधिनियम के तहत विनियमित की जाती है और अधिनियम में उसका उल्लेख हो, तो उसके लिए विदेशी निवेश की सीमाएं उस सीमा/ स्तर तक प्रतिबंधित होगी, जो संबंधित अधिनियम में विनिर्दिष्ट की गई है।</p> <p>(ई) "अन्य वित्तीय सेवाओं" संबंधी गतिविधियों में शामिल किसी भी एंटीटी द्वारा किए जाने वाले डाउनस्ट्रीम निवेश इन प्रावधानों के अधीन होंगे।</p>		

[फा. सं. 1/22/ईम/2016]

शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुसूची 1**[विनियम 5 (1) देखें]****भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी की पूंजी लिखतों की खरीद / बिक्री****1. भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी की पूंजी लिखतों की खरीद / बिक्री**

(1) एक भारतीय कंपनी भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को विनियम 16 में विनिर्दिष्ट प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा और अनुवर्ती शर्तों के अधीन पूंजीगत लिखत जारी कर सकती है।

(2) भारत के बाहर रह रहा कोई व्यक्ति भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पूंजी लिखतों को खरीद सकता है: वशर्ते

(ए) निवेश करने वाले भारत के बाहर रह रहे व्यक्ति ने पहले ही सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेक ओवर) विनियम, 2011 के अनुसार इस तरह की कंपनी का नियंत्रण हासिल कर लिया है और इस तरह के नियंत्रण को बनाए रखा है;

(बी) प्रतिफल राशि का भुगतान इस अनुसूची में निर्दिष्ट भुगतान के माध्यम के अनुसार या भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी जिसमें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति ने सेबी विनियम, 2011 के अनुसार अधिग्रहण किया है और उसका नियंत्रण जारी रखा है द्वारा देय लाभांश से बाहर किया जा सकता है (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) बशर्ते यह कि लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया जा चुका है और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों के अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से विनिर्दिष्ट गैर-व्याज वाले रुपए खाते में लाभांश राशि को जमा कर दिया गया है।

(3) एक अनिवासी एंटीटी द्वारा भारत में स्थापित एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो एक ऐसे क्षेत्र में परिचालन कर रही है, जहां स्वचालित मार्ग में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है और कोई भी एफडीआई से जुड़ी हुई निष्पादन की शर्त नहीं है, - उक्त अनिवासी एंटीटी का पूर्व निगमन / पूर्व परिचालन व्यय के लिए उक्त अनिवासी एंटीटी द्वारा खर्च किए गए अपनी प्राधिकृत पूंजी के पांच प्रतिशत की सीमा या 500,000 अमरीकी डालर तक, जो भी कम हो, के समक्ष पूंजीगत लिखत निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी कर सकता है:

(ए) पूंजीगत लिखतों के जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, लेकिन निगमन की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि में अथवा रिज़र्व बैंक या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत समय के भीतर देती है, भारतीय कंपनी रिज़र्व बैंक को फॉर्म एफसी-जीपीआर (FC-GPR) में लेनदेन की रिपोर्ट करेगी;

(बी) भारतीय कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि पूर्व-निगमन / पूर्व-परिचालन व्ययों की राशि, जिनके समक्ष पूंजीगत लिखत जारी किए गए हैं, उसे उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया है जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया था। इस प्रमाणपत्र को फॉर्म एफसी जीपीआर (FC-GPR) के साथ जमा किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण: पूर्व-निगमन / पूर्व-परिचालन व्यय में, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के खाते में भारत में निवेशक के खाते में (यदि मौजूद है), किसी भी सलाहकार, वकील या किसी अन्य सामग्री / सेवा प्रदाता के लिए निगमन से संबंधित व्यय के लिए या आवश्यक परिचालनों को शुरू करने के लिए भेजी गई राशि शामिल होगी।

(4) यदि भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी स्वचालित मार्ग क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो भारतीय कंपनी पूंजीगत लिखतों के स्वैप के जरिये भारत के बाहर रह रहे किसी व्यक्ति को पूंजीगत लिखत जारी कर सकती है।

(5) एक भारतीय कंपनी भारत के बाहर ने निवासी किसी व्यक्ति को उसके द्वारा देय किसी भी निधि के लिए इक्विटी शेयर जारी कर सकती है, जिसके प्रेषण को अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या इसके तहत जारी निर्देशों या अधिनियम के तहत या इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या इसके तहत जारी निर्देशों के तहत जहां केंद्रीय सरकार या रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है अथवा अधिनियम के तहत या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या उसके तहत जारी निर्देशों के अनुसार उसे रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है।

बशर्ते यह कि उस मामले में जहां विप्रेषण करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, वहां भारतीय कंपनी ऐसे विप्रेषण पर इक्विटी शेयर जारी कर सकती है, लेकिन इस शर्त पर कि विलंब के संबंध में अथवा फेमा के अंतर्गत किए गए उल्लंघन अथवा उसके तहत बनाए गए विनियमों से संबंधित सभी विनियामक कार्रवाईयां पूर्ण की गई हैं।

(6) एक भारतीय कंपनी भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के संबंध में सरकार की पूर्व अनुमति से पूंजीगत लिखत जारी कर सकती है:

(ए) पूंजीगत लिखतों का स्वैप, यदि भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी सरकार द्वारा निबंधित मार्ग के तहत किसी क्षेत्र में कार्यरत है ;

(बी) समय-समय पर केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन पूंजीगत सामानों/मशीनरी /उपकरण (सेकेंड हैंड मशीनरी को छोड़कर) का आयात; या

(सी) समय-समय पर केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन, पूर्व परिचालन/पूर्व-निगमन संबंधित खर्च (किराया आदि के भुगतान सहित

2. भुगतान की विधि

(1) प्रतिफल राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक प्रेषण के रूप में या विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016 के अनुसार बनाए रखे एनआरई / एफसीएनआर (बी) / एस्क्रो अकाउंट में रखे गए बाही निधि से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: प्रतिफल राशि में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) निवेशक को किसी देय निधि के प्रति भारतीय कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों का निर्गम।

(ii) पूंजीगत लिखतों के स्वैप से।

(2) इस प्रकार का निवेश करने वाले भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर पूंजीगत लिखत जारी किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण: आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर के मामले में साठ दिन की अवधि प्रत्येक कॉल भुगतान की प्राप्ति की तारीख से गिनी जाएगी।

(3) जहां प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसे पूंजीगत लिखत जारी नहीं किए गए हैं वहाँ साठ दिन की अवधि पूर्ण होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उसे संबंधित व्यक्ति को बैंकिंग चैनल के माध्यम से जावक विप्रेषण से अथवा उसके एनआरई/ एफसीएनआर(बी) खाते में जमा करके वापस किया जाएगा।

बशर्ते इस प्रकार से प्राप्त राशि को लौटने में हुए विलंब के लिए ब्याज यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित किए गए अनुसार रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

(4) इस अनुसूची के अंतर्गत पूंजीगत लिखत जारी करने वाली भारतीय कंपनी विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा मुदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2016 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी के साथ एक विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है।

3. बिक्रीगत आय का विप्रेषण

पूंजीगत लिखतों की बिक्रीगत आय(कर को घटकर) को भारत के बाहर विप्रेषित किया जाए अथवा संबंधित व्यक्ति के एनआरई/ एफसीएनआर(बी) खाते में जमा किया जाए।

अनुसूची - 2

[विनियम 5(2) देखें]

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों की खरीद / बिक्री

1. पूंजीगत लिखतों की खरीद / बिक्री

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों की निम्नलिखित शर्तों के अधीन खरीद / बिक्री कर सकते हैं:

(1) प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा सेबी (एफपीआई) विनियमावली, 2014 में संदर्भित प्रत्येक निवेशक समूह द्वारा किसी भारतीय कंपनी की कुल शेयरधारिता कंपनी की पूर्णतः डाइलुटेड आधार पर कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अनधिक होगी अथवा किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा शेयर वारंटों की किसी श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से अनधिक होगी और किसी कंपनी में सभी प्रकार के एफपीआई की शेयरधारिता डाइलुटेड आधार पर कंपनी के कुल प्रदत्त इक्विटी मूल्य के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी अथवा कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा शेयर वारंटों की किसी श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त 10 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की सीमाओं को क्रमशः व्यक्तिगत सीमा और समग्र सीमा कहा जाएगा।

बशर्ते भारतीय कंपनी द्वारा 24 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा को उस कंपनी के क्षेत्र-विशेष के लिए निर्धारित सीमा / सांविधिक सीमा, जो भी लागू हो, तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते संबंधित कंपनी के निदेशक बोर्ड तथा जनरल बॉडी द्वारा क्रमशः संकल्प पारित कर के और विशेष संकल्प के जरिए इसका अनुमोदन प्रदान करें।

(2) यदि एफपीआई द्वारा किसी भारतीय कंपनी की शेयरधारिता पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो गई हो, अथवा किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा शेयर वारंटों की किसी श्रृंखला के पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर कंपनी की प्रदत्त पूंजी के मूल्य के 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो गई हो, तो एफपीआई द्वारा किए गए समग्र निवेश को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में FDI के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा तथा निवेशक और निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी को इस विनियमावली के विनियम-13 में उल्लिखित रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

(3) कोई एफपीआई किसी भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतें पब्लिक ऑफर / निजी प्लेसमेंट के जरिए खरीद सकता है, बशर्ते वह इस अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्तिगत एवं समग्र सीमाओं के अधीन हो।

बशर्ते कि :

(i) यदि शेयरों की पब्लिक ऑफर दी जानी है, तो जारी किए जाने वाले शेयरों का मूल्य निवासियों के लिए जारी किए गए शेयरों के मूल्य से कम नहीं होगा; और

(ii) यदि निजी प्लेसमेंट जारी करने का मामला हो, तो मूल्य निम्नलिखित से कम नहीं होगा :

(ए) सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में निर्धारित किया गया मूल्य; अथवा

(बी) किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार 'आर्म्स लेंथ' आधार पर किया गया मूल्यांकन जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास पंजीकृत मर्चेन्ट बैंकर अथवा सनदी लेखाकार अथवा व्यावसायिक कास्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

(4) कोई एफपीआई भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन प्रतिभूतियों की शॉर्ट सेलिंग कर सकता है तथा उसे उधार दे अथवा ले सकता है।

(5) इस अनुसूची के तहत किए गए निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी द्वारा यथा-निर्दिष्ट सीमाओं तथा मार्जिन अपेक्षाओं के अधीन होंगे साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर समपाश्चिक प्रतिभूतियों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे।

2. भुगतान का तरीका

(1) प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक विप्रेषण से अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में किसी बैंक के पास रखे विदेशी मुद्रा खाते और/अथवा विशिष्ट अनिवासी रुपया (SNRR) खाते में जमा निधियों से किया जा सकता है।

(2) इन विदेशी मुद्रा खातों/SNRR खातों का उपयोग केवल और अनन्य रूप से इस अनुसूची के अंतर्गत किए जाने वाले लेन देन के लिए किया जाएगा।

3. विक्रीगत आय का विप्रेषण :

निवेशों से प्राप्त विक्रीगत आय की राशि (लागू करों को घटाकर) का भारत से बाहर विप्रेषण किया जा सकता है अथवा उसे संबन्धित एफपीआई निवेशक के विदेशी मुद्रा खाते अथवा विशिष्ट अनिवासी रुपया (SNRR) खाते में जमा किया जा सकता है।

4. क्लॉट :

एफपीआई के रूप में पंजीकरण से पूर्व अनुमानित एफपीआई द्वारा इस विनियमावली के अनुसरण में किए गए सभी निवेशों का वैध होना जारी रहेगा और समग्र सीमा की गणना के लिए ध्यान में लिया जाएगा।

अनुसूची - 3

[विनियम 5(3) देखें]

भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों की किसी अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर खरीद / बिक्री

1. पूंजीगत लिखतों की खरीद / बिक्री

कोई अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक (OCI) प्रत्यावर्तनीय आधार पर, भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों की निम्नलिखित शर्तों के अधीन खरीद / बिक्री कर सकता है:-

(1) अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक (OCI) किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा इस प्रयोजन से नामित शाखा के जरिए पूंजीगत लिखतें खरीद एवं बेच सकता है;

(2) किसी एक अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) द्वारा किसी भारतीय कंपनी की शेयरधारिता पूर्णतः डाइलुटेड आधार पर कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा शेयर वारंटों की किसी श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के पाँच प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा सभी अनिवासी भारतीयों (NRIs) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिकों (OCIs) द्वारा किसी कंपनी की शेयरधारिता का समग्र प्रदत्त मूल्य संबंधित कंपनी पूर्णतः डाइलुटेड आधार पर जारी की कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और डाइलुटेड आधार पर जारी अधिमानी शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा वारंटों की प्रत्येक श्रृंखला के अंतर्गत खरीदे गए प्रदत्त मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

बशर्ते कि, इस खंड में संदर्भित दस प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा को बढ़ाकर चौबीस प्रतिशत किया जा सकता है यदि संबंधित भारतीय कंपनी की जनरल बॉडी द्वारा इस आशय का विशेष संकल्प पारित किया जाए;

2. भुगतान का तरीका

(1) प्रतिफल राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक विप्रेषण से अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में किसी बैंक के पास रखे अनिवासी बाह्य (NRE) खाते में जमा निधियों से अदा की जा सकती है।

(2) ऐसे NRE खाते को इस उद्देश्य के लिए NRE (PIS) खाते के रूप में नामित किया जाएगा तथा ऐसे नामित खाते का उपयोग अनन्य रूप से इस अनुसूची के तहत अनुमत लेनदेन करने के लिए किया जाएगा।

3. बिक्रीगत आय का विप्रेषण :

पूंजीगत लिखतों की बिक्रीगत आय की राशि (लागू करों को घटाकर) का भारत से बाहर विप्रेषण किया जा सकता है अथवा उसे संबंधित व्यक्ति के NRE (PIS) खाते में जमा किया जा सकता है।

4. छूट :

नामित NRO (PIS) खाते को NRO खाते के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा।

अनुसूची - 4

[विनियम 5(4) देखें]

अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश

ए. किसी अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों अथवा परिवर्तनीय नोटों अथवा यूनितों की खरीद या बिक्री अथवा किसी एल.एल.पी. की पूंजी में अंशदान

1. पूंजीगत लिखतों अथवा परिवर्तनीय नोटों अथवा यूनितों की खरीद या बिक्री अथवा किसी एल.एल.पी. की पूंजी में अंशदान

(1) भारत से बाहर निगमित कोई कंपनी, ट्रस्ट और एलएलपी, जो अनिवासी भारतीयों अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित हों, सहित अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निम्नलिखित की खरीद अथवा अंशदान, जैसा भी मामला हो, कर सकते हैं :

(ए) बिना किसी सीमा के किसी स्टॉक एक्सचेंज अथवा उससे बाहर किसी कंपनी द्वारा जारी पूंजीगत लिखतें;

(बी) बिना किसी सीमा के किसी स्टॉक एक्सचेंज अथवा उससे बाहर किसी निवेश माध्यम (इनवेस्टमेंट वेहिकल) द्वारा जारी यूनितें;

(सी) किसी सीमित देयता भागीदारी (एल.एल.पी.) फ़र्म की पूंजी में अंशदान;

(डी) इस विनियमावली के अंतर्गत किसी स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय नोट;

(2) उपर्युक्त उप-पैराग्राफ 1 में उल्लिखित निवेशों को घरेलू निवेश माना जाएगा, जो निवासियों द्वारा किए गए निवेशों के सममूल्य होगा।

2. कतिपय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों की खरीद पर प्रतिबंध।

उपर्युक्त पैराग्राफ-1 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, भारत से बाहर निगमित कोई कंपनी, ट्रस्ट और एलएलपी, जो अनिवासी भारतीयों अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित हों, सहित अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) हैं इस अनुसूची के अंतर्गत, किसी निधि कंपनी अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों अथवा रियल इस्टेट कारोबार अथवा फार्म हाउस के निर्माण अथवा हस्तांतरणीय विकास अधिकार में संलग्न कंपनियों की पूंजीगत लिखतों अथवा यूनिटों में निवेश नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण : "रियल इस्टेट कारोबार" का तात्पर्य वही होगा जो विनियम 16 में दिया गया है।

3. भुगतान का तरीका

प्रतिफल राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक विप्रेषण से अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में किसी बैंक के पास रखे NRE/ FCNR(B)/ NRO खाते में जमा निधियों से अदा की जा सकती है।

4. बिक्री / परिपक्वता राशि

(1) खरीदी गई पूंजीगत लिखतों की बिक्री/ परिपक्वता राशि (लागू करों को घटाकर) अथवा किसी एलएलपी के विनिवेश प्राप्तियाँ केवल निवेशक के एन.आर.ओ.(NRO) खाते में जमा की जाएगी, भले ही प्रतिफल राशि का भुगतान किसी भी स्वरूप के खाते से किया गया हो।

(2) भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों में किए गए निवेश की राशि अथवा किसी एल.एल.पी. की पूंजी में अंशदान के लिए प्रतिफल राशि और तत्पश्चात हुई पूंजीगत मूल्य-वृद्धि की राशि देश से बाहर प्रत्यावर्तित किए जाने की अनुमति नहीं है।

बी. किसी फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था में निवेश

1. किसी फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था की पूंजी में अंशदान

कोई अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक (OCI) अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत में किसी फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था की पूंजी में अंशदान के माध्यम से निवेश कर सकता है, बशर्ते कि वह फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था कृषि / बागवानी गतिविधियों अथवा प्रिंट मीडिया अथवा रियल इस्टेट कारोबार से जुड़ी न हों।

स्पष्टीकरण : "रियल इस्टेट कारोबार" का तात्पर्य वही होगा जो विनियम 16 में दिया गया है।

2. भुगतान का तरीका

प्रतिफल की राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक विप्रेषण से अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में किसी बैंक के पास रखे NRE/ FCNR(B)/ NRO खाते में जमा निधियों से अदा की जा सकती है।

3. बिक्री / परिपक्वता राशि

(1) विनिवेश प्राप्तियाँ केवल संबन्धित व्यक्ति के एन.आर.ओ.(NRO) खाते में जमा की जाएगी, भले ही प्रतिफल राशि का भुगतान किसी भी स्वरूप के खाते से किया गया हो।

(2) किसी फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था की पूंजी में अंशदान करने के उद्देश्य से किए गए निवेश की राशि और तत्पश्चात हुई पूंजीगत मूल्य-वृद्धि की राशि देश से बाहर प्रत्यावर्तित किए जाने की अनुमति नहीं है।

अनुसूची 5

[विनियम 5(5) देखें]

भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा पूंजीगत लिखतों को छोड़कर प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री

1. भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को अनुमति प्रदान करना

ए. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को अनुमति प्रदान करना

एफपीआई प्रत्यावर्तनीय आधार पर निम्नलिखित लिखतों की खरीद कर सकता है, बशर्ते वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करे :

(ए) दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां/ खजाना बिल;

(ब) भारतीय कंपनी द्वारा जारी गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/ बॉन्ड;

(सी) भारतीय कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र;

(डी) घरेलू म्यूचुअल फंड के यूनिट्स;

(ई) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रत्येक खंड के 100 प्रतिशत तक की प्रतिभूति रसीद (एसआर), बशर्ते रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन करे;

(एफ) भारत में स्थित बैंकों द्वारा अपनी पूंजी (रिज़र्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित टिअर I पूंजी और टिअर II पूंजी) में वृद्धि करने के लिए जारी की गई टिअर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र बेमियादी ऋण लिखत और उच्चतर टिअर II पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत, बशर्ते सभी पात्र निवेशकों द्वारा बेमियादी ऋण लिखतों (टिअर I) में निवेश, प्रत्येक निर्गम के 49 प्रतिशत की कुल सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए तथा किसी एक एफपीआई द्वारा किया गया निवेश प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए;

(जी) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है द्वारा निर्गत अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड;

बशर्ते इसमें ऐसी लिखतें शामिल होंगी जो 03 नवंबर 2011 को या बाद में जारी की गई हों और अनुमानित एफपीआई की धारिता में हो;

(एच) इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण फंड द्वारा जारी रुपया मूल्यवर्ग के बॉन्ड/यूनिट्स;

बशर्ते इसमें ऐसी लिखतें शामिल होंगी जो 22 नवंबर 2011 को या बाद में जारी की गई हों और अनुमानित एफपीआई की धारिता में हो;

(आई) ऋण वर्धित बॉन्ड;

(जे) इन विनियमों के विनियम 9 के अनुसार जारी सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय/ मोचन योग्य अधिमान शेयर या डिबेंचर;

(के) प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदे, बशर्ते वह रिज़र्व बैंक एवं/या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करे;

(एल) प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत, जिसमें (i) बतौर ओरिजिनेटर बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या एनबीएफसी के पास आस्तियों के प्रतिभूतिकरण हेतु तैयार किए गए स्पेशल परपस वेहिकल (एसपीवी) द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र या लिखत; एवं/ या (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पब्लिक ऑफर एवं प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों को सूची में शामिल करने संबंधी विनियम), 2008 के अनुसार जारी और सूचीबद्ध कोई प्रमाणपत्र या लिखत।

बशर्ते, एफपीआई इस प्रकार के लिखतों को, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई अनुमति के अनुसार, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों को संपार्श्विक के रूप में जारी कर सकता है, ताकि एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कान्ट्रैक्ट में उसका लेनदेन किया जा सके, जैसा विनियम 5 के उप-विनियम 5 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

बी. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) या समुद्रपारीय भारतीय नागरिकों (ओसीआई) को अनुमति प्रदान करना –प्रत्यावर्तनीय आधार पर

(1) अनिवासी भारतीय या समुद्रपारीय भारतीय नागरिक (ओसीआई), अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निम्नलिखित लिखतों की, बगैर सीमा के, खरीद कर सकता है;

(ए) सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां (धारक प्रतिभूतियों के अलावा) या खजाना बिल या घरेलू म्यूचुअल फंड के यूनिट ;

(बी) भारत में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा जारी बॉन्ड;

(सी) केंद्र सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश किए गए शेयर, बशर्ते यह खरीद, बोलियां आमंत्रित करने वाली निविदा में निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार हो;

(डी) इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड द्वारा जारी बॉन्ड/यूनिट्स;

(ई) इन विनियमों के विनियम 9 के अनुसार जारी सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय/मोचन योग्य अभिमान शेयर या डिबेंचर;

(2) कोई एनआरआई या ओसीआई भारत में बैंकों द्वारा अपनी पूंजी में वृद्धि करने के लिए निर्गत टिअर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र बेमियादी ऋण लिखत एवं उच्चतर टिअर II पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतों को स्वदेश-प्रत्यावर्तन आधार पर खरीद सकता है, जैसा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है। बेमियादी ऋण लिखतों (टिअर I) में सभी एनआरआई या ओसीआई द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 24 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए और किसी एक एनआरआई या ओसीआई द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। एनआरआई या ओसीआई द्वारा ऋण पूंजी लिखतों (टिअर II) में निवेश, एनआरआई या ओसीआई द्वारा अन्य ऋण लिखतों में निवेश के संबंध में जो वर्तमान नीति है, उसके अनुसार होने चाहिए।

(3) कोई एनआरआई पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा शासित और प्रशासित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सब्सक्राइब कर सकता है, बशर्ते वह पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेश करने के लिए पात्र हो। अधिवर्षिता/संचित बचत का प्रत्यावर्तनीय होगी।

बशर्ते, एनआरआई/ओसीआई इस प्रकार के लिखतों को, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई अनुमति के अनुसार, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों को संपादिक के रूप में जारी कर सकता है, ताकि एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कान्ट्रैक्ट में उसका लेनदेन किया जा सके, जैसा विनियम 5 के उप-विनियम 5 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

सी. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) या समुद्रपारीय भारतीय नागरिकों (ओसीआई) को अनुमति प्रदान करना – अप्रत्यावर्तनीय आधार पर

(1) कोई एनआरआई या ओसीआई, बगैर सीमा के, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों (धारक प्रतिभूतियों के अलावा), खजाना बिल, घरेलू म्यूचुअल फंड के यूनिटों, मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड के यूनिट, या राष्ट्रीय योजना/ बचत प्रमाणपत्रों की खरीद कर सकता है।

(2) कोई एनआरआई या ओसीआई, बगैर सीमा के, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर इन नियमावलीयों के विनियम 9 के अनुसार सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय/मोचन योग्य अभिमान शेयर या डिबेंचर की खरीद कर सकता है।

(3) कोई एनआरआई या ओसीआई, बगैर सीमा के, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर चिट फंड में निवेश कर सकता है जो रजिस्ट्रार ऑफ चिट द्वारा प्राधिकृत हो या इस हेतु राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो।

डी. सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए विदेशी केंद्रीय बैंकों या बहुपक्षीय विकास बैंकों को अनुमति प्रदान करना

(1) विदेशी केंद्रीय बैंक द्वितीयक बाजार में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों/खजाना बिलों की खरीद और बिक्री कर सकता है, बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करे।

(2) विदेशी केंद्रीय बैंक दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों/खजाना बिलों की खरीद और बिक्री कर सकता है, बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करे।

(3) कोई बहुपक्षीय विकास बैंक, जिसे भारत में रुपया बॉन्ड जारी करने के लिए भारत सरकार की खास तौर पर अनुमति प्राप्त है, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की खरीद कर सकता है।

ई. प्रतिभूतियों की खरीद के लिए अन्य अनिवासी निवेशकों को अनुमति प्रदान करना

(1) दीर्घकालिक निवेशक, जैसे, सात्रिन वेल्थ फंड (एसडब्ल्यूएफ), बहुदेशीय एजेंसियां, एन्डाउमन्ट फंड, इन्श्योरन्स फंड, पेंशन फंड, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पात्र निवेशकों के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं, स्वदेश-प्रत्यावर्तन आधार पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड द्वारा जारी रुपया मूल्यवर्ग के बॉन्ड/यूनिट्स की खरीद कर सकते हैं।

(2) दीर्घकालिक निवेशक, जैसे, सोवरिन वेल्थ फंड (एसडब्ल्यूएफ), बहुदेशीय एजेंसियां, एन्डाउमन्ट फंड, इन्श्योरन्स फंड, पेंशन फंड और विदेशी केंद्रीय बैंक, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं, स्वदेश-प्रत्यावर्तन आधार पर निम्नलिखित लिखतों की खरीद कर सकते हैं, बशर्ते रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जानी वाली शर्तों को पूरा करे :

(ए) दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां/खजाना बिल;

(ब) भारतीय कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र;

(सी) घरेलू म्यूचुअल फंड की यूनिट्स;

(डी) भारतीय कंपनी द्वारा जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर/ बॉन्ड;

(ई) इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भारतीय कंपनी द्वारा जारी सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड। 'इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र' शब्द का वही अर्थ है जैसा भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 मार्च 2012 को यथा संशोधित/अद्यतन की गई अधिसूचना संख्या एफ.सं. 13/06/2009-आईएनएफ द्वारा अनुमोदित इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में दिया गया है;

(एफ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, द्वारा निर्गत गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/ बॉन्ड;

(जी) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रत्येक खंड के 100 प्रतिशत तक की प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर), बशर्ते रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन करे;

(एच) भारत में बैंकों द्वारा अपनी पूंजी (रिज़र्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित टिअर I पूंजी और टिअर II पूंजी) में वृद्धि करने के लिए निर्गत टिअर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र बेमियादी ऋण लिखत और उच्चतर टिअर II पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत, बशर्ते सभी पात्र निवेशकों द्वारा बेमियादी ऋण लिखतों (टिअर I) में निवेश, प्रत्येक निर्गम के 49 प्रतिशत की कुल सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए तथा किसी एक दीर्घ कालिक निवेशक द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए;

(आई) गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड का प्राथमिक निर्गम, बशर्ते ऐसे गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड को निवेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध कर दिया जाए। यदि लिखतों को निर्गम की तारीख से 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध नहीं किया जाता है तो दीर्घ-कालिक निवेशक ऐसे लिखतों को तृतीय पक्ष या निर्गमकर्ता को बिक्री के माध्यम से तत्काल निपटा सकता है और दीर्घ-कालिक निवेशकों के ऑफर की शर्तों में यह खंड होना चाहिए कि इस प्रकार की संभाव्य घटना की स्थिति में ऐसी लिखतों के निर्गमकर्ता इन प्रतिभूतियों को दीर्घ-कालिक निवेशकों से तत्काल रिडीम/बाइबैक कर ले।

(जे) ऋण वर्धित बॉन्ड;

(के) इन विनियमों के विनियम 9 के अनुसार जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय/ मोचन योग्य अधिमान शेयर या डिबेंचर;

(एल) प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदे, जो रिज़र्व बैंक एवं/ या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन है;

2. भुगतान के प्रकार

(1) एफपीआई द्वारा लिखतों की खरीद हेतु प्रतिफल की राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से आवक विप्रेषण में से किया जाएगा या विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार रखे गए विदेशी मुद्रा खाता एवं/ या विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में धारित निधियों में से किया जाएगा। विदेशी मुद्रा खाता एवं एसएनआरआर खाते का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इस अनुसूची के तहत आने वाले लेनदेनों के लिए किया जाएगा।

(2) एनआरआई या ओसीआई द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर लिखतों की खरीद हेतु प्रतिफल की राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से आवक विप्रेषणों में से किया जाएगा या विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार रखे गए एनआरआई/एफसीएनआर(बी) खातों में धारित निधियों में से किया जाएगा।

(3) (ए) एनआरआई या ओसीआई द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर लिखतों की खरीद एवं (बी) एनआरआई/ओसीआई द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सब्सक्रिप्शन हेतु प्रतिफल की राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से आवक विप्रेषणों में से या विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार रखे गए एनआरआई/एफसीएनआर(बी)/एनआरओ खातों में धारित निधियों में से किया जाएगा।

(4) विदेशी केंद्रीय बैंक या बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की खरीद हेतु प्रतिफल की राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से आवक विप्रेषणों में से या भारतीय रिज़र्व बैंक के विशेष अनुमोदन से खोले गए खाते में धारित निधियों में से किया जाएगा।

(5) अन्य अनिवासी निवेशकों द्वारा लिखतों की खरीद हेतु प्रतिफल की राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से आवक विप्रेषणों में से किया जाएगा।

3. लिखतों की बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करना

भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, जिसने इस अनुसूची के अनुसार लिखतों की खरीद की है, लिखतों की बिक्री/मोचन कर सकता है, बशर्ते रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसे नियम व शर्तों को पूरा करे।

4. बिक्री/परिपक्वता से प्राप्त राशियों का विप्रेषण/ को जमा करना

(1) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा धारित लिखतों की बिक्री/ परिपक्वता से प्राप्त राशियों (करों को घटाकर) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है या एफपीआई के विदेशी मुद्रा खाता या एसएनएआरआर खाते में जमा किया जा सकता है।

(2) एनआरआई या ओसीआई द्वारा धारित लिखतों की निवल बिक्री/ परिपक्वता से प्राप्त राशि (करों को घटाकर) को :

- (ए) जहां लिखतों को अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारण किया गया है वहाँ संबंधित व्यक्ति के एनआरओ खाते में जमा किया जाएगा
 - (बी) जहां विक्रय लिखतों की खरीद के लिए भुगतान एनआरओ खाते में धारित निधियों में से किया गया था, वहाँ संबंधित व्यक्ति के एनआरओ खाते में जमा किया जाएगा या
 - (सी) जहां लिखतों की खरीद प्रत्यावर्तनीय आधार पर किया गया है, वहाँ विदेश विप्रेषित किया जाएगा या एनआरआई/ओसीआई निवेशक के विकल्प के अनुसार उसके एनआरआई/एफसीएनआर(बी)/एनआरओ खाते में जमा किया जाएगा,
- (3) अन्य सभी मामलों में, बिक्री/ परिपक्वता से प्राप्त राशियों (करों को घटाकर) को सीमापार विप्रेषित किया जाएगा या रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमति से खोले गए खाते में जमा किया जाएगा।

अनुसूची - 6

[नियम - 5(6) देखें]

सीमित देयता भागीदारी फर्म (एलएलपी) में निवेश

1. एल.एल.पी. में निवेश :

- (1) एक व्यक्ति जो भारत से बाहर का निवासी है (पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के नागरिक को छोड़कर) अथवा भारत से बाहर निगमित संस्था (पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में निगमित संस्था को छोड़कर), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अथवा विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) नहीं है, ऐसे क्षेत्रों / गतिविधियों में परिचान करने वाली एलएलपी की पूंजी में योगदान दे सकता है, जहां स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक का विदेशी निवेश स्वीकार्य हो तथा इन नियमों में एफडीआई से सम्बद्ध निष्पादन की शर्तें निर्धारित नहीं हैं।
- (2) "लाभ शेयर" के रूप में निवेश आय के पुनर्निवेश की श्रेणी के अंतर्गत आयेगा।
- (3) एलएलपी में निवेश सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की शर्तों के अनुपालन के अधीन है।
- (4) एक कंपनी जिसमें विदेशी निवेश है और किसी ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जहां स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक का विदेशी निवेश स्वीकार्य है तथा एफडीआई से सम्बद्ध निष्पादन की शर्तें नहीं हैं, उसे स्वचालित मार्ग के तहत एक एलएलपी में परिवर्तित किया जा सकता है।
- (5) एक एलएलपी जिसमें विदेशी निवेश है, किसी ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जहां जहां स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक का विदेशी निवेश अनुमत है तथा एफडीआई से सम्बद्ध निष्पादन की शर्तें नहीं हैं, उसे स्वचालित मार्ग के तहत एक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है।
- (6) एलएलपी में या तो पूंजी योगदान के रूप में अथवा लाभ शेयर के अधिग्रहण/अंतरण करने के रूप में निवेश, किसी मूल्यांकन मानदण्ड के अनुसार, जो बाजार प्रथाओं के अनुसार (इसके बाद इसको "पूंजी योगदान का उचित मूल्य / एक एलएलपी के लाभ शेयर" कहा जाएगा) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार/अपनाए गए हैं, अभिकलित किए गए उचित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए तथा सनदी लेखाकार द्वारा अथवा प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से स्वीकृत वैल्यूर द्वारा इस आशय का एक मूल्यांकन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

- (7) भारत में निवास करने वाले व्यक्ति से भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को पूंजी योगदान / लाभ शेयर के अंतरण के मामले में, अंतरण इसे ध्यान में रखते हुए होगा कि यह पूंजी योगदान के उचित मूल्य / एक एलएलपी के लाभ के हिस्से से कम नहीं हो। आगे, भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति से भारत में निवास करने वाले व्यक्ति को पूंजी योगदान / लाभ के हिस्से के अंतरण के मामले में, अंतरण इसे ध्यान में रखते हुए होगा कि यह पूंजी योगदान एक एलएलपी के लाभ शेयर के उचित मूल्य से अधिक नहीं हो।

2. भुगतान का माध्यम

एक निवेशक के द्वारा एक एलएलपी के पूंजी योगदान के प्रति किया जाने वाला भुगतान बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक प्रेषण के रूप में अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार बनाए रखे एनआरई अथवा एफसीएनआर(बी) खाते में धारित निधियों में से किया जाएगा।

3. विनिवेश प्राप्ति का प्रेषण

विनिवेश प्राप्ति का प्रेषण भारत के बाहर भी किया जा सकता है अथवा संबंधित व्यक्ति के एनआरई अथवा एफसीएनआर(बी) खाते में जमा किया जा सकता है।

अनुसूची 7

[विनियम 5(7) देखें]

विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (FVCI) द्वारा निवेश

1. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (FVCI) द्वारा निवेश

(1) कोई विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत निम्नलिखित की खरीद कर सकता है :

(ए) इस अनुसूची के पैरा 4 में उल्लिखित किसी क्षेत्र में लिस्ट भारतीय कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियां और उक्त प्रतिभूतियों के जारी होने के समय जिसकी प्रतिभूतियां किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं;

(बी) किसी स्टार्टअप द्वारा जारी प्रतिभूतियां;

(सी) किसी जोखिम पूंजी निधि (VCF) अथवा श्रेणी-I आनुकल्पित निवेश निधि (AIF) की यूनिटें अथवा किसी जोखिम पूंजी निधि अथवा श्रेणी-I आनुकल्पित निवेश निधि (AIF) द्वारा स्थापित योजना अथवा निधि की यूनिटें।

बशर्ते कि यदि निवेश पूंजी लिखतों में है, तो क्षेत्रवार सीमा (कैप्स), प्रवेश मार्ग और अनुवर्ती शर्तें लागू होंगी।

(2) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक उल्लिखित प्रतिभूतियों / लिखतों को इन प्रतिभूतियों / लिखतों को इनके जारीकर्ता से अथवा प्रतिभूतियों / लिखतों के धारक से खरीद सकता है। विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (FVCI) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अधीन किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है।

(3) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक को जिन प्रतिभूतियों/लिखतों में निवेश करने के लिए अनुमत है, उन्हें क्रेता और विक्रेता/निर्गमकर्ता से, आपसी स्वीकार्य कीमत पर, भारत में निवास करनेवाले निवासी व्यक्ति अथवा भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति से खरीदकर अथवा अन्यथा अर्जित कर सकता है अथवा बिक्री अथवा अन्यथा के माध्यम से अंतरित कर सकता है। विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक जोखिम पूंजी निधियों अथवा श्रेणी-I आनुकल्पिक निवेश निधियों (AIF) अथवा जोखिम पूंजी निधियों अथवा श्रेणी-I आनुकल्पिक निवेश निधियों (AIF) द्वारा स्थापित योजना / निधियों के परिसमापन पर आगम राशि भी प्राप्त कर सकता है।

2. भुगतान के माध्यम

- (1) प्रतिफल राशि बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से किए गए आवक विप्रेषण से अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार बनाए रखे गए विदेशी मुद्रा खाते और/ अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में धारित निधियों में से अदा की जा सकेगी।
- (2) विदेशी मुद्रा खाते और विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते का उपयोग केवल इस अनुसूची के अंतर्गत लेनदेन के लिए ही किया जाएगा।

3. बिक्रीगत/ परिपक्वतागत आगम राशि का विप्रेषण

प्रतिभूतियों की बिक्रीगत/ परिपक्वतागत आगम राशि (करों को घटकर) का विप्रेषण भारत के बाहर किया जा सकता है अथवा विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक के विदेशी मुद्रा खाते अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में जमा किया जा सकता है।

4. उन क्षेत्रों की सूची जिनमें विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों को निवेश की अनुमति है

1. जैवप्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)
2. सूचना प्रौद्योगिकी से संबन्धित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास
3. नैनोटेक्नालॉजी
4. बीज अनुसंधान एवं विकास (Seed research and development)
5. फार्मास्युटिकल क्षेत्र में नए रसायन एंटीटी का अनुसंधान एवं विकास
6. डेरी उद्योग
7. मुर्गीपालन (पोल्ट्री) उद्योग
8. जैव-ईंधन (बायो-फ्यूल) का उत्पादन
9. तीन हजार से अधिक सीटों की क्षमता वाले होटल-सह-कन्वेन्शन केन्द्र
10. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र- इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का वही अर्थ हो जो समय- समय पर यथासंशोधित/अद्यतन किए गए दिनांक 27 मार्च, 2012 की अधिसूचना एस.सं.13/06/2009-आईएनएफ के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में दिया गया है।

अनुसूची 8

[विनियम 5(8) देखें]

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा निवेश संस्था (investment vehicle) में निवेश

1. निवेश संस्था की यूनिटों में निवेश

- (1) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति (पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के नागरिक को छोड़कर) अथवा भारत से बाहर निगमित संस्था (पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में निगमित संस्था को छोड़कर), इस अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निवेश संस्था की यूनिटों में निवेश कर सकता है।
- (2) भारत से बाहर का निवासी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस अनुसूची के अनुसार यूनिटों का अधिग्रहण किया है अथवा खरीद किया है, सेबी द्वारा निर्मित विनियमों अथवा इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यूनिटों को किसी भी तरह से बेच सकता है अथवा अंतरित कर सकता है अथवा मोचन (redeem) कर सकता है।
- (3) निवेश माध्यम ऐसी निवेश माध्यम द्वारा अधिगृहित किए जाने के लिए प्रस्तावित विशेष प्रयोजन संस्था के किसी पूंजीगत लिखत के स्वैप के प्रति भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को यूनिटें जारी कर सकती है।
- (4) किसी भारतीय कंपनी अथवा किसी एलएलपी में किसी निवेश संस्था द्वारा किया गया निवेश, निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी अथवा एलएलपी, जो भी लागू हो, के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा यदि प्रवर्तक अथवा प्रबंधक अथवा निवेश प्रबंधक (i) का स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिक के पास नहीं है अथवा (ii) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हो।

बशर्ते यह कि प्रवर्तक अथवा प्रबंधक अथवा निवेश प्रबंधक जो कंपनी में अथवा एलएलपी से भिन्न रूप में हैं, उनके संबंध में सेबी द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि प्रवर्तक अथवा प्रबंधक अथवा निवेश प्रबंधन विदेशी स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित है अथवा नहीं।

स्पष्टीकरण : एआईएफ का 'नियंत्रण' 'प्रवर्तक' अथवा 'प्रबंधक' / 'निवेश प्रबंधक' के हाथों में होगा, जिसमें अन्य कोई भी सामान्यतः शामिल नहीं होंगे। एआईएफ का 'प्रवर्तक' अथवा 'प्रबंधक' / 'निवेश प्रबंधक' व्यक्ति होने के स्थिति में, ऐसी एआईएफ द्वारा डॉउनस्ट्रीम निवेश को घरेलू मानने के लिए, 'प्रवर्तक' अथवा 'प्रबंधक' / 'निवेश प्रबंधक' निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए।

- (5) वैकल्पिक (अल्टरनेटिव) निवेश निधि श्रेणी III जिसे कोई विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है वो केवल उन प्रतिभूतियों अथवा लिखतों में ही पोर्टफोलियो निवेश कर सकती हैं जिनमें अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन निवेश करने की अनुमति है।

बशर्ते यह कि नकदी प्रबंधन के प्रयोजन से, ऐसा वैकल्पिक (अल्टरनेटिव) निवेश निधि श्रेणी III(ii) निधि में अंशदान की तिथि से एक माह से कम की अवधि के लिए चलनिधि और मुद्रा बाजार स्मूचुअल फंड में निवेश कर सकता है, और (iii) किसी भी समय में आधारभूत निधि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. भुगतान के माध्यम

प्रतिफल राशि बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से किए गए आवक विप्रेषण से अथवा विशेष प्रयोजन संस्था के शेयरों के स्वैप द्वारा अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार बनाए रखे गए एनआरई अथवा एफसीएनआर (वी) खाते में धारित निधियों में से अदा की जा सकती है।

3. बिक्रीगत/परिपक्वतागत आगम राशि का विप्रेषण

यूनिटों की बिक्रीगत/परिपक्वतागत आगम राशियों (करों को घटाकर) का विप्रेषण भारत के बाहर किया जा सकता है संबंधित व्यक्ति के एनआरई अथवा एफसीएनआर (वी) खाते में जमा किया जा सकता है।

अनुसूची - 9**[विनियम 5(9) देखें]****भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निक्षेपागार रसीदों में निवेश****1. पात्र व्यक्ति/यों के द्वारा निक्षेपागार रसीद जारी करने के उद्देश्य से विदेशी निक्षेपागार को पात्र लिखत जारी / अंतरण करना:**

- (1) कोई प्रतिभूति अथवा यूनिट, जिसमें भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति को इन विनियमों के तहत निवेश करने की अनुमति है, वह निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 (डीआर स्कीम, 2014) के अनुसार निक्षेपागार रसीद जारी करने के लिए पात्र लिखत होगा।
- (2) निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 (डीआर स्कीम, 2014) तथा इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्यक्ति निक्षेपागार रसीद जारी करने के उद्देश्य से किसी विदेशी निक्षेपागार को पात्र लिखत जारी / अंतरण करने के लिए पात्र होगा।
- (3) एक घरेलू अभिरक्षक भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति की ओर से डीआर स्कीम, 2014 के अनुसार, खरीदे गए लिखतों को निक्षेपागार रसीद के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से, पात्र लिखत खरीद सकता है।
- (4) पात्र लिखतों का समग्र जोड़, जो भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा पहले से रखे गए पात्र लिखतों सहित विदेशी निक्षेपागारों को अंतरण अथवा जारी किया जा सकता है, वह इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के तहत इस प्रकार के पात्र लिखतों की विदेशी धारिता सीमा से अधिक नहीं होगा।
- (5) लागू नियमों के तहत घरेलू निवेशकों को इस प्रकार के लिखत जारी अथवा अंतरित करने के समतुल्य माध्यम पर लागू मूल्य से कम मूल्य पर निक्षेपागार प्राप्ति जारी करने के उद्देश्य से विदेशी निक्षेपागार को पात्र लिखत जारी अथवा अंतरित नहीं किया जाएगा।

2. छूट:

यह मन लिया जाएगा कि विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड और सामान्य शेयर (निक्षेपागार रसीद व्यवस्था के माध्यम से) योजना, 1993 के तहत जारी निक्षेपागार रसीद डीआर स्कीम, 2014 के समतुल्य प्रावधानों के तहत जारी की गई है तथा इस अनुसूची में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

अनुसूची - 10**[विनियम 5(10) देखें]****भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आईडीआर) जारी करना****1. आईडीआर जारी करना :**

भारत के बाहर निगमित पात्र कंपनियाँ भारत में तथा भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों को घरेलू निक्षेपागार के माध्यम से आईडीआर जारी कर सकती हैं, जो निम्न शर्तों के अधीन होंगी :

- (1) आईडीआर का निर्गम, कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) नियम, 2014, सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009
- (2) कोई वित्तीय / बैंकिंग कंपनियाँ जिनका भारत में अपना अस्तित्व है या तो शाखा अथवा अनुषंगी कंपनी के माध्यम से आईडीआर जारी करने के लिए सेकटोरल नियामक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- (3) आईडीआर को केवल भारतीय रुपये में ही मूल्यवर्गित किया जाएगा।
- (4) इस प्रकार की आईडीआर जारी करने वाली कंपनियों के द्वारा आईडीआर जारी करने की प्राप्ति को तुरंत भारत के बाहर प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

2. आईडीआर खरीदना / बेचना :

एक एफपीआई अथवा एक एनआरआई अथवा ओसीआई निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन आईडीआर खरीद, बेच तथा रख सकता है, जो होगा :

- (1) एनआरआई अथवा ओसीआई विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016, के अनुसार बनाए रखे गए अपने एनआरआई/एफसीएनआर(बी) खाते में धारित निधि में से आईडीआर में निवेश कर सकते हैं।
- (2) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन होगी आईडीआर की दोनों ओर की सीमित प्रतिमोच्यता अनुमत होगी।
- (3) आईडीआर को जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पहले अंतर्निहित इक्विटी शेयर्स में प्रतिदेय नहीं होंगे।

जारीकर्ता कंपनी को अंतर्निहित इक्विटी शेयर्स में आईडीआर की प्रतिदेयता/ रूपान्तरण हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 का अनुपालन करना होगा।

RESERVE BANK OF INDIA
(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th November, 2017

No. FEMA 20(R)/ 2017-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017

G.S.R. 1374(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in supersession of Notification No. FEMA 20/2000-RB and Notification No. FEMA 24/2000-RB both dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank makes the following regulations to regulate investment in India by a Person Resident Outside India, namely:—

1. Short title and commencement

- (1) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2017.
- (2) They shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette except proviso (ii) to sub-regulation 1 of regulation 10 of these Regulations and proviso (ii) to sub-regulation 2 of regulation 10 of these Regulations which will come into effect from a date to be notified.

2. Definitions

In these Regulations, unless the context requires otherwise,-

- (i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (ii) 'Asset Reconstruction Company' (ARC) means a company registered with the Reserve Bank under section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act);
- (iii) 'Authorised bank' will have the same meaning as assigned to it in Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;
- (iv) 'Authorised dealer' includes a person authorised under sub-section (1) of section 10 of the Act;
- (v) 'Capital Instruments' means equity shares, debentures, preference shares and share warrants issued by an Indian company;

Explanation:

- (a) Equity shares issued in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 shall include equity shares that have been partly paid. The expression 'Debentures' means fully, compulsorily and mandatorily convertible debentures. 'Preference shares' means fully, compulsorily and mandatorily convertible preference shares. Share Warrants are those issued by an Indian Company in accordance with the Regulations issued by the Securities and Exchange Board of India. Capital instruments can contain an optionality clause subject to a minimum lock-in period of one year or as prescribed for the specific sector, whichever is higher, but without any option or right to exit at an assured price.
- (b) Partly paid shares that have been issued to a person resident outside India shall be fully called-up within twelve months of such issue. Twenty five percent of the total consideration amount (including share premium, if any), shall be received upfront.
- (c) In case of share warrants at least twenty five percent of the consideration shall be received upfront and the balance amount within eighteen months of issuance of share warrants.
- (d) Capital instruments shall include non-convertible/ optionally convertible/ partially convertible preference shares issued as on and up to April 30, 2007 and optionally convertible/ partially convertible debentures issued up to June 7, 2007 till their original maturity. Non-convertible/ optionally convertible/ partially convertible preference shares issued after April 30, 2007 shall be treated as debt and shall conform to External Commercial Borrowings guidelines regulated under Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000.
- (vi) 'Convertible Note' means an instrument issued by a startup company evidencing receipt of money initially as debt, which is repayable at the option of the holder, or which is convertible into such number of equity shares of such startup company, within a period not exceeding five years from the date of issue of the convertible note, upon occurrence of specified events as per the other terms and conditions agreed to and indicated in the instrument;
- (vii) 'Domestic Custodian' means a custodian of securities, an Indian Depository, a Depository Participant, or a bank and having permission from Securities and Exchange Board of India to provide services as custodian;
- (viii) 'Domestic Depository' means a custodian of securities registered with the Securities and Exchange Board of India and authorised by the issuing entity to issue Indian Depository Receipts;
- (ix) 'Depository Receipt' means a foreign currency denominated instrument, whether listed on an international exchange or not, issued by a foreign depository in a permissible jurisdiction on the back of eligible securities issued or transferred to that foreign depository and deposited with a domestic custodian and includes 'global depository receipt' as defined in the Companies Act, 2013;
- (x) 'Employees' stock option' (ESOP) means an ESOP as defined under the Companies Act, 2013 and issued under the regulations issued by the Securities and Exchange Board of India;
- (xi) 'Escrow account' means an Escrow account maintained in accordance with Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;
- (xii) 'FDI linked performance conditions' means the sector specific conditions stipulated in regulation 16 of these Regulations for companies receiving foreign investment;
- (xiii) 'Foreign Venture Capital Investor' (FVCI) means an investor incorporated and established outside India and registered with Securities and Exchange Board of India under Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000;
- (xiv) 'Foreign Central Bank' means an institution/ organisation/ body corporate established in a Country outside India and entrusted with the responsibility of carrying out central bank functions under the law for the time being in force in that country;
- (xv) 'FCNR (B) account' means a Foreign Currency Non-Resident (Bank) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;

- (xvi) 'Foreign Currency Convertible Bond (FCCB)' means a bond issued under the Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993;
- (xvii) 'Foreign Direct Investment' (FDI) means investment through capital instruments by a person resident outside India in an unlisted Indian company; or in 10 percent or more of the post issue paid-up equity capital on a fully diluted basis of a listed Indian company;
- Note: In case an existing investment by a person resident outside India in capital instruments of a listed Indian company falls to a level below 10 percent of the post issue paid-up equity capital on a fully diluted basis, the investment shall continue to be treated as FDI.
- Explanation: Fully diluted basis means the total number of shares that would be outstanding if all possible sources of conversion are exercised
- (xviii) 'Foreign Investment' means any investment made by a person resident outside India on a repatriable basis in capital instruments of an Indian company or to the capital of an LLP;
- Explanation: If a declaration is made by persons as per the provisions of the Companies Act, 2013 about a beneficial interest being held by a person resident outside India, then even though the investment may be made by a resident Indian citizen, the same shall be counted as foreign investment.
- Note: A person resident outside India may hold foreign investment either as Foreign Direct Investment or as Foreign Portfolio Investment in any particular Indian company.
- (xix) 'Foreign Portfolio Investment' means any investment made by a person resident outside India through capital instruments where such investment is less than 10 percent of the post issue paid-up share capital on a fully diluted basis of a listed Indian company or less than 10 percent of the paid up value of each series of capital instruments of a listed Indian company;
- Explanation: The 10 percent limit for foreign portfolio investors shall be applicable to each foreign portfolio investor or an investor group as referred in Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014
- (xx) 'Foreign Portfolio Investor (FPI)' means a person registered in accordance with the provisions of Securities Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014.
- Explanation: Any Foreign Institutional Investor (FII) or a sub account registered under the Securities Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 and holding a valid certificate of registration from Securities and Exchange Board of India shall be deemed to be a FPI till the expiry of the block of three years from the enactment of the Securities Exchange Board of India (FPI) Regulations, 2014.
- (xxi) 'Government approval' means approval from the erstwhile Secretariat for Industrial Assistance (SIA), Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India and/ or the erstwhile Foreign Investment Promotion Board (FIPB) and/ or any of the ministry/ department of the Government of India as the case may be;
- (xxii) 'Group company' means two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to (a) exercise 26 percent, or more of voting rights in other enterprise; or (b) appoint more than 50 percent, of members of board of directors in the other enterprise;
- (xxiii) 'Indian company' means a company incorporated in India and registered under the Companies Act, 2013;
- (xxiv) 'Indian Depository Receipts (IDRs)' means any instrument in the form of a depository receipt created by a Domestic Depository in India and authorised by a company incorporated outside India making an issue of such depository receipts;
- (xxv) 'Indian entity' shall mean an Indian company or an LLP;

- (xxvi) 'Investing company' means an Indian company holding only investments in other Indian company/ies directly or indirectly, other than for trading of such holdings/ securities;
- (xxvii) 'Investment' means to subscribe, acquire, hold or transfer any security or unit issued by a person resident in India;
- Explanation:
- (a) This will include to acquire, hold or transfer depository receipts issued outside India, the underlying of which is a security issued by a person resident in India.
- (b) For the purpose of LLP, investment shall mean capital contribution or acquisition/ transfer of profit shares.
- (xxviii) 'Investment on repatriation basis' means an investment, the sale/ maturity proceeds of which are, net of taxes, eligible to be repatriated out of India, and the expression 'Investment on nonrepatriation basis', shall be construed accordingly;
- (xxix) 'Investment Vehicle' means an entity registered and regulated under relevant regulations framed by Securities and Exchange Board of India or any other authority designated for the purpose and shall include Real Estate Investment Trusts (REITs) governed by the Securities and Exchange Board of India (REITs) Regulations, 2014, Infrastructure Investment Trusts (InvIts) governed by the Securities and Exchange Board of India (InvIts) Regulations, 2014 and Alternative Investment Funds (AIFs) governed by the Securities and Exchange Board of India (AIFs) Regulations, 2012;
- (xxx) 'Limited Liability Partnership (LLP)' means a partnership formed and registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008;
- (xxxi) 'Listed Indian Company' means an Indian company which has any of its capital instruments listed on a recognized stock exchange in India and the expression 'Unlisted Indian Company' shall be construed accordingly;
- (xxxii) 'Manufacture', with its grammatical variations, means a change in a non-living physical object or article or thing, (a) resulting in transformation of the object or article or thing into a new and distinct object or article or thing having a different name, character and use; or (b) bringing into existence of a new and distinct object or article or thing with a different chemical composition or integral structure.
- (xxxiii) 'NRE account' means a Non-Resident External account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;
- (xxxiv) 'NRO account' means a Non-Resident Ordinary account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;
- (xxxv) 'Non-Resident Indian (NRI)' means an individual resident outside India who is citizen of India;
- (xxxvi) 'Overseas Citizen of India (OCI)' means an individual resident outside India who is registered as an Overseas Citizen of India Cardholder under Section 7(A) of the Citizenship Act, 1955;
- (xxxvii) 'Resident Indian citizen' means an individual who is a person resident in India and is citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act, 1955;
- (xxxviii) 'Secretariat for Industrial Assistance' means Secretariat for Industrial Assistance in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India;
- (xxxix) 'Sectoral cap' means the maximum investment including both foreign investment on a repatriation basis by persons resident outside India in capital instruments of a company or the capital of an LLP, as the case may be, and indirect foreign investment, unless provided otherwise. This shall be the composite limit for the Indian investee entity;

Explanation:

- (a) FCCBs and DRs having underlying of instruments being in the nature of debt shall not be included in the sectoral cap.
- (b) Any equity holding by a person resident outside India resulting from conversion of any debt instrument under any arrangement shall be reckoned under the sectoral cap.

- (xl) 'SNRR account' means a Special Non-Resident Rupee account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;
- (xli) 'Startup' means an entity which complies with the conditions laid down in Notification No. G.S.R 180(E) dated February 17, 2016 issued by Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India;
- (xlii) 'Startup company' means a private company incorporated under the Companies Act, 2013 and recognised as such in accordance with notification number G.S.R. 180(E) dated February 17, 2016 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India and complies with the conditions laid down by it;
- (xlili) 'Sweat equity shares' means sweat equity shares as defined under the Companies Act, 2013;
- (xliv) 'Transferable Development Rights (TDR)' shall have the same meaning as assigned to it in the Regulations made under sub-section (2) of section 6 of the Act;
- (xlv) 'Unit' means beneficial interest of an investor in an investment vehicle.
- (xlvi) 'Venture Capital Fund' means a fund established in the form of a trust, a company including a body corporate and registered under the Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Fund) Regulations, 1996;
- (xlvii) The words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Restriction on investment by a person resident outside India

Save as otherwise provided in the Act, or rules or regulations made thereunder, no person resident outside India shall make any investment in India.

Provided that an investment made in accordance with the Act or the rules or the regulations framed thereunder and held on the date of commencement of these Regulations, shall be deemed to have been made under these Regulations and shall accordingly be governed by these Regulations.

Provided further that the Reserve Bank may, on an application made to it and for sufficient reasons, permit a person resident outside India to make any investment in India subject to such conditions as may be considered necessary.

4. Restriction on receiving investment

Save as otherwise provided in the Act, or rules or regulations made thereunder, an Indian entity or an investment vehicle, or a venture capital fund or a Firm or an Association of Persons or a proprietary concern shall not receive any investment in India from a person resident outside India or record such investment in its books.

Provided that the Reserve Bank may, on an application made to it and for sufficient reasons, permit an Indian entity or an investment vehicle, or a venture capital fund or a Firm or an Association of Persons or a proprietary concern to receive any investment in India from a person resident outside India or to record such investment subject to such conditions as may be considered necessary.

5. Permission for making investment by a person resident outside India

Unless otherwise specified in these Regulations or the relevant Schedules, any investment made by a person resident outside India shall be subject to the entry routes, sectoral caps or the investment limits, as the case may be, and the attendant conditionalities for such investment as laid down in these Regulations. A person resident outside India may make investment as under:

- (1) A person resident outside India may subscribe, purchase or sell capital instruments of an Indian company in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 1.

Provided that a person who is a citizen of Bangladesh or Pakistan or is an entity incorporated in Bangladesh or Pakistan cannot purchase capital instruments without the prior Government approval.

Provided further, a person who is a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan can invest, only under the Government route, in sectors/ activities other than defence, space, atomic energy and sectors/ activities prohibited for foreign investment.

Note: Issue/ transfer of 'participating interest/ right' in oil fields by Indian companies to a person resident outside India would be treated as foreign investment and shall comply with the conditions laid down in Schedule 1.

(2) A Foreign Portfolio Investor (FPI) may purchase or sell capital instruments of a listed Indian company on a recognised stock exchange in India in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 2.

(3) A Non- Resident Indian or an Overseas Citizen of India may on repatriation basis purchase or sell capital instruments of a listed Indian company on a recognised stock exchange in India, in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 3.

(4) A Non- Resident Indian or an Overseas Citizen of India may, on non-repatriation basis, purchase or sell capital instruments of an Indian company or purchase or sell units or contribute to the capital of a LLP or a firm or proprietary concern, in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 4.

(5) A person resident outside India, permitted for the purpose by the Reserve Bank in consultation with Central Government, may purchase or sell securities other than capital instruments in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 5.

Note: A Foreign Portfolio Investor or a Non-Resident Indian (NRI) or an Overseas Citizen of India (OCI) may trade or invest in all exchange traded derivative contracts approved by Securities and Exchange Board of India from time to time subject to the limits prescribed by Securities and Exchange Board of India and conditions specified in Schedule 5

(6) A person resident outside India, other than a citizen of Bangladesh or Pakistan or an entity incorporated in Bangladesh or Pakistan, may invest, either by way of capital contribution or by way of acquisition/ transfer of profit shares of an LLP, in the manner and subject to the terms and conditions as specified in Schedule 6.

(7) A Foreign Venture Capital Investor may make investment in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 7.

(8) A person resident outside India, other than a citizen of Bangladesh or Pakistan or an entity incorporated in Bangladesh or Pakistan, may invest in units of an Investment Vehicle, in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 8.

(9) A person resident outside India may invest in the Depository Receipts (DRs) issued by foreign depositories against eligible securities in the manner and subject to the terms and conditions as specified in Schedule 9.

(10) A Foreign Portfolio Investor or Non- Resident Indian or an Overseas Citizen of India may purchase, hold or sell Indian Depository Receipts (IDRs) of companies resident outside India and issued in the Indian capital market, in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 10.

6. Acquisition through a rights issue or a bonus issue

A person resident outside India and having investment in an Indian company may make investment in capital instruments (other than share warrants) issued by such company as a rights issue or a bonus issue provided that:

- (1) The offer made by the Indian company is in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013;
- (2) Such issue shall not result in a breach of the sectoral cap applicable to the company;
- (3) The shareholding on the basis of which the rights issue or the bonus issue has been made must have been acquired and held as per the provisions of these Regulations;
- (4) In case of a listed Indian company, the rights issue to persons resident outside India shall be at a price determined by the company;
- (5) In case of an unlisted Indian company, the rights issue to persons resident outside India shall not be at a price less than the price offered to persons resident in India.
- (6) Such investment made through rights issue or bonus issue shall be subject to the conditions as are applicable at the time of such issue.

- (7) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in NRE/ FCNR(B) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

Note: Where the original investment has been made on a non-repatriation basis, the amount of consideration may also be paid by debit to the NRO account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016

Provided an individual who is a person resident outside India exercising a right which was issued when he/ she was a person resident in India shall hold the capital instruments (other than share warrants) so acquired on exercising the option on a non-repatriation basis.

Explanation: The above conditions shall also be applicable in case a person resident outside India makes investment in capital instruments (other than share warrants) issued by an Indian company as a rights issue that are renounced by the person to whom it was offered.

7. Issue of shares under Employees Stock Options Scheme to persons resident outside India

An Indian company may issue “employees’ stock option” and/ or “sweat equity shares” to its employees/ directors or employees/ directors of its holding company or joint venture or wholly owned overseas subsidiary/ subsidiaries who are resident outside India, provided that:

- (1) The scheme has been drawn either in terms of regulations issued under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified by the Central Government under the Companies Act 2013, as the case may be;
- (2) The “employee’s stock option”/ “sweat equity shares” so issued under the applicable rules/ regulations are in compliance with the sectoral cap applicable to the said company;
- (3) Issue of “employee’s stock option”/ “sweat equity shares” in a company where investment by a person resident outside India is under the approval route shall require prior Government approval. Issue of “employee’s stock option”/ “sweat equity shares” to a citizen of Bangladesh/ Pakistan shall require prior Government approval.

Provided an individual who is a person resident outside India exercising an option which was issued when he/ she was a person resident in India shall hold the shares so acquired on exercising the option on a non-repatriation basis.

8. Issue of Convertible Notes by an Indian startup company

- (1) A person resident outside India (other than an individual who is citizen of Pakistan or Bangladesh or an entity which is registered/ incorporated in Pakistan or Bangladesh), may purchase convertible notes issued by an Indian startup company for an amount of twenty five lakh rupees or more in a single tranche.
- (2) A startup company, engaged in a sector where investment by a person resident outside India requires Government approval, may issue convertible notes to a person resident outside India only with such approval. Further, issue of equity shares against such convertible notes shall be in compliance with the entry route, sectoral caps, pricing guidelines and other attendant conditions for foreign investment.
- (3) A startup company issuing convertible notes to a person resident outside India shall receive the amount of consideration by inward remittance through banking channels or by debit to the NRE/ FCNR (B)/ Escrow account maintained by the person concerned in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. Repayment or sale proceeds may be remitted outside India or credited to NRE/ FCNR (B) account maintained by the person concerned in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.
- (4) A NRI or an OCI may acquire convertible notes on non-repatriation basis in accordance with Schedule 4 of these Regulations.
- (5) A person resident outside India may acquire or transfer by way of sale, convertible notes, from or to, a person resident in or outside India, provided the transfer takes place in accordance with the entry routes and pricing guidelines as prescribed for capital instruments.

9. Merger or demerger or amalgamation of Indian companies

- (1) Where a Scheme of merger or amalgamation of two or more Indian companies or a reconstruction by way of demerger or otherwise of an Indian company, has been approved by National Company Law Tribunal (NCLT)/ Competent Authority, the transferee company or the new company, as the case may be, may

issue capital instruments to the existing holders of the transferor company resident outside India, subject to the following conditions, namely:

- (a) The transfer or issue is in compliance with the entry routes, sectoral caps or investment limits, as the case may be, and the attendant conditionalities of investment by a person resident outside India;

Provided that where the percentage is likely to breach the Sectoral caps or the attendant conditionalities, the transferor company or the transferee or new company may obtain necessary approvals from the Central Government.

- (b) The transferor company or the transferee company or the new company shall not engage in any sector prohibited for investment by a person resident outside India; and

- (2) Where a Scheme of Arrangement for an Indian company has been approved by National Company Law Tribunal (NCLT)/ Competent Authority, the Indian company may issue non-convertible redeemable preference shares or non-convertible redeemable debentures out of its general reserves by way of distribution as bonus to the shareholders resident outside India, subject to the following conditions, namely:

- (a) the original investment made in the Indian company by a person resident outside India is in accordance with these Regulations and the conditions specified in the relevant Schedule;
- (b) the said issue is in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the terms and conditions, if any, stipulated in the scheme approved by National Company Law Tribunal (NCLT)/ Competent Authority have been complied with;
- (c) the Indian company shall not engage in any activity/ sector in which investment by a person resident outside India is prohibited.

10. Transfer of capital instruments of an Indian company by or to a person resident outside India

A person resident outside India holding capital instruments of an Indian company or units in accordance with these Regulations or a person resident in India, may transfer such capital instruments or units so held by him in compliance with the conditions, if any, specified in the respective Schedules of these Regulations and subject to the terms and conditions specified hereunder;

- (1) A person resident outside India, not being a non-resident Indian or an overseas citizen of India or an erstwhile overseas corporate body may transfer by way of sale or gift the capital instruments of an Indian company or units held by him to any person resident outside India;

Explanation: It shall also include transfer of capital instruments of an Indian company pursuant to liquidation, merger, de-merger and amalgamation of entities/ companies incorporated or registered outside India

Provided that

- (i) prior Government approval shall be obtained for any transfer in case the company is engaged in a sector which requires Government approval.

(ii) where the person resident outside India is an FPI and the acquisition of capital instruments made under Schedule 2 of these regulations has resulted in a breach of the applicable aggregate FPI limits or sectoral limits, the FPI shall sell such capital instruments to a person resident in India eligible to hold such instruments within the time stipulated by Reserve Bank in consultation with the Central Government. The breach of the said aggregate or sectoral limit on account of such acquisition for the period between the acquisition and sale, provided the sale is within the prescribed time limit, shall not be reckoned as a contravention under these Regulations. The guidelines issued by Securities and Exchange Board of India in this regard shall be applicable.

- (2) An NRI or an OCI holding capital instruments of an Indian company or units on repatriation basis may transfer the same by way of sale or gift to any person resident outside India;

Provided that

- (i) prior Government approval shall be obtained for any transfer in case the company is engaged in a sector which requires Government approval.

(ii) where the acquisition of capital instruments by an NRI or an OCI under the provisions of Schedule 3 of these regulations has resulted in a breach of the applicable aggregate NRI/ OCI limit or sectoral limits, the NRI or the OCI shall sell such capital instruments to a person resident in India eligible to hold such instruments within the time stipulated by Reserve Bank in consultation with the Central Government. The breach of the said aggregate or sectoral limit on account of such acquisition for the period between the acquisition and sale, provided the sale is within the prescribed time, shall not be reckoned as a contravention under these Regulations.

- (3) A person resident outside India, holding capital instruments of an Indian company or units in accordance with these Regulations may transfer the same to a person resident in India by way of sale/ gift or may sell the same on a recognised stock exchange in India in the manner prescribed by Securities and Exchange Board of India;

Provided that

(i) the transfer by way of sale shall be in compliance with and subject to the adherence to pricing guidelines, documentation and reporting requirements for such transfers as may be specified by Reserve Bank from time to time;

(ii) where the capital instruments are held by the person resident outside India on a non-repatriable basis, conditions at proviso (i) above shall not apply

- (4) A person resident in India holding capital instruments of an Indian company or units, or an NRI or an OCI or an eligible investor under Schedule 4 of these Regulations, holding capital instruments of an Indian company or units on a non-repatriation basis, may transfer the same to a person resident outside India by way of sale, subject to the adherence to entry routes, sectoral caps/ investment limits, pricing guidelines and other attendant conditions as applicable for investment by a person resident outside India and documentation and reporting requirements for such transfers as may be specified by Reserve Bank from time to time;

Provided the entry routes, sectoral caps/ investment limits, pricing guidelines and other attendant conditions shall not apply in case the transfer is to an NRI or an OCI or an eligible investor under Schedule 4 of these Regulations acquiring such investment on non-repatriation basis.

- (5) A person resident in India holding capital instruments or units of an Indian company or an NRI or an OCI an eligible investor under Schedule 4 of these Regulations holding capital instruments or units of an Indian company on a non-repatriation basis may transfer the same to a person resident outside India by way of gift with the prior approval of the Reserve Bank, in the manner prescribed, and subject to the following conditions:

- (a) The donee is eligible to hold such a security under relevant schedules of these Regulations;
- (b) The gift does not exceed 5 percent of the paid up capital of the Indian company/ each series of debentures/ each mutual fund scheme;

Explanation: The 5 percent will be on cumulative basis by a single person to another single person

- (c) The applicable sectoral cap in the Indian company is not breached;
- (d) The donor and the donee shall be 'relatives' within the meaning in section 2(77) of the Companies Act, 2013;
- (e) The value of security to be transferred by the donor together with any security transferred to any person residing outside India as gift during the financial year does not exceed the rupee equivalent of USD50,000;
- (f) Such other conditions as considered necessary in public interest by the Reserve Bank;

- (6) An NRI or an OCI or an eligible investor under Schedule 4 of these Regulations holding capital instruments of an Indian company or units on a non-repatriation basis, may transfer the same by way of gift to an NRI or an OCI or an eligible investor under Schedule 4 of these Regulations who shall hold it on a non-repatriable basis;

- (7) A person resident outside India holding capital instruments of an Indian company containing an optionality clause in accordance with these Regulations and exercising the option/ right, may exit without any assured return, subject to the pricing guidelines prescribed in these Regulations and a minimum lock-in period of one year or minimum lock-in period as prescribed in these Regulations, whichever is higher;
- (8) An erstwhile OCB may transfer capital instruments subject to directions issued by the Reserve Bank from time to time in this regard.

Explanation: 'Overseas Corporate Body (OCB)' means an entity derecognized through Foreign Exchange Management [Withdrawal of General Permission to Overseas Corporate Bodies (OCBs)] Regulations, 2003;

- (9) In case of transfer of capital instruments between a person resident in India and a person resident outside India, an amount not exceeding twenty five percent of the total consideration
- (a) can be paid by the buyer on a deferred basis within a period not exceeding eighteen months from the date of the transfer agreement; or
 - (b) can be settled through an escrow arrangement between the buyer and the seller for a period not exceeding eighteen months from the date of the transfer agreement; or
 - (c) can be indemnified by the seller for a period not exceeding eighteen months from the date of the payment of the full consideration, if the total consideration has been paid by the buyer to the seller.

Provided the total consideration finally paid for the shares shall be compliant with the applicable pricing guidelines.

- (10) In case of transfer of capital instruments between a person resident in India and a person resident outside India, a person resident outside India may open an Escrow account in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. Such Escrow account may be funded by way of inward remittance through banking channels and/ or by way of guarantee issued by an authorized dealer bank, subject to terms and conditions as specified in the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000.
- (11) The pricing guidelines prescribed in these Regulations shall not be applicable for any transfer by way of sale done in accordance with Securities and Exchange Board of India regulations where the pricing is prescribed by Securities and Exchange Board of India.
- (12) The transfer of capital instruments of an Indian company or units of an Investment Vehicle by way of pledge is subject to the following terms and conditions:
- (a) Any person being a promoter of a company registered in India (borrowing company), which has raised external commercial borrowing (ECB) in compliance with the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 may pledge the shares of the borrowing company or that of its associate resident companies for the purpose of securing the external commercial borrowing (ECB) raised by the borrowing company subject to the following conditions:
 - (i) the period of such pledge shall be co-terminus with the maturity of the underlying external commercial borrowing;
 - (ii) in case of invocation of pledge, transfer shall be in accordance with these Regulations and directions issued by the Reserve Bank;
 - (iii) the Statutory Auditor has certified that the borrowing company will utilise/ has utilised the proceeds of the external commercial borrowing for the permitted enduse/s only;
 - (iv) no person shall pledge any such share unless a no-objection has been obtained from an Authorised Dealer bank that the above conditions have been complied with.
 - (b) Any person resident outside India holding capital instruments in an Indian company or units of an investment vehicle may pledge the capital instruments or units, as the case may be:
 - (i) in favour of a bank in India to secure the credit facilities being extended to such Indian company for bona fide purposes,

- (ii) in favour of an overseas bank to secure the credit facilities being extended to such person or a person resident outside India who is the promoter of such Indian company or the overseas group company of such Indian company,
 - (iii) in favour of a Non-Banking Financial Company registered with the Reserve Bank to secure the credit facilities being extended to such Indian company for bona fide purposes,
 - (iv) subject to the Authorised Dealer bank satisfying itself of the compliance of the conditions stipulated by the Reserve Bank in this regard.
- (c) In case of invocation of pledge, transfer of capital instruments of an Indian company or units shall be in accordance with entry routes, sectoral caps/ investment limits, pricing guidelines and other attendant conditions at the time of creation of pledge.

11. Pricing Guidelines

Unless otherwise specified in these Regulations or the relevant Schedules, the price of capital instruments of an Indian company -

- (1) issued by such company to a person resident outside India shall not be less than:
- (a) the price worked out in accordance with the relevant Securities and Exchange Board of India guidelines in case of a listed Indian company or in case of a company going through a delisting process as per the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
 - (b) the valuation of capital instruments done as per any internationally accepted pricing methodology for valuation on an arm's length basis duly certified by a Chartered Accountant or a Securities and Exchange Board of India registered Merchant Banker or a practicing Cost Accountant, in case of an unlisted Indian Company.

Explanation: in case of convertible capital instruments, the price/ conversion formula of the instrument should be determined upfront at the time of issue of the instrument. The price at the time of conversion should not in any case be lower than the fair value worked out, at the time of issuance of such instruments, in accordance with these Regulations.

- (2) transferred from a person resident in India to a person resident outside India shall not be less than:
- (a) the price worked out in accordance with the relevant Securities and Exchange Board of India guidelines in case of a listed Indian company;
 - (b) the price at which a preferential allotment of shares can be made under the Securities and Exchange Board of India Guidelines, as applicable, in case of a listed Indian company or in case of a company going through a delisting process as per the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) regulations, 2009;
 - (c) the valuation of capital instruments done as per any internationally accepted pricing methodology for valuation on an arm's length basis duly certified by a Chartered Accountant or a Securities and Exchange Board of India registered Merchant Banker or a practicing Cost Accountant, in case of an unlisted Indian Company.
- (3) transferred by a person resident outside India to a person resident in India shall not exceed:
- (a) the price worked out in accordance with the relevant Securities and Exchange Board of India guidelines in case of a listed Indian company;
 - (b) the price at which a preferential allotment of shares can be made under the Securities and Exchange Board of India Guidelines, as applicable, in case of a listed Indian company or in case of a company going through a delisting process as per the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) regulations, 2009;

Provided that the price is determined for such duration as specified in the Securities and Exchange Board of India Guidelines, preceding the relevant date, which shall be the date of purchase or sale of shares;

- (c) the valuation of capital instruments done as per any internationally accepted pricing methodology for valuation on an arm's length basis duly certified by a Chartered Accountant or a Securities and Exchange Board of India registered Merchant Banker or a practicing Cost Accountant, in case of an unlisted Indian Company.

Explanation: The guiding principle would be that the person resident outside India is not guaranteed any assured exit price at the time of making such investment/ agreement and shall exit at the price prevailing at the time of exit.

- (4) in case of swap of capital instruments, subject to the condition that irrespective of the amount, valuation involved in the swap arrangement will have to be made by a Merchant Banker registered with Securities and Exchange Board of India or an Investment Banker outside India registered with the appropriate regulatory authority in the host country.
- (5) where shares in an Indian company are issued to a person resident outside India in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, by way of subscription to Memorandum of Association, such investments shall be made at face value subject to entry route and sectoral caps.
- (6) in case of share warrants, their pricing and the price/ conversion formula shall be determined upfront.

Provided these pricing guidelines shall not be applicable for investment in capital instruments by a person resident outside India on non-repatriation basis.

12. Taxes and Remittance of sale proceeds

12.1 Taxes

All transaction under these regulations shall be undertaken through banking channels in India and subject to payment of applicable taxes and other duties/ levies in India.

12.2 Remittance of sale proceeds

- (1) No remittance of sale proceeds of an Indian security held by a person resident outside India shall be made otherwise than in accordance with these Regulations and the conditions specified in the relevant Schedule.
- (2) An authorised dealer may allow the remittance of sale proceeds of a security (net of applicable taxes) to the seller of shares resident outside India -

Provided -

- (i) the security was held by the seller on repatriation basis; and
- (ii) either the security has been sold in compliance with the pricing guidelines or the Reserve Bank's approval has been obtained in other cases for sale of the security and remittance of the sale proceeds thereof;

13. Reporting requirements

13.1 The reporting requirement for any Investment in India by a person resident outside India shall be as follows:

- (1) **Advance Remittance Form (ARF):** An Indian company which has received amount of consideration for issue of capital instruments and where such issue is reckoned as Foreign Direct Investment for the purpose of these regulations, shall report such receipt (including each upfront/ call payment) in ARF to the Regional Office concerned of the Reserve Bank, not later than 30 days from the date of receipt.
- (2) **Form Foreign Currency-Gross Provisional Return (FC-GPR):** An Indian company issuing capital instruments to a person resident outside India and where such issue is reckoned as Foreign Direct Investment, for the purpose of these regulations, shall report such issue in Form FC-GPR to the Regional Office concerned of the Reserve Bank under whose jurisdiction the Registered office of the company operates, not later than thirty days from the date of issue of capital instruments. Issue of 'participating interest/ rights' in oil fields shall be reported Form FC-GPR.
- (3) **Annual Return on Foreign Liabilities and Assets (FLA):** An Indian company which has received FDI or an LLP which has received investment by way of capital contribution in the previous year(s) including the current year, should submit form FLA to the Reserve Bank on or before the 15th day of July of each year.

Explanation: Year for this purpose shall be reckoned as April to March.

(4) **Form Foreign Currency-Transfer of Shares (FC-TRS):**

(a) Form FCTRS shall be filed for transfer of capital instruments in accordance with these Regulations between:

- (1) a person resident outside India holding capital instruments in an Indian company on a repatriable basis and person resident outside India holding capital instruments on a non-repatriable basis; and
- (2) a person resident outside India holding capital instruments in an Indian company on a repatriable basis and a person resident in India,

The onus of reporting shall be on the resident transferor/ transferee or the person resident outside India holding capital instruments on a non-repatriable basis, as the case may be.

Note: Transfer of capital instruments in accordance with these Regulations by way of sale between a person resident outside India holding capital instruments on a non-repatriable basis and person resident in India is not required to be reported in Form FC-TRS.

- (b) Transfer of capital instruments on a recognised stock exchange by a person resident outside India shall be reported by such person in Form FC-TRS to the Authorised Dealer bank.
- (c) Transfer of capital instruments prescribed in regulation 10(9), shall be reported in Form FC-TRS to the Authorised Dealer on receipt of every tranche of payment. The onus of reporting shall be on the resident transferor/ transferee.
- (d) Transfer of 'participating interest/ rights' in oil fields shall be reported Form FC-TRS

The form FCTRS shall be filed with the Authorised Dealer bank within sixty days of transfer of capital instruments or receipt/ remittance of funds whichever is earlier.

- (5) **Form Employees' Stock Option (ESOP):** An Indian company issuing employees' stock option to persons resident outside India who are its employees/ directors or employees/ directors of its holding company/ joint venture/ wholly owned overseas subsidiary/ subsidiaries shall submit Form-ESOP to the Regional Office concerned of the Reserve Bank under whose jurisdiction the registered office of the company operates, within 30 days from the date of issue of employees' stock option.
- (6) **Form Depository Receipt Return (DRR):** The Domestic Custodian shall report in Form DRR, to the Reserve Bank, the issue/ transfer of depository receipts issued in accordance with the Depository Receipt Scheme, 2014 within 30 days of close of the issue.
- (7) **Form LLP (I):** A Limited Liability Partnerships (LLP) receiving amount of consideration for capital contribution and acquisition of profit shares shall submit Form LLP (I) to the Regional Office of the Reserve Bank under whose jurisdiction the Registered Office of the Limited Liability Partnership is situated, within 30 days from the date of receipt of the amount of consideration
- (8) **Form LLP (II):** The disinvestment/ transfer of capital contribution or profit share between a resident and a non-resident (or vice versa) shall be reported in Form LLP(II) to the Authorised Dealer Bank within 60 days from the date of receipt of funds.
- (9) **LEC(FII):** The Authorised Dealer Category I banks shall report to the Reserve Bank in Form LEC (FII) the purchase/ transfer of capital instruments by FPIs on the stock exchanges in India.
- (10) **LEC(NRI):** The Authorised Dealer Category I banks shall report to the Reserve Bank in Form LEC (NRI) the purchase/ transfer of capital instruments by Non-Resident Indians or Overseas Citizens of India stock exchanges in India.
- (11) **Downstream Investment:** An Indian company making downstream investment in another Indian company which is considered as indirect foreign investment for the investee company in terms of these Regulations, shall notify the Secretariat for Industrial Assistance, DIPP and file Form DI within 30 days of such investment and, even if capital instruments have not been allotted along with the modality of investment in new/existing ventures (with/without expansion programme);

(12) Form Convertible Notes (CN):

- (a) The Indian startup company issuing Convertible Notes to a person resident outside India shall report such inflows to the Authorised Dealer bank in Form CN within 30 days of such issue.
- (b) A person resident in India, who may be a transferor or transferee of Convertible Notes issued by an Indian startup company shall report such transfers to or from a person resident outside India, as the case may be, in Form CN to the Authorised Dealer bank within 30 days of such transfer.
- (c) The Authorised Dealer bank shall submit consolidated statements to the Reserve Bank.

Provided, the format, periodicity and manner of submission of such reporting shall be as prescribed by Reserve Bank in this regard.

Provided further that unless otherwise specifically stated in these regulations all reporting shall be made through or by an Authorised Dealer bank, as the case may be.

13.2 Delays in reporting

The person/ entity responsible for filing the reports provided in regulation 13.1 above shall be liable for payment of late submission fee, as may be decided by the Reserve Bank, in consultation with the Central Government, for any delays in reporting.

14. Downstream Investment

(1) For the purpose of this regulation:

- (a) 'Ownership of an Indian company' shall mean beneficial holding of more than 50 percent of the capital instruments of such company. 'Ownership of an LLP' shall mean contribution of more than 50 percent in its capital and having majority profit share.
- (b) 'Company owned by resident Indian citizens' shall mean an Indian company where ownership is vested in resident Indian citizens and/ or Indian companies, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens. An 'LLP owned by resident Indian citizens' shall mean an LLP where ownership is vested in resident Indian citizens and/ or Indian entities, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens.
- (c) 'Company owned by persons resident outside India' shall mean an Indian company that is owned by persons resident outside India. An 'LLP owned by persons resident outside India' shall mean an LLP that is owned by persons resident outside India.
- (d) 'Control' shall mean the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreement or voting agreement. For the purpose of LLP, 'Control' shall mean the right to appoint majority of the designated partners, where such designated partners, with specific exclusion to others, have control over all the policies of an LLP.
- (e) 'Company controlled by resident Indian citizens' means an Indian company, the control of which is vested in resident Indian citizens and/ or Indian companies which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens. An 'LLP controlled by resident Indian citizens' shall mean an LLP, the control of which is vested in resident Indian citizens and/ or Indian entities, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens.
- (f) 'Company controlled by persons resident outside India' shall mean an Indian company that is controlled by persons resident outside India. An 'LLP controlled by persons resident outside India' shall mean an LLP that is controlled by persons resident outside India.
- (g) 'Downstream Investment' shall mean investment made by an Indian entity or an Investment Vehicle in the capital instruments or the capital, as the case may be, of another Indian entity:
- (h) 'Holding Company' shall have the same meaning as assigned to it under Companies Act, 2013;
- (i) 'Indirect Foreign Investment' means downstream investment received by an Indian entity from:

- (i) another Indian entity (IE) which has received foreign investment and (i) the IE is not owned and not controlled by resident Indian citizens or (ii) is owned or controlled by persons resident outside India; or
- (ii) an investment vehicle whose sponsor or manager or investment manager (i) is not owned and not controlled by resident Indian citizens or (ii) is owned or controlled by persons resident outside India

Provided no person resident in India other than an Indian entity can receive Indirect Foreign Investment.

- (j) 'Total Foreign Investment' means the total of foreign investment and indirect foreign investment and the same will be reckoned on a fully diluted basis;
 - (k) 'Strategic downstream investment' means investment by banking companies incorporated in India in their subsidiaries, joint ventures and associates.
- (2) Indian entity which has received indirect foreign investment shall comply with the entry route, sectoral caps, pricing guidelines and other attendant conditions as applicable for foreign investment.

Explanation: Downstream investment by an LLP not owned and not controlled by resident Indian citizens or owned or controlled by persons resident outside India is allowed in an Indian company operating in sectors where foreign investment up to 100 percent is permitted under automatic route and there are no FDI linked performance conditions.

- (3) With effect from 31st day of July, 2012, downstream investment/s made under Corporate Debt Restructuring (CDR), or other loan restructuring mechanism, or in trading book, or for acquisition of shares due to defaults in loans, by a banking company, as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949, incorporated in India, which is not owned and not controlled by resident Indian citizens or owned or controlled by persons resident outside India, shall not count towards indirect foreign investment. However, their strategic downstream investment shall be counted towards indirect foreign investment for the company in which such investment is being made.
- (4) Guidelines for calculating total foreign investment in Indian companies:
- (a) Any equity holding by a person resident outside India resulting from conversion of any debt instrument under any arrangement shall be reckoned for total foreign investment;
 - (b) FCCBs and DRs having underlying of instruments in the nature of debt, shall not be reckoned for total foreign investment;
 - (c) The methodology for calculating total foreign investment would apply at every stage of investment in Indian companies and thus in each and every Indian company;
 - (d) For the purpose of downstream investment, the portfolio investment held as on March 31 of the previous financial year in the Indian company making the downstream investment shall be considered for computing its total foreign investment;
 - (e) The indirect foreign investment received by a wholly owned subsidiary of an Indian company will be limited to the total foreign investment received by the company making the downstream investment;
- (5) Downstream investment made into Indian companies will be subject to the following conditions:
- (a) The downstream investment should have the approval of the Board of Directors as also a Shareholders' Agreement, if any;
 - (b) For the purpose of downstream investment, the Indian entity making the downstream investment shall bring in requisite funds from abroad and not use funds borrowed in the domestic markets. Downstream investments can be made through internal accruals. For this purpose, internal accruals will mean profits transferred to reserve account after payment of taxes.

Further raising of debt and its utilisation shall be in compliance with the Act, rules or regulations made thereunder.

- (c) Capital instrument of an Indian company held by another Indian company which has received foreign investment and is not owned and not controlled by resident Indian citizens or is owned or controlled by persons resident outside India may be transferred to:
- (i) A person resident outside India, subject to reporting requirements in Form FCTRS;
 - (ii) A person resident in India subject to adherence to pricing guidelines.
 - (iii) An Indian company which has received foreign investment and is not owned and not controlled by resident Indian citizens or owned or controlled by persons resident outside India.
- (d) The first level Indian company making downstream investment shall be responsible for ensuring compliance with the provisions of these regulations for the downstream investment made by it at second level and so on and so forth. Such first level company shall obtain a certificate to this effect from its statutory auditor on an annual basis. Such compliance of these regulations shall be mentioned in the Director's report in the Annual Report of the Indian company. In case statutory auditor has given a qualified report, the same shall be immediately brought to the notice of the Regional Office of the Reserve Bank in whose jurisdiction the Registered Office of the company is located and shall also obtain acknowledgement from the RO.
- (e) The provisions at (c) and (d) above shall be construed accordingly for an LLP.

Note: Downstream investment made in accordance with the guidelines in existence prior to February 13, 2009 would not require any modification to conform to these regulations. All other investments, after the said date, would come under the ambit of these regulations. Downstream investments made between February 13, 2009 and June 21, 2013 which is not in conformity with these regulations should have been intimated to the Reserve Bank by October 3, 2013 for treating such cases as compliant with these regulations.

15. Prohibited activities for investment by a person resident outside India

Unless otherwise specifically stated in the Act or the rules or regulations framed thereunder, investment by a person resident outside India is prohibited in:

- (1) Lottery Business including Government/ private lottery, online lotteries
- (2) Gambling and betting including casinos
- (3) Chit funds.

Explanation: The Registrar of Chits or an officer authorised by the state government in this behalf, may, in consultation with the State Government concerned, permit any chit fund to accept subscription from Non-resident Indians and Overseas Citizens of India who shall be eligible to subscribe, through banking channel and on non- repatriation basis, to such chit funds, without limit subject to the conditions stipulated by the Reserve Bank of India from time to time

- (4) Nidhi company
- (5) Trading in Transferable Development Rights (TDRs)
- (6) Real Estate Business or Construction of Farm Houses.

Explanation: For the purpose of this regulation, “real estate business” shall not include development of townships, construction of residential /commercial premises, roads or bridges and Real Estate Investment Trusts (REITs) registered and regulated under the SEBI (REITs) Regulations 2014.

- (7) Manufacturing of Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
- (8) Activities/ sectors not open to private sector investment e.g. (I) Atomic energy and (II) Railway operations
- (9) Foreign technology collaboration in any form including licensing for franchise, trademark, brand name, management contract is also prohibited for Lottery Business and Gambling and Betting activities

16. Permitted sectors, entry routes and sectoral caps for total foreign investment

Unless otherwise specified in these Regulations or the relevant Schedules the entry routes and sectoral caps for the total foreign investment in an Indian entity shall be as follows:

A. Entry Routes

- (1) Automatic Route means the entry route through which investment by a person resident outside India does not require the prior Reserve Bank approval or Government approval.
- (2) Government Route means the entry route through which investment by a person resident outside India requires prior Government approval. Foreign investment received under this route shall be in accordance with the conditions stipulated by the Government in its approval.
- (3) Aggregate Foreign Portfolio Investment up to 49 percent of the paid-up capital on a fully diluted basis or the sectoral/ statutory cap, whichever is lower, will not require Government approval or compliance of sectoral conditions as the case may be, if such investment does not result in transfer of ownership and control of the resident Indian company from resident Indian citizens or transfer of ownership or control to persons resident outside India. Other investments by a person resident outside India will be subject to conditions of Government approval and compliance of sectoral conditions as laid down in these regulations.

B. Sectoral Caps**SECTOR-SPECIFIC POLICY FOR TOTAL FOREIGN INVESTMENT**

- (1) Sectoral cap for the following sectors/ activities is the limit indicated against each sector. The total foreign investment shall not exceed the sectoral/ statutory cap.
- (2) Foreign investment in the following sectors/ activities is, subject to applicable laws/ regulations, security and other conditionalities
- (3) In sectors/ activities not listed below or not prohibited under regulation 15 of these Regulations, foreign investment is permitted up to 100 percent on the automatic route, subject to applicable laws/ regulations, security and other conditionalities.

Provided foreign investment in financial services other than those indicated under serial number “F” below would require prior Government approval.

- (4) Wherever there is a requirement of minimum capitalization, it shall include premium received along with the face value of the capital instrument, only when it is received by the company upon issue of such instruments to the person resident outside India. Amount paid by the transferee during post-issue transfer beyond the issue price of the capital instrument, cannot be taken into account while calculating minimum capitalization requirement.
- (5) Foreign investment into an Indian company, engaged only in the activity of investing in the capital of other Indian company/ies, will require prior approval of the Government. A core investment company (CIC) will have to additionally follow the Reserve Bank’s regulatory framework for CICs.
- (6) For undertaking activities which are under automatic route and without FDI linked performance conditions, an Indian company which does not have any operations and also has not made any downstream investment, may receive investment in its capital instruments from persons resident outside India under automatic route. However, approval of the Government will be required for such companies for undertaking activities which are under Government route. As and when such a company commences business or makes downstream investment, it will have to comply with the relevant sectoral conditions on entry route, conditionalities and caps.
- (7) The onus of compliance with the sectoral/ statutory caps on such foreign investment and attendant conditions, if any, shall be on the company receiving foreign investment.

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
1.	Agriculture & Animal Husbandry		
1.1	(a) Floriculture, Horticulture and Cultivation of vegetables & mushrooms under controlled conditions; (b) Development and production of seeds and planting material; (c) Animal Husbandry (including breeding of dogs), Pisciculture, Aquaculture and Apiculture; and	100%	Automatic

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
	(d) Services related to agro and allied sectors. Note: Other than the above, foreign investment is not allowed in any other agricultural sector/ activity.		
1.2	Other Conditions		
	The term 'under controlled conditions' covers the following: 'Cultivation under controlled conditions' for the categories of Floriculture, Horticulture, Cultivation of vegetables and Mushrooms is the practice of cultivation wherein rainfall, temperature, solar radiation, air humidity and culture medium are controlled artificially. Control in these parameters may be effected through protected cultivation under green houses, net houses, poly houses or any other improved infrastructure facilities where micro-climatic conditions are regulated anthropogenically.		
2.	Plantation		
2.1	(a) Tea sector including tea plantations (b) Coffee plantations (c) Rubber plantations (d) Cardamom plantations (e) Palm oil tree plantations (f) Olive oil tree plantation Note: Foreign investment is not allowed in any plantation sector/ activity other than those listed above.	100%	Automatic
2.2	Other Conditions		
	Prior approval of the State Government concerned is required in case of any future land use change.		
3.	Mining		
3.1	Mining and Exploration of metal and non-metal ores including diamond, gold, silver and precious ores but excluding titanium bearing minerals and its ores; subject to the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957.	100%	Automatic
3.2	Coal and Lignite		
	(a) Coal & Lignite mining for captive consumption by power projects, iron & steel and cement units and other eligible activities permitted under and subject to the provisions of Coal Mines (Nationalization) Act, 1973. (b) Setting up coal processing plants like washeries, subject to the condition that the company shall not do coal mining and shall not sell washed coal or sized coal from its coal processing plants in the open market and shall supply the washed or sized coal to those parties who are supplying raw coal to coal processing plants for washing or sizing.	100%	Automatic
3.3	Mining and mineral separation of titanium bearing minerals and ores, its value addition and integrated activities		
	(a) Mining and mineral separation of titanium bearing minerals & ores, its value addition and integrated activities subject to sectoral regulations and the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.	100%	Government
3.4	Other Conditions		
	(a) Foreign investment for separation of titanium bearing minerals & ores will be subject to the following conditions: (i) Value addition facilities are set up within India along with transfer of technology; (ii) Disposal of tailings during the mineral separation shall be carried out in accordance with regulations framed by the Atomic Energy Regulatory Board such as Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 and the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987. (b) Foreign investment will not be allowed in mining of "prescribed substances" listed in the Notification No. S.O. 61(E), dated 18.1.2006, issued by the Department of Atomic Energy.		

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
	Clarification: (i) For titanium bearing ores such as Ilmenite, Leucoxene and Rutile, manufacture of titanium dioxide pigment and titanium sponge constitutes value addition. Ilmenite can be processed to produce Synthetic Rutile or Titanium Slag as an intermediate value added product. (ii) The objective is to ensure that the raw material available in the country is utilized for setting up downstream industries and the technology available internationally is also made available for setting up such industries within the country. Thus, if with the technology transfer, the objective of this regulation can be achieved, the conditions prescribed at (a)(i) above shall be deemed to be fulfilled.		
4.	Petroleum & Natural Gas		
4.1	Exploration activities of oil and natural gas fields, infrastructure related to marketing of petroleum products and natural gas, marketing of natural gas and petroleum products, petroleum product pipelines, natural gas/ pipelines, LNG Regasification infrastructure, market study and formulation and Petroleum refining in the private sector, subject to the existing sectoral policy and regulatory framework in the oil marketing sector and the policy of the Government on private participation in exploration of oil and the discovered fields of national oil companies.	100%	Automatic
4.2	Petroleum refining by the Public Sector Undertakings (PSUs), without any disinvestment or dilution of domestic equity in the existing PSUs.	49%	Automatic
5.	Manufacturing	100%	Automatic
5.1	A manufacturer is permitted to sell its products manufactured in India through wholesale and/ or retail, including through e-commerce without Government approval. Notwithstanding the provisions of these regulations on trading sector, 100 percent foreign investment under Government approval route is allowed for trading, including through e-commerce, in respect of food products manufactured and/ or produced in India. Applications for foreign investment in food products retail trading would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion before being considered by the Government for approval.		
6.	Defence		
6.1	Defence Industry subject to Industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951; and Manufacturing of small arms and ammunition under the Arms Act, 1959	100%	Automatic route up to 49% Government route beyond 49% wherever it is likely to result in access to modern technology or for other reasons to be recorded.
6.2	Other Conditions		
	(a) Fresh foreign investment within the permitted automatic route, in a company not seeking industrial license, resulting in change in the ownership pattern or transfer of stake by existing investor to new foreign investor, will require Government approval. (b) Licence applications will be considered and licences will be given by the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, in consultation with Ministry of Defence and Ministry of External Affairs. (c) Foreign investment in this sector is subject to security clearance and guidelines of the Ministry of Defence. (d) Investee company should be structured to be self-sufficient in areas of product design and development. The investee/ joint venture company along with manufacturing facility, should also have maintenance and life cycle support facility of the product being manufactured in India.		
7.	Broadcasting		
7.1	Broadcasting Carriage Services		

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
7.1.1	(a) Teleports (setting up of up-linking HUBs/ Teleports); (b) Direct to Home (DTH); (c) Cable Networks (Multi System Operators (MSOs) operating at National or State or District level and undertaking up-gradation of networks towards digitalization and addressability); (d) Mobile TV; (e) Head-end-in-the Sky Broadcasting Service (HITS)	100%	Automatic
7.1.2	Cable Networks (Other MSOs not undertaking up-gradation of networks towards digitalization and addressability and Local Cable Operators (LCOs)).	100%	Automatic
7.1.3	Note: Infusion of fresh foreign investment for sectors specified in 7.1.1 and 7.1.2 above, beyond 49 percent in a company not seeking license/ permission from sectoral Ministry, resulting in change in the ownership pattern or transfer of stake by existing investor to new foreign investor, will require Government approval		
7.2	Broadcasting Content Services		
7.2.1	Terrestrial Broadcasting FM (FM Radio), subject to such terms and conditions, as specified from time to time, by Ministry of Information and Broadcasting, for grant of permission for setting up of FM Radio stations.	49%	Government
7.2.2	Up-Linking of 'News & Current Affairs' TV Channels	49%	Government
7.2.3	Up-linking of Non-'News & Current Affairs' TV Channels/ Down-linking of TV Channels	100%	Automatic
7.3	Other Conditions		
	<p>(a) Foreign investment in companies engaged in all the afore-stated services will be subject to relevant regulations and such terms and conditions, as may be specified from time to time, by the Ministry of Information and Broadcasting.</p> <p>(b) Foreign investment in the afore-stated broadcasting carriage services will be subject to the terms and conditions as may be specified by the Ministry of Information and Broadcasting, from time to time, in this regard.</p> <p>(c) Licensee shall ensure that broadcasting service installation carried out by it should not become a safety hazard and is not in contravention of any statute, rule or regulations and public policy.</p> <p>(d) In the I& B sector where the sectoral cap is up to 49 percent, the company should be owned and controlled by resident Indian citizens or Indian companies which are owned and controlled by resident Indian citizens.</p> <p>(i) For this purpose, the equity held by the largest Indian shareholder shall be at least 51 percent of the total equity, excluding the equity held by Public Sector Banks and Public Financial Institutions, as defined in Section 4A of the Companies Act, 1956 or Section 2 (72) of the Companies Act, 2013, as the case may be. The term 'largest Indian shareholder' used in this clause, will include any or a combination of the following:</p> <p>(1) In the case of an individual shareholder,</p> <p>(aa) The individual shareholder,</p> <p>(bb) A relative of the shareholder within the meaning of Section 2 (77) of Companies Act, 2013.</p> <p>(cc) A company/group of companies in which the individual shareholder/HUF to which he belongs has management and controlling interest.</p> <p>(2) In the case of an Indian company,</p> <p>(aa) The Indian company</p> <p>(bb) A group of Indian companies under the same management and ownership control.</p> <p>(3) For this purpose, "Indian company" shall be a company which must have a resident Indian or a relative as defined under Section 2 (77) of Companies Act, 2013/ HUF, either singly or in combination holding at least 51percent of the shares.</p> <p>(4) Provided that, in case of a combination of all or any of the entities mentioned in Sub-Clauses (d)(i) above, each of the parties shall have entered into a legally binding agreement to act as a single unit in managing the matters of the applicant company.</p>		
8.	Print Media		

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
8.1	Publishing of newspaper and periodicals dealing with news and current affairs	26%	Government
8.2	Publication of Indian editions of foreign magazines dealing with news and current affairs	26%	Government
8.2.1	Other conditions		
	<p>(a) 'Magazine', for the purpose of these guidelines, will be defined as a periodical publication, brought out on non-daily basis, containing public news or comments on public news.</p> <p>(b) Foreign investment shall also be subject to the Guidelines for Publication of Indian editions of foreign magazines dealing with news and current affairs issued by the Ministry of Information & Broadcasting on 4-12-2008.</p>		
8.3	Publishing/ printing of Scientific and Technical Magazines/ specialty journals/periodicals, subject to compliance with the legal framework as applicable and guidelines issued in this regard from time to time by Ministry of Information and Broadcasting.	100%	Government
8.4	Publication of facsimile edition of foreign newspapers	100%	Government
8.4.1	Other conditions:		
	<p>(a) Foreign investment should be made by the owner of the original foreign newspapers whose facsimile edition is proposed to be brought out in India.</p> <p>(b) Publication of facsimile edition of foreign newspapers can be undertaken only by an entity incorporated or registered in India under the provisions of the Companies Act, 2013.</p> <p>(c) Publication of facsimile edition of foreign newspaper would also be subject to the Guidelines for publication of newspapers and periodicals dealing with news and current affairs and publication of facsimile edition of foreign newspapers issued by Ministry of Information & Broadcasting on 31-3-2006.</p>		
9.	Civil Aviation		
9.1	<p>The Civil Aviation sector includes Airports, Scheduled and Non-Scheduled domestic passenger airlines, Helicopter services/ Seaplane services, Ground Handling Services, Maintenance and Repair organizations, Flying training institutes, and Technical training institutions.</p> <p>For the purposes of the Civil Aviation sector:</p> <p>(a) "Airport" means a landing and taking off area for aircrafts, usually with runways and aircraft maintenance and passenger facilities and includes aerodrome as defined in clause (2) of section 2 of the Aircraft Act, 1934;</p> <p>(b) "Aerodrome" means any definite or limited ground or water area intended to be used, either wholly or in part, for the landing or departure of aircraft, and includes all buildings, sheds, vessels, piers and other structures thereon or pertaining thereto;</p> <p>(c) "Air transport service" means a service for the transport by air of persons, mails or any other thing, animate or inanimate, for any kind of remuneration whatsoever, whether such service consists of a single flight or series of flights;</p> <p>(d) "Air Transport Undertaking" means an undertaking whose business includes the carriage by air of passengers or cargo for hire or reward;</p> <p>(e) "Aircraft component" means any part, the soundness and correct functioning of which, when fitted to an aircraft, is essential to the continued airworthiness or safety of the aircraft and includes any item of equipment;</p> <p>(f) "Helicopter" means a heavier than air aircraft supported in flight by the reactions of the air on one or more power driven rotors on substantially vertical axis;</p> <p>(g) "Scheduled air transport service" means an air transport service undertaken between the same two or more places and operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systematic series, each flight being open to use by members of the public;</p> <p>(h) "Non-Scheduled air transport service" means any service which is not a scheduled air transport service and will include Cargo airlines;</p> <p>(i) "Cargo airlines" would mean such airlines which meet the conditions as given in the Civil Aviation Requirements issued by the Ministry of Civil Aviation;</p> <p>(j) "Seaplane" means an aeroplane capable normally of taking off from and alighting solely on water;</p> <p>(k) "Ground Handling" means (i) ramp handling, (ii) traffic handling both of which shall include the</p>		

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
	activities as specified by the Ministry of Civil Aviation through the Aeronautical Information Circulars from time to time, and (iii) any other activity specified by the Central Government to be a part of either ramp handling or traffic handling.		
9.2	Airports		
	(a) Greenfield projects	100%	Automatic
	(b) Existing projects	100%	Automatic
9.3	Air Transport Services		
	(a) (i) Scheduled Air Transport Service/ Domestic Scheduled Passenger Airline (ii) Regional Air Transport Service	49% (100% for NRIs and OCIs)	Automatic
	(b) Non-Scheduled Air Transport Service	100%	Automatic
	(c) Helicopter services/ seaplane services requiring DGCA approval	100%	Automatic
9.4	Other Services under Civil Aviation sector		
	(a) Ground Handling Services subject to sectoral regulations and security clearance	100%	Automatic
	(b) Maintenance and Repair organizations; flying training institutes and technical training institutions	100%	Automatic
9.5	Other Conditions		
	<p>(a) Air Transport Services would include Domestic Scheduled Passenger Airlines, Non-Scheduled Air Transport Services, helicopter and seaplane services.</p> <p>(b) Foreign airlines are allowed to make foreign investment in Cargo airlines, helicopter and seaplane services, as per the limits and entry routes mentioned above.</p> <p>(c) Foreign airlines are allowed to invest in the capital of Indian companies, operating scheduled and non-scheduled air transport, services up to the limit 49 percent of the paid up capital of the Indian investee company. Such foreign investment would be subject to the following conditions:</p> <p>(i) It shall be under the Government approval route.</p> <p>(ii) The foreign investment shall comply with the relevant regulations of Securities and Exchange Board of India as well as other applicable rules and regulations.</p> <p>(iii) A Scheduled Operator's Permit can be granted only to a company:</p> <p>a. (1) that is registered and has its principal place of business within India;</p> <p>b. (2) the Chairman and at least two-thirds of the Directors of which are citizens of India; and</p> <p>c. (3) the substantial ownership and effective control of which is vested in Indian citizens.</p> <p>(iv) All foreign nationals likely to be associated with Indian scheduled and non-scheduled air transport services, as a result of such foreign investment shall be cleared from security view point before deployment; and</p> <p>(v) All technical equipment that might be imported into India as a result of such foreign investment shall require clearance from the relevant authority in the Ministry of Civil Aviation.</p> <p>Note:</p> <p>(1) The sectoral caps/ entry routes, mentioned at paragraph 9.3(a) and 9.3(b) above, are applicable in the situation where there is no investment by foreign airlines.</p> <p>(2) The dispensation for NRIs and OCIs regarding foreign investment up to 100% shall also be applicable in respect of the investment regime specified at 9.5(c) above.</p> <p>(3) The policy mentioned at 9.5(c) above is not applicable to M/s Air India Limited.</p> <p>(4) The investee company additionally shall have to follow guidelines issued by the concerned ministry of the Central Government.</p>		
10	Construction Development: Townships, Housing, Built-up infrastructure		
10.1	Construction-development projects (which would include development of townships, construction of residential/	100%	Automatic

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
	commercial premises, roads or bridges, hotels, resorts, hospitals, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships)		
10.2	Other Conditions		
10.2	<p>(a) Each phase of the construction development project would be considered as a separate project.</p> <p>(b) The investor will be permitted to exit on completion of the project or after development of trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street lighting, drainage and sewerage.</p> <p>(c) Notwithstanding anything contained at (b) above, a person resident outside India will be permitted to exit and repatriate foreign investment before the completion of project under automatic route, provided that a lock-in-period of three years, calculated with reference to each tranche of foreign investment has been completed. Further, transfer of stake from a person resident outside India to another person resident outside India, without repatriation of foreign investment will neither be subject to any lock-in period nor to any government approval.</p> <p>(d) The project shall conform to the norms and standards, including land use requirements and provision of community amenities and common facilities, as laid down in the applicable building control regulations, bye-laws, rules, and other regulations of the State Government/ Municipal/ Local Body concerned.</p> <p>(e) The Indian investee company will be permitted to sell only developed plots. For the purposes of this policy "developed plots" will mean plots where trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street lighting, drainage and sewerage, have been made available.</p> <p>(f) The Indian investee company shall be responsible for obtaining all necessary approvals, including those of the building/ layout plans, developing internal and peripheral areas and other infrastructure facilities, payment of development, external development and other charges and complying with all other requirements as prescribed under applicable rules/ bye-Laws/ regulations of the State Government/ Municipal/ Local Body concerned.</p> <p>(g) The State Government/ Municipal/ Local Body concerned, which approves the building/ development plans, will monitor compliance of the above conditions by the developer.</p> <p>Note:</p> <p>(1) Foreign investment is not permitted in an entity which is engaged or proposes to engage in real estate business, construction of farm houses and trading in transferable development rights (TDRs).</p> <p>(2) Condition of lock-in period will not apply to Hotels and Tourist Resorts, Hospitals, Special Economic Zones (SEZs), Educational Institutions, Old Age Homes and investment by NRIs/ OCIs.</p> <p>(3) Completion of the project will be determined as per the local bye-laws/ rules and other regulations of State Governments.</p> <p>(4) Foreign investment up to 100 percent under automatic route is permitted in completed projects for operating and managing townships, malls/ shopping complexes and business centres. Consequent to such foreign investment, transfer of ownership and/ or control of the investee company from persons resident in India to persons resident outside India is also permitted. However, there would be a lock-in-period of three years, calculated with reference to each tranche of foreign investment and transfer of immovable property or part thereof is not permitted during this period.</p> <p>(5) "Transfer", in relation to this sector, includes,-</p> <ol style="list-style-type: none"> the sale, exchange or relinquishment of the asset; or the extinguishment of any rights therein; or the compulsory acquisition thereof under any law; or any transaction involving the allowing of the possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) ; or any transaction, by acquiring capital instruments in a company or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever, which has the effect of transferring, or enabling the enjoyment of, any immovable property. <p>(6) Real estate business' means dealing in land and immovable property with a view to earning profit therefrom and does not include development of townships, construction of residential/ commercial premises, roads or bridges, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships;</p> <p>Explanation:</p> <ol style="list-style-type: none"> Investment in units of Real Estate Investment Trusts (REITs) registered and regulated under the 		

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
	<p>Securities and Exchange Board of India (REITs) regulations 2014 shall also be excluded from the definition of “real estate business”.</p> <p>b. Earning of rent income on lease of the property, not amounting to transfer, will not amount to real estate business.</p> <p>c. Transfer in relation to real estate includes,</p> <p>(i) the sale, exchange or relinquishment of the asset; or</p> <p>(ii) the extinguishment of any rights therein; or</p> <p>(iii) the compulsory acquisition thereof under any law; or</p> <p>(iv) any transaction involving the allowing of the possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882); or</p> <p>(v) any transaction, by acquiring capital instruments in a company or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever, which has the effect of transferring, or enabling the enjoyment of, any immovable property.</p>		
11.	Industrial Parks	100%	Automatic
11.1	<p>For the purpose of this sector:</p> <p>(a) "Industrial Park" is a project in which quality infrastructure in the form of plots of developed land or built up space or a combination with common facilities, is developed and made available to all the allottee units for the purposes of industrial activity.</p> <p>(b) “Infrastructure” refers to facilities required for functioning of units located in the Industrial Park and includes roads (including approach roads), railway line/ sidings including electrified railway lines and connectivity to the main railway line, water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air conditioning.</p> <p>(c) “Common Facilities” refer to the facilities available for all the units located in the industrial park, and include facilities of power, roads (including approach roads), railway line/ sidings including electrified railway lines and connectivity to the main railway line, water supply and sewerage, common effluent treatment, common testing, telecom services, air conditioning, common facility buildings, industrial canteens, convention/ conference halls, parking, travel desks, security service, first aid centre, ambulance and other safety services, training facilities and such other facilities meant for common use of the units located in the Industrial Park.</p> <p>(d) "Allocable area" in the Industrial Park means-</p> <p>(i) in the case of plots of developed land - the net site area available for allocation to the units, excluding the area for common facilities.</p> <p>(ii) in the case of built up space - the floor area and built-up space utilized for providing common facilities.</p> <p>(iii) in the case of a combination of developed land and built-up space - the net site and floor area available for allocation to the units excluding the site area and built-up space utilized for providing common facilities.</p> <p>(e) "Industrial Activity" means manufacturing; electricity; gas and water supply; post and telecommunications; software publishing, consultancy and supply; data processing, database activities and distribution of electronic content; other computer related activities; basic and applied research and development on bio-technology, pharmaceutical sciences/ life sciences, natural sciences and engineering; business and management consultancy activities; and architectural, engineering and other technical activities.</p>		
11.2	<p>Foreign investment in Industrial Parks would not be subject to the conditionalities applicable for construction development projects etc. spelt out in para 10 above, provided the Industrial Parks meet with the under-mentioned conditions:</p> <p>(a) it would comprise of a minimum of 10 units and no single unit shall occupy more than 50 percent of the allocable area;</p> <p>(b) the minimum percentage of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66 percent of the total allocable area.</p>		
12.	Satellites - Establishment and operation		
	Satellites Establishment and operation, subject to the sectoral guidelines of Department of Space/ ISRO	100%	Government

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
13.	Private Security Agencies	49%	Government
14.	Telecom services (including Telecom Infrastructure Providers Category-I)		
14.1	All telecom services including Telecom Infrastructure Providers Category-I, viz. Basic, Cellular, Unified Access Services, Unified license (Access services), Unified License, National/ International Long Distance, Commercial V-Sat, Public Mobile Radio Trunked Services (PMRTS), Global Mobile Personal Communications Services (GMPCS), all types of ISP licenses, Voice Mail/ Audiotex/ UMS, Resale of IPLC, Mobile Number Portability services, Infrastructure Provider Category-I (providing dark fibre, right of way, duct space, tower) except Other Service Providers.	100%	Automatic up to 49%; Government route beyond 49%
14.2	Other Conditions		
	The licensing and security conditions as notified by the Department of Telecommunications (DoT) from time to time, shall be observed by licensee as well as investors except for foreign investment in "Other Service Providers", which is allowed up to 100 percent under the automatic route.		
15.	Trading		
15.1	Cash and Carry Wholesale Trading/ Wholesale Trading (including sourcing from MSEs)	100%	Automatic
15.1.1	<p>Definition:</p> <p>(a) Cash and Carry Wholesale trading (WT)/ Wholesale trading, shall mean sale of goods/ merchandise to retailers, industrial, commercial, institutional or other professional business users or to other wholesalers and related subordinated service providers.</p> <p>(b) Wholesale trading shall, accordingly, imply sales for the purpose of trade, business and profession, as opposed to sales for the purpose of personal consumption. The yardstick to determine whether the sale is wholesale or not shall be the type of customers to whom the sale is made and not the size and volume of sales. Wholesale trading shall include resale, processing and thereafter sale, bulk imports with export/ ex-bonded warehouse business sales and B2B e-Commerce.</p>		
15.1.2	Other Conditions		
	<p>(a) For undertaking 'WT', requisite licenses/ registration/ permits, as specified under the relevant Acts/ Regulations/ Rules/ Orders of the State Government/ Government Body/ Government Authority /Local Self-Government Body under that State Government should be obtained.</p> <p>(b) Except in cases of sales to Government, sales made by the wholesaler shall be considered as 'cash and carry wholesale trading/ wholesale trading' with valid business customers, only when WT is made to the following entities:</p> <p>(i) Entities holding sales tax/ VAT registration/ service tax/ excise duty/Goods and Services Tax (GST) registration; or</p> <p>(ii) Entities holding trade licenses i.e. a license/ registration certificate/ membership certificate/ registration under Shops and Establishment Act, issued by a Government Authority/ Government Body/ Local Self-Government Authority, reflecting that the entity/ person holding the license/ registration certificate /membership certificate, as the case may be, is itself/ himself/ herself engaged in a business involving commercial activity; or</p> <p>(iii) Entities holding permits/ license etc. for undertaking retail trade (like tehbazari and similar license for hawkers) from Government Authorities/ Local Self Government Bodies; or</p> <p>(iv) Institutions having certificate of incorporation or registration as a society or registration as public trust for their self-consumption.</p> <p>Note: An Entity, to whom WT is made, may fulfil any one of the 4 conditions at (b)(i) to (iv) above.</p> <p>(c) Full records indicating all the details of such sales like name of entity, kind of entity, registration/ license/ permit etc. number, amount of sale etc. should be maintained on a day to day basis.</p> <p>(d) WT of goods shall be permitted among companies of the same group. However, such WT to group companies taken together shall not exceed 25 percent of the total turnover of the wholesale venture.</p> <p>(e) WT can be undertaken as per normal business practice, including extending credit facilities subject to applicable regulations.</p>		

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
	(f) A wholesale/ cash and carry trader can undertake single brand retail trading, subject to the conditions mentioned in para 15.3. An entity undertaking wholesale/ cash and carry as well as retail business will be mandated to maintain separate books of accounts for these two arms of the business and duly audited by the statutory auditors. Conditions under these Regulations for wholesale/ cash and carry business and for retail business have to be separately complied with by the respective business arms.		
15.2	E-Commerce		
15.2.1	B2B E-commerce activities	100%	Automatic
	Such companies would engage only in Business to Business (B2B) e-commerce and not in retail trading, inter alia implying that existing restrictions on FDI in domestic trading would be applicable to e-commerce as well.		
15.2.2	Market place model of e-commerce	100 %	Automatic
15.2.3	Other Conditions:		
	<p>(a) 'E-commerce' means buying and selling of goods and services including digital products over digital & electronic network;</p> <p>(b) 'E-commerce entity' means a company incorporated under Companies Act, 2013 or a foreign company covered under section 2 (42) of the Companies Act, 2013 or an office, branch or agency in India as provided in Section 2 (v) (iii) of FEMA, 1999, owned or controlled by a person resident outside India and conducting the e-commerce business;</p> <p>(c) 'Inventory based model of e-commerce' means an e-commerce activity where inventory of goods and services is owned by e-commerce entity and is sold to the consumers directly;</p> <p>(d) 'Market place model of e-commerce' means providing of an information technology platform by an e-commerce entity on a digital & electronic network to act as a facilitator between buyer and seller.</p> <p>(e) Digital & electronic network will include network of computers, television channels and any other internet application used in automated manner such as web pages, extranets, mobiles etc.</p> <p>(f) Marketplace e-commerce entity will be permitted to enter into transactions with sellers registered on its platform on B2B basis.</p> <p>(g) E-commerce marketplace may provide support services to sellers in respect of warehousing, logistics, order fulfilment, call centre, payment collection and other services.</p> <p>(h) E-commerce entity providing a marketplace will not exercise ownership over the inventory i.e. goods purported to be sold. Such an ownership over the inventory will render the business into inventory based model.</p> <p>(i) An e-commerce entity will not permit more than 25 percent of the sales value on financial year basis affected through its marketplace from one vendor or their group companies.</p> <p>(j) Goods/ services made available for sale electronically on website should clearly provide name, address and other contact details of the seller. Post sales, delivery of goods to the customers and customer satisfaction will be responsibility of the seller.</p> <p>(k) Payments for sale may be facilitated by the e-commerce entity in conformity with the guidelines issued by the Reserve Bank in this regard.</p> <p>(l) Any warranty/ guarantee of goods and services sold will be the responsibility of the seller.</p> <p>(m) E-commerce entities providing marketplace will not directly or indirectly influence the sale price of goods or services and shall maintain level playing field.</p> <p>(n) Guidelines on cash and carry wholesale trading as given in SI No. 15.1.2 above shall apply to B2B e-commerce activities.</p> <p>Note: Foreign investment is not permitted in inventory based model of e-commerce.</p>		
15.2.4	Sale of services through e-commerce shall be under automatic route subject to the sector specific conditions, applicable laws/ regulations, security and other conditionalities.		
15.3	Single Brand Product Retail Trading Foreign investment in Single Brand Product Retail Trading (SBRT) is aimed at attracting investments in production and marketing, improving the availability of such goods for the consumer, encouraging increased sourcing of goods from India and enhancing competitiveness of Indian enterprises through access to global designs, technologies and management practices.	100%	Automatic up to 49%; Government route beyond 49%

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
15.3.1	Other conditions		
	<p>(a) Products to be sold should be of a 'Single Brand' only.</p> <p>(b) Products should be sold under the same brand internationally i.e. products should be sold under the same brand in one or more countries other than India.</p> <p>(c) 'Single Brand' product-retail trading would cover only products which are branded during manufacturing.</p> <p>(d) A person resident outside India, whether owner of the brand or otherwise, shall be permitted to undertake 'single brand' product retail trading in the country for the specific brand, directly or through a legally tenable agreement, with the brand owner for undertaking single brand product retail trading. The onus for ensuring compliance with this condition will rest with the Indian entity carrying out single-brand product retail trading in India. The investing entity shall provide evidence to this effect at the time of seeking approval, including a copy of the licensing/ franchise/ sub-licence agreement, specifically indicating compliance with the above condition. The requisite evidence should be filed with the RBI for the automatic route and the Government for cases involving approval.</p> <p>(e) In respect of proposals involving foreign investment beyond 51 percent, sourcing of 30 percent of the value of goods purchased, will be done from India, preferably from MSMEs, village and cottage industries, artisans and craftsmen, in all sectors. The quantum of domestic sourcing will be self-certified by the company, to be subsequently checked, by statutory auditors, from the duly certified accounts which the company will be required to maintain. The procurement requirement is to be met in the first instance as an average of five years total value of goods purchased beginning 1st April of the year of the commencement of the business. Thereafter it shall be met on an annual basis. For the purpose of ascertaining the sourcing requirement, the relevant entity would be the company, incorporated in India, which is the recipient of foreign investment for the purpose of carrying out single brand product retail trading.</p> <p>(f) Subject to the conditions mentioned in this Para, a single brand retail trading entity operating through brick and mortar stores, is permitted to undertake retail trading through e-commerce.</p> <p>(g) Applications seeking permission of the Government for foreign investment exceeding 49 percent in a company which proposes to undertake single brand retail trading in India shall be made to the Department of Industrial Policy & Promotion. The applications would specifically indicate the product/ product categories which are proposed to be sold under a 'Single Brand'. Any addition to the product/ product categories to be sold under 'Single Brand' would require a fresh Government approval. In case of foreign investment up to 49 percent, the list of products/ product categories proposed to be sold except food products shall be provided to the Reserve Bank.</p> <p>(h) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy and Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered for Government approval.</p> <p>Note:</p> <p>(1) Conditions mentioned at (b) and (d) above shall not be applicable for undertaking SBRT of Indian brands.</p> <p>(2) An Indian manufacturer is permitted to sell its own branded products in any manner i.e. wholesale, retail, including through e-commerce platforms.</p> <p>(3) Indian manufacturer would be the investee company, which is the owner of the Indian brand and which manufactures in India, in terms of value, at least 70 percent of its products in house, and sources, at most 30 percent from Indian manufacturers.</p> <p>(4) Indian brands should be owned and controlled by resident Indian citizens and/ or companies which are owned and controlled by resident Indian citizens.</p> <p>(5) Sourcing norms will not be applicable up to three years from commencement of the business i.e. opening of the first store for entities undertaking single brand retail trading of products having 'state-of-art' and 'cutting-edge' technology and where local sourcing is not possible. Thereafter, condition mentioned at (e) above will be applicable.</p>		
15.4	Multi Brand Retail Trading (MBRT)	51%	Government
15.4.1	Other Conditions		
	<p>(a) Fresh agricultural produce, including fruits, vegetables, flowers, grains, pulses, fresh poultry, fishery and meat products, can be unbranded.</p> <p>(b) Minimum amount to be brought in as foreign investment would be USD 100 million.</p> <p>(c) At least 50 percent of the total foreign investment brought in the first tranche of USD 100 million, shall</p>		

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
	<p>be invested in 'back-end infrastructure' within three years, where 'back-end infrastructure' will include capital expenditure on all activities, excluding that on front-end units; for instance, back-end infrastructure will include investment made towards processing, manufacturing, distribution, design improvement, quality control, packaging, logistics, storage, warehouse, agriculture market produce infrastructure etc. Expenditure on land cost and rentals, if any, will not be counted for purposes of back-end infrastructure. Subsequent investment in the back-end infrastructure would be made by the MBRT retailer as needed, depending upon its business requirements.</p> <p>(d) At least 30 percent of the value of procurement of manufactured/ processed products purchased shall be sourced from Indian micro, small and medium industries, which have a total investment in plant & machinery not exceeding USD2 million. This valuation refers to the value at the time of installation, without providing for depreciation. The 'small industry' status would be reckoned only at the time of first engagement with the retailer and such industry shall continue to qualify as a 'small industry' for this purpose, even if it outgrows the said investment of USD2 million during the course of its relationship with the said retailer. Sourcing from agricultural co-operatives and farmers co-operatives would also be considered in this category. The procurement requirement would have to be met, in the first instance, as an average of five years total value of the manufactured/ processed products purchased, beginning 1st April of the year during which the first tranche of foreign investment is received. Thereafter, it would have to be met on an annual basis.</p> <p>(e) Self-certification is required by the company, to ensure compliance of the conditions at serial nos. (b), (c) and (d) above, which could be cross-checked, as and when required. Accordingly, the investors shall maintain accounts, duly certified by statutory auditors.</p> <p>(f) Retail sales outlets may be set up only in cities with a population of more than 10 lakh as per the 2011 Census or any other cities as per the decision of the respective State Governments, and may also cover an area of 10 kms. Around the municipal/ urban agglomeration limits of such cities; retail locations will be restricted to conforming areas as per the Master/ Zonal Plans of the concerned cities and provision will be made for requisite facilities such as transport connectivity and parking.</p> <p>(g) Government will have the first right to procure agricultural products.</p> <p>(h) The above policy is an enabling policy only and the State Governments/ Union Territories would be free to take their own decisions in regard to implementation of the policy. Therefore, retail sales outlets may be set up in those States/ Union Territories which have agreed, or agree in future, to allow foreign investment in MBRT under this policy. The States/ Union Territories which have conveyed their agreement are mentioned at 15.4.2. Such agreement, in future, to permit establishment of retail outlets under this policy, would be conveyed to the Government of India through the Department of Industrial Policy and Promotion and additions would be made to the said list. The establishment of the retail sales outlets will be in compliance of applicable State/ Union Territory laws/ regulations, such as the Shops and Establishments Act etc.</p> <p>(i) Retail trading, in any form, by means of e-commerce, would not be permissible, for companies with foreign investment engaged in multi-brand retail trading.</p> <p>(j) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy and Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered for Government approval.</p>		
15.4.2	States/ Union Territories are Andhra Pradesh, Assam, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Rajasthan, Uttarakhand, Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli (Union Territories)		
15.5	Duty Free Shops	100%	Automatic
15.5.1	Other Conditions:		
	<p>(a) Duty Free Shops would mean shops set up in custom bonded area at International Airports/ International Seaports and Land Custom Stations where there is transit of international passengers.</p> <p>(b) Foreign investment in Duty Free Shops is subject to compliance of conditions stipulated under the Customs Act, 1962 and other laws, rules and regulations.</p> <p>(c) Duty Free Shop entity shall not engage into any retail trading activity in the Domestic Tariff Area of the country.</p>		
16	Pharmaceuticals		
16.1	Greenfield	100%	Automatic
16.2	Brownfield	100%	Automatic up to 74%;

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
			Government route beyond 74%
16.3	Other Conditions		
	<p>(a) 'Non-compete' clause would not be allowed except in special circumstances with the Government approval.</p> <p>(b) The prospective investor and the prospective investee are required to provide a certificate given at 16.4 along with the application submitted for Government approval.</p> <p>(c) Government approval may incorporate appropriate conditions for foreign investment in brownfield cases.</p> <p>(d) Foreign investment in brownfield pharmaceuticals, irrespective of entry route, is further subject to the following conditions</p> <p>(i) The production level of National List of Essential Medicines (NLEM) drugs and/ or consumables and their supply to the domestic market at the time of induction of foreign investment, being maintained over the next five years at an absolute quantitative level. The benchmark for this level would be decided with reference to the level of production of NLEM drugs and/ or consumables in the three financial years, immediately preceding the year of induction of foreign investment. Of these, the highest level of production in any of these three years would be taken as the level.</p> <p>(ii) Research and Development (R&D) expenses being maintained in value terms for 5 years at an absolute quantitative level at the time of induction of foreign investment. The benchmark for this level would be decided with reference to the highest level of R&D expenses which has been incurred in any of the three financial years immediately preceding the year of induction of foreign investment.</p> <p>(iii) The administrative Ministry will be provided complete information pertaining to the transfer of technology, if any, along with induction of foreign investment into the investee company.</p> <p>(iv) The administrative Ministry (s) i.e. Ministry of Health and Family Welfare, Department of Pharmaceuticals or any other regulatory Agency/Development as notified by Central Government from time to time, will monitor the compliance of conditionalities.</p> <p>Note :</p> <p>(1) Foreign investment up to 100% under the automatic route is permitted for manufacturing of medical devices. The abovementioned conditions will, therefore, not be applicable to greenfield as well as brownfield projects of this industry.</p> <p>(2) Medical device means :-</p> <p>(a) Any instrument, apparatus, appliance, implant, material or other article, whether used alone or in combination, including the software, intended by its manufacturer to be used specially for human beings or animals for one or more of the specific purposes of:-</p> <p>(aa) Diagnosis, prevention, monitoring, treatment or alleviation of any disease or disorder;</p> <p>(ab) diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of, or assistance for, any injury or handicap;</p> <p>(ac) investigation, replacement or modification or support of the anatomy or of a physiological process;</p> <p>(ad) supporting or sustaining life;</p> <p>(ae) disinfection of medical devices;</p> <p>(af) control of conception;</p> <p>and which does not achieve its primary intended action in or on the human body or animals by any pharmacological or immunological or metabolic means, but which may be assisted in its intended function by such means;</p> <p>(b) an accessory to such an instrument, apparatus, appliance, material or other article;</p> <p>(c) a device which is reagent, reagent product, calibrator, control material, kit, instrument, apparatus, equipment or system whether used alone or in combination thereof intended to be used for examination and providing information for medical or diagnostic purposes by means of in vitro examination of specimens derived from the human body or animals.</p> <p>(3) The definition of medical device at Note (2) above would be subject to the Drugs and Cosmetics Act, 1940.</p>		
16.4	<p>Certificate to be Furnished by the Prospective Investor as well as the Prospective Recipient Entity</p> <p>It is certified that the following is the complete list of all inter-se agreements, including the shareholders agreement, entered into between foreign investor(s) and investee brownfield pharmaceutical entity</p>		

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>(copies of all agreements to be enclosed)</p> <p>It is also certified that none of the inter-se agreements, including the shareholders agreement, entered into between foreign investor(s) and investee brownfield pharmaceutical entity contain any non-compete clause in any form whatsoever.</p> <p>It is further certified that there are no other contracts/agreements between the foreign investor(s) and investee brownfield pharma entity other than those listed above.</p> <p>The foreign investor(s) and investee brownfield pharma entity undertake to submit to the FIPB any inter-se agreements that may be entered into between them subsequent to the submission and consideration of this application.</p>		
17	Railway Infrastructure		
17.1	Construction, operation and maintenance of the following: (i) Suburban corridor projects through PPP, (ii) high-speed train projects, (iii) Dedicated freight lines, (iv) Rolling stock including train sets, and locomotives/ coaches manufacturing and maintenance facilities, (v) Railway Electrification, (vi) Signalling systems, (vii) Freight terminals, (viii) Passenger terminals, (ix) Infrastructure in industrial park pertaining to railway line/ sidings including electrified railway lines and connectivity to main railway line and (x) Mass Rapid Transport Systems.	100%	Automatic
17.2	Other Conditions		
	<p>(a) Foreign investment in this sector open to private-sector participation is subject to sectoral guidelines of Ministry of Railways.</p> <p>(b) Proposals involving foreign investment beyond 49 percent sensitive areas from security point of view, will be brought by the Ministry of Railways before the Cabinet Committee on Security (CCS) for consideration on a case to case basis.</p>		
F	FINANCIAL SERVICES		
	Investment in financial services, other than those indicated below, would require prior Government approval.		
F.1	Asset Reconstruction Companies	100%	Automatic
F.1.1	Other Conditions		
	<p>(a) Investment limit of a sponsor in the shareholding of an ARC will be governed by the provisions of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. Similarly, investment by institutional/ non-institutional investors will also be governed by the said Act.</p> <p>(b) FPIs can invest in the Security Receipts (SRs) issued by ARCs. FPIs may be allowed to invest up to 100 percent of each tranche in SRs issued by ARCs, subject to directions/ guidelines of Reserve Bank. Such investment should be within the relevant regulatory cap as applicable.</p> <p>(c) All investments would be subject to provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.</p>		
F.2	Banking - Private sector	74%	Automatic up to 49% Government route beyond 49% and up to 74%
F.2.1	Other conditions:		
	<p>(a) At all times, at least 26 percent of the paid up capital will have to be held by residents, except in regard to a wholly-owned subsidiary of a foreign bank.</p> <p>(b) In case of NRIs individual holdings is restricted to 5 percent of the total paid up capital both on repatriation and non-repatriation basis and aggregate limit cannot exceed 10 percent of the total paid up capital both on repatriation and non-repatriation basis. However, NRI holdings can be allowed up to 24 percent of the total paid up capital both on repatriation and non-repatriation basis subject to a special resolution to this effect passed by the banking company's general body.</p>		

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
	<p>(c) Applications for foreign investment in private banks having joint venture/ subsidiary in insurance sector may be addressed to the Reserve Bank for consideration in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) in order to ensure that the 49 percent limit of investment applicable for the insurance sector is not breached.</p> <p>(d) Transfer of shares under FDI from residents to non-residents will require approval of the Reserve Bank and/ or the Government, wherever applicable</p> <p>(e) The policies and procedures prescribed by RBI and other institutions such as Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs and IRDAI on these matters will apply.</p> <p>(f) RBI guidelines relating to acquisition by purchase or otherwise of capital instruments of a private bank, if such acquisition results in any person owning or controlling 5 percent or more of the paid up capital of the private bank will apply to foreign investment as well.</p> <p>(g) Setting up of a subsidiary by foreign banks</p> <p>(i) Foreign banks will be permitted to either have branches or subsidiaries but not both.</p> <p>(ii) Foreign banks regulated by banking supervisory authority in the home country and meeting Reserve Bank's licensing criteria will be allowed to hold 100 percent paid-up capital to enable them to set up a wholly-owned subsidiary in India.</p> <p>(iii) A foreign bank may operate in India through only one of the three channels viz., (i) branches (ii) a wholly-owned subsidiary (iii) a subsidiary with aggregate foreign investment up to a maximum of 74 percent in a private bank.</p> <p>(iv) A foreign bank will be permitted to establish a wholly-owned subsidiary either through conversion of existing branches into a subsidiary or through a fresh banking license. A foreign bank will be permitted to establish a subsidiary through acquisition of shares of an existing private sector bank provided at least 26 percent of the paid-up capital of the private sector bank is held by residents at all times consistent with para (c) above.</p> <p>(v) A subsidiary of a foreign bank will be subject to the licensing requirements and conditions broadly consistent with those for new private sector banks.</p> <p>(vi) Guidelines for setting up a wholly-owned subsidiary of a foreign bank will be issued separately by RBI.</p> <p>(vii) All applications by a foreign bank for setting up a subsidiary or for conversion of their existing branches to subsidiary in India will have to be made to the RBI.</p> <p>(h) The present limit of 10 percent on voting rights in respect banking companies may be noted by the potential investor.</p> <p>(i) All investments shall be subject to the guidelines prescribed for the banking sector under the Banking Regulation Act, 1949 and the Reserve Bank of India Act, 1934.</p>		
F.3	Banking - Public Sector		
F.3.1	Banking - Public Sector subject to Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Acts, 1970/ 80. This ceiling is also applicable to the State Bank of India.	20%	Government
F.4	Infrastructure Companies in the Securities Market		
F.4.1	Infrastructure companies in Securities Markets, namely, stock exchanges, commodity derivative exchanges, depositories and clearing corporations, in compliance with Securities and Exchange Board of India Regulations	49%	Automatic
F.4.2	Other conditions:		
	<p>(a) Foreign investment, including investment by FPIs, will be subject to the Guidelines/ Regulations issued by the Central Government, Securities and Exchange Board of India and the Reserve Bank from time to time.</p> <p>(b) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or in the concerned Regulations issued by Securities and Exchange Board of India shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts/ Regulations.</p>		
F.5	Commodities Spot Exchange	49%	Automatic
F.5.1	Investment shall be subject to guidelines prescribed by the Central/ State Government		

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
F.6	Power Exchanges		
	Power Exchanges under the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010	49%	Automatic
F.6.1	Other conditions		
	(a) Investment by FPIs shall be restricted to secondary market only. (b) A person resident outside India including persons acting in concert should not hold more than 5 percent. (c) The investment would be in compliance with Securities and Exchange Board of India Regulations, other applicable laws/ regulations, security and other conditionalities		
F.7	Credit Information Companies	100%	Automatic
F.7.1	Other conditions		
	(a) Foreign investment in Credit Information Companies is subject to the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005 and regulatory clearance from the Reserve Bank. (b) FPI investment would be permitted subject to the following conditions: (i) A single entity shall directly or indirectly hold below 10 percent equity; (ii) Any acquisition in excess of 1 percent will have to be reported to Reserve Bank as a mandatory requirement; and (iii) FPIs investing in Credit Information Companies shall not seek a representation on the Board of Directors based upon their shareholding.		
F.8	Insurance		
F.8.1	(a) Insurance Company (b) Insurance Brokers (c) Third Party Administrators (d) Surveyors and Loss Assessors (e) Other Insurance Intermediaries appointed under the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999)	49%	Automatic
F.8.2	Other Conditions		
	(a) Foreign investment in this sector shall be subject to compliance with the provisions of the Insurance Act, 1938 and subject to necessary license/ approval from the Insurance Regulatory & Development Authority of India for undertaking insurance and related activities. (b) An Indian Insurance company shall ensure that its ownership and control remains at all times with resident Indian entities as determined by Central Government/ Insurance Regulatory and Development Authority of India as per the rules/ regulation issued. (c) Where an entity like a bank, whose primary business is outside the insurance area, is allowed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India to function as an insurance intermediary, the foreign equity investment caps applicable in that sector shall continue to apply, subject to the condition that the revenues of such entities from their primary (i.e., non-insurance related) business must remain above 50 percent of their total revenues in any financial year. (d) The provisions of paragraphs F.2.1 relating to 'Banking-Private Sector', shall be applicable in respect of bank promoted insurance companies. (e) Terms 'Control', 'Equity Share Capital', 'Foreign Direct Investment' (FDI), 'Foreign Investors', 'Foreign Portfolio Investment', 'Indian Insurance Company', 'Indian Company', 'Indian Control of an Indian Insurance Company', 'Indian Ownership', 'Non-resident Entity', 'Public Financial Institution', 'Resident Indian Citizen', 'Total Foreign Investment' will have the same meaning as provided in Notification No. G.S.R 115 (E), dated 19th February, 2015 issued by Department of Financial Services and regulations issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India from time to time.		
F.9	Pension Sector	49%	Automatic
F.9.1	Other conditions		
	(a) Foreign investment in this sector shall be in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Act, 2013. (b) Foreign investment in Pension Funds will be subject to the condition that entities investing in capital		

Sl. No	Sector/ Activity	Sectoral Cap	Entry Route
	instruments issued by an Indian Pension Fund as per Section 24 of the PFRDA Act, 2013 shall obtain necessary registration from the PFRDA and comply with other requirements as per the PFRDA Act, 2013 and Rules and Regulations framed under it for so participating in Pension Fund Management activities in India. (c) An Indian pension fund shall ensure that its ownership and control remains at all times with resident Indian entities as determined by the Government of India/ PFRDA as per the rules/ regulation issued by them.		
F.10	Other Financial Services	100%	Automatic
F.10.1	Other Conditions		
	<p>(a) Other Financial Services will mean financial services activities regulated by financial sector regulators, viz., Reserve Bank, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Pension Fund Regulatory and Development Authority, National Housing Bank or any other financial sector regulator as may be notified by the Government of India.</p> <p>(b) Foreign investment in 'Other Financial Services' activities shall be subject to conditionalities, including minimum capitalization norms, as specified by the concerned Regulator/Government Agency</p> <p>(c) 'Other Financial Services' activities need to be regulated by one of the Financial Sector Regulators. In all such financial services activity which are not regulated by any Financial Sector Regulator or where only part of the financial services activity is regulated or where there is doubt regarding the regulatory oversight, foreign investment up to 100 percent will be allowed under Government approval route subject to conditions including minimum capitalization requirement, as may be decided by the Government.</p> <p>(d) Any activity which is specifically regulated by an Act, the foreign investment limits will be restricted to those levels/ limit that may be specified in that Act, if so mentioned.</p> <p>(e) Downstream investments by any of these entities engaged in "Other Financial Services" will be subject to these Regulations.</p>		

[F. No. 1/22/EM/2016]

SHEKHAR BHATNAGAR, Chief General Manager-in-Charge

Schedule 1**[See Regulation 5(1)]****Purchase/ Sale of capital instruments of an Indian company by a person resident outside India****1. Purchase/sale of capital instruments of an Indian company by a person resident outside India**

- (1) An Indian company may issue capital instruments to a person resident outside India subject to entry routes, sectoral caps and attendant conditionalities specified in Regulation 16;
- (2) A person resident outside India may purchase capital instruments of a listed Indian company on a stock exchange in India provided that:
 - (a) The person resident outside India making the investment has already acquired control of such company in accordance with SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011 and continues to hold such control;
 - (b) The amount of consideration may be paid as per the mode of payment prescribed in this Schedule or out of the dividend payable by Indian investee company in which the person resident outside India has acquired and continues to hold the control in accordance with SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011 provided the right to receive dividend is established and the dividend amount has been credited to a specially designated non-interest bearing rupee account for acquisition of shares on the recognised stock exchange.

- (3) A wholly owned subsidiary set up in India by a non-resident entity, operating in a sector where 100 percent foreign investment is allowed in the automatic route and there are no FDI linked performance conditions, may issue capital instruments to the said non-resident entity against pre-incorporation/ preoperative expenses incurred by the said non-resident entity up to a limit of five percent of its authorised capital or USD 500,000 whichever is less, subject to the following conditions:
- (a) Within thirty days from the date of issue of capital instruments but not later than one year from the date of incorporation or such time as Reserve Bank or Central Government permits, the Indian company shall report the transaction in the Form FC-GPR to the Reserve Bank;
 - (b) A certificate issued by the statutory auditor of the Indian company that the amount of pre-incorporation/ pre-operative expenses against which capital instruments have been issued has been utilized for the purpose for which it was received should be submitted with the Form FC-GPR.

Explanation: Pre-incorporation/ pre-operative expenses shall include amounts remitted to Investee Company's account, to the investor's account in India if it exists, to any consultant, attorney or to any other material/ service provider for expenditure relating to incorporation or necessary for commencement of operations.

- (4) An Indian company may issue capital instruments to a person resident outside India against swap of capital instruments if the Indian investee company is engaged in an automatic route sector.
- (5) An Indian company may issue equity shares against any funds payable by it to a person resident outside India, the remittance of which is permitted under the Act or the rules and regulations framed or directions issued thereunder or does not require prior permission of the Central Government or the Reserve Bank under the Act or the rules and regulations framed or directions issued thereunder or has been permitted by the Reserve Bank under the Act or the rules and regulations framed or directions issued thereunder.

Provided in case where permission has been granted by the Reserve Bank for making remittance, the Indian company may issue equity shares against such remittance provided all regulatory actions with respect to the delay or contravention under FEMA or the rules or the regulations framed thereunder have been completed

- (6) An Indian company may issue capital instruments to a person resident outside India with prior Government approval against:
- (a) Swap of capital instruments if the Indian investee company is engaged in a sector under Government route;
 - (b) Import of capital goods/ machinery/ equipment (excluding second-hand machinery) subject to compliance with the conditions specified by the Central Government and the Reserve Bank from time to time; or
 - (c) Pre-operative/ pre-incorporation expenses (including payments of rent etc.), subject to compliance with the conditions specified by the Central Government and the Reserve Bank from time to time.

2. Mode of payment

- (1) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in NRE/ FCNR(B)/ Escrow account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

Explanation: The amount of consideration shall include:

- (i) Issue of equity shares by an Indian company against any funds payable by it to the investor
 - (ii) Swap of capital instruments.
- (2) Capital instruments shall be issued to the person resident outside India making such investment within sixty days from the date of receipt of the consideration.

Explanation: In case of partly paid equity shares, the period of 60 days shall be reckoned from the date of receipt of each call payment

- (3) Where such capital instruments are not issued within sixty days from the date of receipt of the consideration the same shall be refunded to the person concerned by outward remittance through banking channels or by credit to his NRE/ FCNR(B) accounts, as the case may be within fifteen days from the date of completion of sixty days.

Provided Prior approval of the Reserve Bank shall be required for payment of interest, if any, as laid down in the Companies Act, 2013, for delay in refund of the amount so received.

- (4) An Indian company issuing capital instruments under this Schedule may open a foreign currency account with an Authorised Dealer in India in accordance with Foreign Exchange Management (Foreign currency accounts by a person resident in India) Regulations, 2016.

3. Remittance of sale proceeds

The sale proceeds (net of taxes) of the capital instruments may be remitted outside India or may be credited to the NRE/ FCNR(B) of the person concerned.

Schedule 2

[See Regulation 5(2)]

Purchase/ Sale of capital instruments of a listed Indian company on a recognised stock exchange in India by Foreign Portfolio Investors

1. Purchase/sale of capital instruments

A Foreign Portfolio Investor (FPI) may purchase or sell capital instruments of an Indian company on a recognised stock exchange in India subject to the following conditions.

- (1) The total holding by each FPI or an investor group as referred in SEBI (FPI) Regulations, 2014, shall be less than 10 percent of the total paid-up equity capital on a fully diluted basis or less than 10 percent of the paid-up value of each series of debentures or preference shares or share warrants issued by an Indian company and the total holdings of all FPIs put together shall not exceed 24 percent of paid-up equity capital on a fully diluted basis or paid up value of each series of debentures or preference shares or share warrants. The said limit of 10 percent and 24 percent will be called the individual and aggregate limit, respectively.

Provided the aggregate limit of 24 percent may be increased by the Indian company concerned up to the sectoral cap/ statutory ceiling, as applicable, with the approval of its Board of Directors and its General Body through a resolution and a special resolution, respectively.

- (2) In case the total holding of an FPI increases to 10 percent or more of the total paid-up equity capital on a fully diluted basis or 10 percent or more of the paid-up value of each series of debentures or preference shares or share warrants issued by an Indian company, the total investment made by the FPI shall be re-classified as FDI subject to the conditions as specified by Securities and Exchange Board of India and the Reserve Bank in this regard and the investee company and the investor complying with the reporting requirements prescribed in regulation 13 of these Regulations.
- (3) An FPI may purchase capital instruments of an Indian company through public offer/ private placement, subject to the individual and aggregate limits prescribed under this Schedule.

Provided:

- (i) in case of Public Offer, the price of the shares to be issued is not less than the price at which shares are issued to residents, and
- (ii) in case of issue by private placement, the price is not less than (a) the price arrived in terms of guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India, or (b) the fair price worked out as per any internationally accepted pricing methodology for valuation of shares on arm's length basis, duly certified by a Securities and Exchange Board of India registered Merchant Banker or Chartered Accountant or a practicing Cost Accountant, as applicable
- (4) An FPI may, undertake short selling as well as lending and borrowing of securities subject to such conditions as may be stipulated by the Reserve Bank and the Securities and Exchange Board of India from time to time.
- (5) Investments made under this schedule shall be subject to the limits and margin requirements prescribed by the Reserve Bank/ Securities and Exchange Board of India as well as the stipulations regarding collateral securities as specified by the Reserve Bank from time to time.

2. Mode of payment

- (1) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in a foreign currency account and/ or a Special Non-Resident Rupee (SNRR) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.
- (2) The foreign currency account and SNRR account shall be used only and exclusively for transactions under this Schedule

3. Remittance of sale proceeds

The sale proceeds (net of taxes) of the investments made under this schedule may be remitted outside India or may be credited to the foreign currency account or a SNRR account of the FPI.

4. Saving

All investments made by deemed FPIs in accordance with the regulations prior to their registration as FPI shall be continued to be valid and taken into account for computation of aggregate limits.

Schedule 3

[See Regulation 5(3)]

Purchase/ Sale of Capital Instruments of a listed Indian company on a recognised stock exchange in India by Non-Resident Indian (NRI) or Overseas Citizen of India (OCI) on repatriation basis

1. Purchase/sale of capital instruments

A Non-resident Indian (NRI) or an Overseas Citizen of India (OCI) may purchase or sell Capital Instruments of a listed Indian company on repatriation basis, on a recognised stock exchange in India, subject to the following conditions:

- (1) NRIs or OCIs may purchase and sell Capital Instruments through a branch designated by an Authorised Dealer for the purpose;
- (2) The total holding by any individual NRI or OCI shall not exceed 5 percent of the total paid-up equity capital on a fully diluted basis or should not exceed 5 percent of the paid-up value of each series of debentures or preference shares or share warrants issued by an Indian company and the total holdings of all NRIs and OCIs put together shall not exceed ten percent of the total paid-up equity capital on a fully diluted basis or shall not exceed ten percent of the paid-up value of each series of debentures or preference shares or share warrants;

Provided that the aggregate ceiling of 10 percent may be raised to 24 percent if a special resolution to that effect is passed by the General Body of the Indian company.

2. Mode of payment

- (1) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in a Non-Resident External (NRE) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.
- (2) The NRE account will be designated as an NRE (PIS) Account and the designated account shall be used exclusively for putting through transactions permitted under this Schedule.

3. Remittance of sale proceeds

The sale proceeds (net of taxes) of the capital instruments may be remitted outside India or may be credited to NRE (PIS) account of the person concerned.

4. Saving

Any account designated as NRO (PIS) shall be re-designated as NRO account.

Schedule 4

[See Regulation 5(4)]

Investment on non-repatriation basis

A. Purchase or Sale of Capital Instruments or convertible notes of an Indian company or Units or contribution to the capital of an LLP by Non-Resident Indian (NRI) or Overseas Citizen of India (OCI) on Non-Repatriation basis

1. Purchase/ sale of capital instruments or convertible notes or units or contribution to the capital of an LLP

(1) A Non-resident Indian (NRI) or an Overseas Citizen of India (OCI), including a company, a trust and a partnership firm incorporated outside India and owned and controlled by NRIs or OCIs, may purchase/ contribute, as the case may be, on non-repatriation basis the following:

- (a) Any capital instrument issued by a company without any limit either on the stock exchange or outside it.
- (b) Units issued by an investment vehicle without any limit, either on the stock exchange or outside it.
- (c) The capital of a Limited Liability Partnership without any limit.
- (d) Convertible notes issued by a startup company in accordance with these Regulations.

(2) The investment detailed at sub-para 1 above will be deemed to be domestic investment at par with the investment made by residents

2. Prohibition on purchase of capital instruments of certain companies.

Notwithstanding anything contained in paragraph 1, an NRI or an OCI including a company, a trust and a partnership firm incorporated outside India and owned and controlled by NRIs or OCIs, shall not make any investment, under this Schedule, in capital instruments or units of a Nidhi company or a company engaged in agricultural/ plantation activities or real estate business or construction of farm houses or dealing in Transfer of Development Rights.

Explanation: Real estate business will have the same meaning as laid down in regulation 16.

3. Mode of Payment

The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in NRE/ FCNR(B)/ NRO account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

4. Sale/ maturity proceeds

- (1) The sale/ maturity proceeds (net of applicable taxes) of capital instruments purchased or disinvestment proceeds of a LLP shall be credited only to the NRO account of the investor, irrespective of the type of account from which the consideration was paid;
- (2) The amount invested in capital instruments of an Indian company or the consideration for contribution to the capital of a LLP and the capital appreciation thereon shall not be allowed to be repatriated abroad.

B. Investment in a firm or a proprietary concern

1. Contribution to capital of a firm or a proprietary concern

An NRI or an OCI may invest, on a non-repatriation basis, by way of contribution to the capital of a firm or a proprietary concern in India provided such firm or proprietary concern is not engaged in any agricultural/ plantation activity or print media or real estate business.

Explanation: Real estate business will have the same meaning as laid down in regulation 16.

2. Mode of payment

The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in NRE/ FCNR(B)/ NRO account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

3. Sale/ maturity proceeds

- (1) The disinvestment proceeds shall be credited only to the NRO account of the person concerned, irrespective of the type of account from which the consideration was paid;

- (2) The amount invested for contribution to the capital of a firm or a proprietary concern and the capital appreciation thereon shall not be allowed to be repatriated abroad.

Schedule 5

[See Regulation 5(5)]

Purchase and sale of securities other than capital instruments by a person resident outside India

1. Permission to persons resident outside India

A. Permission to Foreign Portfolio Investors (FPIs)

An FPI may purchase the following instruments on repatriation basis subject to the terms and conditions specified by the Securities and Exchange Board of India and the Reserve Bank:

- (a) dated Government securities/ treasury bills;
- (b) non-convertible debentures/ bonds issued by an Indian company;
- (c) commercial papers issued by an Indian company;
- (d) units of domestic mutual funds;
- (e) Security Receipts (SRs) issued by Asset Reconstruction Companies up to 100 percent of each tranche, subject to directions/ guidelines of the Reserve Bank;
- (f) Perpetual Debt instruments eligible for inclusion as Tier I capital and Debt capital instruments as upper Tier II capital issued by banks in India to augment their capital (Tier I capital and Tier II capital as defined by Reserve Bank) provided that the investment by all eligible investors in Perpetual Debt instruments (Tier I) shall not exceed an aggregate ceiling of 49 percent of each issue and investment by a single FPI shall not exceed the limit of 10 percent of each issue;
- (g) non-convertible debentures/ bonds issued by Non-Banking Financial Companies categorized as 'Infrastructure Finance Companies' (IFCs) by the Reserve Bank;

Provided this will include such instruments issued on or after November 3, 2011 and held by deemed FPIs;

- (h) Rupee denominated bonds/ units issued by Infrastructure Debt Funds;

Provided this will include such instruments issued on or after November 22, 2011 and held by deemed FPIs.

- (i) Credit enhanced bonds;
- (j) Listed non-convertible/ redeemable preference shares or debentures issued in terms of Regulation 9 of these Regulations;
- (k) Security receipts issued by securitization companies subject to conditions as specified by the Reserve Bank and/ or Securities and Exchange Board of India;
- (l) Securitised debt instruments, including (i) any certificate or instrument issued by a special purpose vehicle (SPV) set up for securitisation of asset/s with banks, Financial Institutions or NBFCs as originators; and/ or (ii) any certificate or instrument issued and listed in terms of the Securities and Exchange Board of India (Regulations on Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments), 2008.

Provided that FPIs may offer such instruments as permitted by the Reserve Bank from time to time as collateral to the recognized Stock Exchanges in India for their transactions in exchange traded derivative contracts as specified in sub-Regulation 5 of Regulation 5.

B. Permission to Non-resident Indians (NRIs) or Overseas Citizens of India (OCIs) – Repatriation basis

- (1) A Non-resident Indian (NRI) or an Overseas Citizen of India (OCI) may, without limit, purchase the following instruments on repatriation basis,
 - (a) Government dated securities (other than bearer securities) or treasury bills or units of domestic mutual funds;
 - (b) Bonds issued by a Public Sector Undertaking (PSU) in India;

- (c) Shares in Public Sector Enterprises being disinvested by the Central Government, provided the purchase is in accordance with the terms and conditions stipulated in the notice inviting bids;
 - (d) Bonds/ units issued by Infrastructure Debt Funds;
 - (e) Listed non-convertible/ redeemable preference shares or debentures issued in terms of Regulation 9 of these Regulations;
- (2) An NRI or an OCI may purchase on repatriation basis perpetual debt instruments eligible for inclusion as Tier I capital and Debt capital instruments as upper Tier II capital issued by banks in India to augment their capital, as stipulated by Reserve Bank. The investments by all NRIs or OCIs in Perpetual Debt Instruments (Tier I) should not exceed an aggregate ceiling of 24 percent of each issue and investments by a single NRI or OCI should not exceed 5 percent of each issue. Investment by NRIs or OCIs in Debt Capital Instruments (Tier II) shall be accordance with the extant policy for investment by NRIs or OCIs in other debt instruments.
- (3) An NRI may subscribe to National Pension System governed and administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), provided such person is eligible to invest as per the provisions of the PFRDA Act. The annuity/ accumulated saving will be repatriable.

Provided that NRI/ OCIs may offer such instruments as permitted by the Reserve Bank from time to time as collateral to the recognized Stock Exchanges in India for their transactions in exchange traded derivative contracts as specified in sub-Regulation 5 of Regulation 5.

C. Permission to Non-resident Indians (NRIs) or Overseas Citizens of India (OCIs) – Non-Repatriation basis

- (1) An NRI or an OCI may, without limit, purchase on non-repatriation basis, dated Government securities (other than bearer securities), treasury bills, units of domestic mutual funds, units of money Market Mutual Funds, or National Plan/ Savings Certificates.
- (2) An NRI or an OCI may, without limit, purchase on non-repatriation basis, listed non-convertible/ redeemable preference shares or debentures issued in terms of Regulation 9 of these Regulations.
- (3) An NRI or an OCI may, without limit, on non-repatriation basis subscribe to the chit funds authorised by the Registrar of Chits or an officer authorised by the State Government in this behalf.

D. Permission to Foreign Central Banks or a Multilateral Development Bank for purchase of Government Securities

- (1) A Foreign Central Bank may purchase and sell dated Government securities/ treasury bills in the secondary market subject to the conditions as may be stipulated by the Reserve Bank.
- (2) A Foreign Central Bank, may purchase and sell dated Government securities/ treasury bills subject to the conditions as may be stipulated by Reserve Bank.
- (3) A Multilateral Development Bank which is specifically permitted by Government of India to float rupee bonds in India may purchase Government dated securities.

E. Permission to other non-resident investors for purchase of securities

- (1) Long term investors like Sovereign Wealth Funds (SWFs), Multilateral Agencies, Endowment Funds, Insurance Funds, Pension Funds which are registered with Securities and Exchange Board of India as eligible investors in Infrastructure Debt Funds may purchase on repatriation basis Rupee Denominated bonds/ units issued by Infrastructure Debt Funds.
- (2) Long term investors like Sovereign Wealth Funds (SWFs), Multilateral Agencies, Endowment Funds, Insurance Funds, Pension Funds and Foreign Central Banks registered with Securities and Exchange Board of India may purchase, on repatriation basis the following instruments and subject to such terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank and the Securities and Exchange Board of India:
 - (a) dated Government securities/ treasury bills;
 - (b) commercial papers issued by an Indian company;
 - (c) units of domestic mutual funds;

- (d) listed non-convertible debentures/ bonds issued by an Indian company;
- (e) listed and unlisted non-convertible debentures/ bonds issued by an Indian company in the infrastructure sector. The term 'Infrastructure Sector' has the same meaning as given in the Harmonised Master List of Infrastructure sub-sectors approved by Government of India vide Notification F. No. 13/06/2009-INF dated March 27, 2012 as amended/ updated;
- (f) non-convertible debentures/bonds issued by Non-Banking Finance Companies categorized as 'Infrastructure Finance Companies (IFCs)' by the Reserve Bank;
- (g) security Receipts (SRs) issued by Asset Reconstruction Companies up to 100 percent of each tranche, subject to directions/ guidelines of the Reserve Bank;
- (h) perpetual Debt instruments eligible for inclusion as Tier I capital and Debt capital instruments as upper Tier II capital issued by banks in India to augment their capital (Tier I capital and Tier II capital as defined by Reserve Bank) provided that the investment by all eligible investors in Perpetual Debt instruments (Tier I) shall not exceed an aggregate ceiling of 49 percent of each issue, and investment by a single long term investor shall not exceed the limit of 10 per cent of each issue;
- (i) primary issues of non-convertible debentures/ bonds provided such non-convertible debentures/ bonds are committed to be listed within 15 days of such investment. In the event of the instruments not being listed within 15 days of issuance then the long term investor shall immediately dispose such instruments by way of sale to a third party or to the issuer and the terms of offer to the long term investors should contain a clause that the issuer of such instruments shall immediately redeem/ buyback those securities from the long term investors in such an eventuality;
- (j) credit enhanced bonds;
- (k) listed non-convertible/ redeemable preference shares or debentures issued in terms of Regulation 9 of these Regulations;
- (l) security receipts (SRs) issued by securitization companies subject to conditions as specified by Reserve Bank and/ or Securities and Exchange Board of India

2. Mode of Payment

- (1) The amount of consideration for purchase of instruments by FIIs shall be paid out of inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in a foreign currency account and/ or Special Non-Resident Rupee (SNRR) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. The foreign currency account and SNRR account shall be used only and exclusively for transactions under this Schedule.
- (2) The amount of consideration for purchase of instruments by NRIs or OCIs on repatriation basis shall be paid out of inward remittances from abroad through banking channels or out of funds held in NRE/ FCNR(B) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.
- (3) The amount of consideration for (a) purchase of instruments by NRIs or OCIs on non-repatriation basis and (b) subscriptions to the National Pension System by NRIs shall be paid out of inward remittances from abroad through banking channels or out of funds held in NRE/ FCNR(B)/ NRO account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.
- (4) The amount of consideration for purchase of Government dated securities by a Foreign Central Bank or a Multilateral Development Bank shall be paid out of inward remittances from abroad through banking channels or out of funds held in an account opened with the specific approval of the RBI.
- (5) The amount of consideration for purchase of instruments by other non-resident investors shall be paid out of inward remittances from abroad through banking channels.

3. Permission for Sale of instruments

A person resident outside India who has purchased instruments in accordance with this Schedule may sell/ redeem the instruments subject to such terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank and the Securities Exchange Board of India.

4. Remittance/ credit of sale/ maturity proceeds

- (1) The sale/ maturity proceeds (net of taxes) of instruments held by Foreign Portfolio Investors (FPIs) may be remitted outside India or may be credited to the foreign currency account or SNRR account of the FPI.
- (2) The net sale/ maturity proceeds (net of taxes) of instruments held by NRIs or OCIs, may be:
 - (a) Credited to the NRO account person concerned where the instruments were held on non-repatriation basis
 - (b) Credited to the NRO account person concerned where the payment for the purchase of the instruments sold was made out of funds held in NRO account, or
 - (c) Remitted abroad or at the NRI/ OCI investor's option, credited to his NRE/ FCNR(B)/ NRO account, where the instruments were purchased on repatriation basis.
- (3) In all other cases, the sale/ maturity proceeds (net of taxes) may be remitted abroad or credited to an account opened with the prior permission of the Reserve Bank.

Schedule 6**[See Regulation 5(6)]****Investment in a Limited Liability Partnership (LLP)****1. Investment in an LLP**

- (1) A person resident outside India (other than a citizen of Pakistan or Bangladesh) or an entity incorporated outside India (other than an entity incorporated in Pakistan or Bangladesh), not being a Foreign Portfolio Investor (FPI) or a Foreign Venture Capital Investor (FVCI), may contribute to the capital of an LLP operating in sectors/ activities where foreign investment up to 100 percent is permitted under automatic route and there are no FDI linked performance conditions.
- (2) Investment by way of 'profit share' will fall under the category of reinvestment of earnings
- (3) Investment in an LLP is subject to the compliance of the conditions of Limited Liability Partnership Act, 2008.
- (4) A company having foreign investment, engaged in a sector where foreign investment up to 100 percent is permitted under the automatic route and there are no FDI linked performance conditions, can be converted into an LLP under the automatic route.
- (5) An LLP having foreign investment, engaged in a sector where foreign investment up to 100 percent is permitted under the automatic route and there are no FDI linked performance conditions, may be converted into a company under the automatic route.
- (6) Investment in an LLP either by way of capital contribution or by way of acquisition/ transfer of profit shares, should not be less than the fair price worked out as per any valuation norm which is internationally accepted/ adopted as per market practice (hereinafter referred to as "fair price of capital contribution/ profit share of an LLP") and a valuation certificate to that effect shall be issued by the Chartered Accountant or by a practicing Cost Accountant or by an approved valuer from the panel maintained by the Central Government.
- (7) In case of transfer of capital contribution/ profit share from a person resident in India to a person resident outside India, the transfer shall be for a consideration not less than the fair price of capital contribution/ profit share of an LLP. Further, in case of transfer of capital contribution/ profit share from a person resident outside India to a person resident in India, the transfer shall be for a consideration which is not more than the fair price of the capital contribution/ profit share of an LLP.

2. Mode of payment

Payment by an investor towards capital contribution of an LLP shall be made by way of an inward remittance through banking channels or out of funds held in NRE or FCNR(B) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

3. Remittance of disinvestment proceeds

The disinvestment proceeds may be remitted outside India or may be credited to NRE or FCNR(B) account of the person concerned.

Schedule 7**[See Regulation 5(7)]****Investment by a Foreign Venture Capital Investor (FVCI)****1. Investment by Foreign Venture Capital Investor**

- (1) Subject to the terms and conditions as may be laid down by the Reserve Bank, a Foreign Venture Capital Investor (FVCI) may purchase
- (a) securities, issued by an Indian company engaged in any sector mentioned at para 4 of this Schedule and whose securities are not listed on a recognised stock exchange at the time of issue of the said securities;
 - (b) securities issued by a startup;
 - (c) units of a Venture Capital Fund (VCF) or of a Category I Alternative Investment Fund (Cat-I AIF) or units of a scheme or of a fund set up by a VCF or by a Cat-I AIF.

Provided if the investment is in capital instruments, then the sectoral caps, entry routes and attendant conditions shall apply;

- (2) An FVCI may purchase the securities/ instruments mentioned above either from the issuer of these securities/ instruments or from any person holding these securities/ instruments. The FVCI may invest in securities on a recognised stock exchange subject to the provisions of the Securities and Exchange Board of India (FVCI) Regulations, 2000.
- (3) The FVCI may acquire, by purchase or otherwise, from, or transfer, by sale or otherwise, to, any person resident in or outside India, any security/ instrument it is allowed to invest in, at a price that is mutually acceptable to the buyer and the seller/ issuer. The FVCI may also receive the proceeds of the liquidation of VCFs or of Cat-I AIFs or of schemes/ funds set up by the VCFs or Cat-I AIFs.

2. Mode of payment

- (1) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in a foreign currency account and/ or a Special Non-Resident Rupee (SNRR) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.
- (2) The foreign currency account and SNRR account shall be used only and exclusively for transactions under this Schedule.

3. Remittance of sale/ maturity proceeds

The sale/ maturity proceeds (net of taxes) of the securities may be remitted outside India or may be credited to the foreign currency account or a Special Non-resident Rupee Account of the FVCI.

4. List of sectors in which a Foreign Venture Capital Investor is allowed to invest

- (1) Biotechnology
- (2) IT related to hardware and software development
- (3) Nanotechnology
- (4) Seed research and development
- (5) Research and development of new chemical entities in pharmaceutical sector
- (6) Dairy industry
- (7) Poultry industry
- (8) Production of bio-fuels
- (9) Hotel-cum-convention centres with seating capacity of more than three thousand.

- (10) Infrastructure sector. The term 'Infrastructure Sector' has the same meaning as given in the Harmonised Master List of Infrastructure sub-sectors approved by Government of India vide Notification F. No. 13/06/2009-INF dated March 27, 2012 as amended/ updated.

Schedule 8

[See Regulation 5(8)]

Investment by a person resident outside India in an Investment Vehicle

1. Investment in units of an Investment Vehicle

- (1) A person resident outside India (other than a citizen of Pakistan or Bangladesh) or an entity incorporated outside India (other than an entity incorporated in Pakistan or Bangladesh) may invest in units of Investment Vehicles.
- (2) A person resident outside India who has acquired or purchased units in accordance with this Schedule may sell or transfer in any manner or redeem the units as per regulations framed by Securities and Exchange Board of India or directions issued by the Reserve Bank.
- (3) An Investment vehicle may issue its units to a person resident outside India against swap of capital instruments of a Special Purpose Vehicle (SPV) proposed to be acquired by such Investment Vehicle.
- (4) Investment made by an Investment Vehicle into an Indian entity shall be reckoned as indirect foreign investment for the investee Indian entity if the Sponsor or the Manager or the Investment Manager (i) is not owned and not controlled by resident Indian citizens or (ii) is owned or controlled by persons resident outside India.

Provided that for sponsors or managers or investment managers organized in a form other than companies or LLPs, Securities and Exchange Board of India shall determine whether the sponsor or manager or investment manager is foreign owned and controlled.

Explanation: 'Control' of the AIF should be in the hands of 'sponsors' and 'managers/ investment managers', with the general exclusion to others. In case the 'sponsors and 'managers/ investment managers' of the AIF are individuals, for the treatment of downstream investment by such AIF as domestic, 'sponsors' and 'managers/ investment managers' should be resident Indian citizens.

- (5) An Alternative Investment Fund Category III which has received any foreign investment shall make portfolio investment in only those securities or instruments in which a FPI is allowed to invest under the Act, rules or regulations made thereunder.

2. Mode of payment

The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or by way of swap of shares of a Special Purpose Vehicle or out of funds held in NRE or FCNR(B) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

3. Remittance of sale/ maturity proceeds

The sale/ maturity proceeds (net of taxes) of the units may be remitted outside India or may be credited to the NRE or FCNR(B) account of the person concerned.

Schedule 9

[See Regulation 5(9)]

Investment in Depository receipts by a person resident outside India

1. Issue/ transfer of eligible instruments to a foreign depository for the purpose of issuance of depository receipts by eligible person(s)

- (1) Any security or unit in which a person resident outside India is allowed to invest under these regulations shall be eligible instruments for issue of Depository Receipts in terms of Depository Receipts Scheme, 2014 (DR Scheme, 2014).

- (2) A person will be eligible to issue or transfer eligible instruments to a foreign depository for the purpose of issuance of depository receipts in accordance with the DR Scheme, 2014 and guidelines issued by Central Government in this regard.
- (3) A domestic custodian may purchase eligible instruments on behalf of a person resident outside India, for the purpose of converting the instruments so purchased into depository receipts in terms of DR Scheme 2014.
- (4) The aggregate of eligible instruments which may be issued or transferred to foreign depositories, along with eligible instruments already held by persons resident outside India, shall not exceed the limit on foreign holding of such eligible instruments under the Act, rules or regulations framed thereunder.
- (5) The eligible instruments shall not be issued or transferred to a foreign depository for the purpose of issuing depository receipts at a price less than the price applicable to a corresponding mode of issue or transfer of such instruments to domestic investors under the applicable laws.

2. Saving

Depository Receipts issued under the Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993 shall be deemed to have been issued under the corresponding provisions of DR Scheme 2014 and have to comply with the provisions laid out in this Schedule.

Schedule 10

[See Regulation 5(10)]

Issue of Indian Depository Receipts (IDRs)

1. Issue of IDRs

Companies incorporated outside India may issue IDRs through a Domestic Depository, to persons resident in India and outside India, subject to the following conditions

- (1) the issue of IDRs is in compliance with the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014 and the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (2) any issue of IDRs by financial/ banking companies having presence in India, either through a branch or subsidiary, shall require prior approval of the sectoral regulator(s);
- (3) IDRs shall be denominated in Indian Rupees only;
- (4) the proceeds of the issue of IDRs shall be immediately repatriated outside India by the companies issuing such IDRs .

2. Purchase/ sale of IDRs:

An FPI or an NRI or an OCI may purchase, hold or sell IDRs, subject to the following terms and conditions:

- (1) NRIs or OCIs may invest in the IDRs out of funds held in their NRE/ FCNR(B) account, maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;
- (2) Limited two way fungibility of IDRs shall be permissible subject to the terms and conditions stipulated by Reserve Bank in this regard;
- (3) IDR shall not be redeemable into underlying equity shares before the expiry of one year from the date of issue;

Redemption/ conversion of IDRs into underlying equity shares of the issuing company shall be a compliance the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004.